खण्ड-249, अंक-3
मंगलवार, 15 वैशाख, शक संवत् 1886
(5 मई, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 249 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. २४५–२४६
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	२४६
प्रश्नोत्तर	२४६–२६
सदन का भावी कार्यक्रम	२७६–२७
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	२७८–२८
प्राक्कलन समिति का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	२८२–२८३
प्राक्कलन समिति का अष्टम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	२८३– २८६
सरकार द्वारा सुपरसीडेड स्थानीय निकायों का चुनाव सामान्य निर्वाचन के समय कराने की घोषणा न किये जाने से उत्पन्न समस्या के संबंध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	२८६–२८७
श्री रामआसरे वर्मा पर प्राण घातक हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	२८७–२८८
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	२८८–२९१
१५ अप्रैल, १९६४ को श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन के स्थगित किये जाने के संबंध में उठाई गई वैधानिक आपत्ति तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	२९१–२९८
३ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ३७–३८ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	२९९
स्वतन्त्र दल के नव निर्वाचित नेता के नाम की घोषणा ..	२९९
उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट विषय के संबंध में बनाए गये पैनेल के अन्य सदस्य	२९९
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित)	२९९–३५१
नत्थियां	३५२–३५९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ५ मई, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊइल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गौरादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जनीलुर्रहमान सिद्दकी, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, क़ाजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्फ़न)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिक़ार अली खां, नवाबजादा सैयद

जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दत्तदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज़ हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातोराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बाहटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशोधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रानचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरजप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री

सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री रामसिंह ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राम सिंह श्री छोटेलाल पालीवाल की जगह पर हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचित घोषित किये गये हैं । उन्होंने आज आपके सामने शपथ ली है ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ५ मई, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गन्ने का मूल्य

**१---श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगले सीजन में गन्ने का भाव २ रुपया प्रतिमन दिया जाय तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कोई अन्तर न रहे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र-व्यवहार किया गया है ? यदि हां, तो उस संबंध में केन्द्रीय सरकार से क्या आदेश प्राप्त हुये हैं ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

जी हां, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास यह सिफारिश भेजी गई है कि अगले सीजन १९६४-६५ में गन्ने का मूल्य रिकवरी के आधार पर निर्धारित न करके दो रुपया प्रति मन की समान दर से नियत किया जाय । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है उसमें क्या मिल मालिकों के उस आश्वासन को भी निहित किया गया है जिसमें कहा गया है कि गन्ने का भाव बढ़ाने के साथ-साथ चीनी का भाव बढ़ा दिया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

अब यह सब चीजें तो मैं समझता हूं यहां बताना ठीक नहीं होगा । इतना काफी है कि हमने लिख दिया है कि काश्तकार की जैसी हालत है उस हालत को देखते हुए यह ठीक नहीं होगा । दो रुपया दाम उनको दिया जाय ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो पत्रों में मिल ओनर्स एसोसियेशन का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है उससे प्रदेश में और खास कर के कन्ज्यूमर्स में भ्रम फैल गया है कि गन्ने का दाम दो रुपया मन तब किया जायगा जब कि चीनी के भाव को बढ़ाया जायगा ? तो इस संबंध में सरकार कन्ज्यूमर्स को आश्वस्त करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है और क्या घोषणा करने जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

पत्र मेरे पास है । वह आपने जो बात कही है वह हमने अपने पत्र में नहीं लिखी है । वह तो देखना पड़ेगा कि दाम कैसे बढ़े, क्या तरीका उसके लिये अख्तियार किया जाय, लेकिन जैसी आपने जानकारी चाही थी वह चीजें उस पत्र में नहीं हैं । वह और चीजें हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी उन मुख्य-मुख्य बातों को बताने की कृपा करेंगे जो उन्होंने उस पत्र में केन्द्रीय सरकार को लिखी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

खास चीज यही है कि जो खाद्य के दाम और दूसरी चीजों के दाम बढ़ गये हैं उनको देखते हुए काश्तकार को यह दाम ठीक नहीं पड़ता, इसलिये दाम बढ़ना चाहिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो उत्तर प्रदेश सरकार से राय जाननी चाही थी और उस सिलसिले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पत्र लिखा उसके बाद भारत सरकार का कोई पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं और अगर नहीं हुआ है तो किस तरह की इन्टीमेशन भारत सरकार से प्रान्तीय सरकार को मिली है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

आपने बहुत सी बातें मान लीं । इस बार जो मूल्य निर्धारित किया हर साल की तरह से उसमें हमसे पूछा नहीं गया । इसलिये हमने यह अपने आप अपनी तरफ से भारत सरकार को लिखा है कि दो रुपया मूल्य निर्धारित कर दें ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेंगे कि चूंकि चीनी आम जनता के इस्तेमाल की वस्तु है इसलिये उसकी लागत के डेढ़े से ज्यादा दाम उसका न रखा जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सवाल इस समय गन्ने के दाम का सामने है। इसको आप मिला नहीं सकते।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया कि हमने अपनी तरफ से लिखा है कि २ रुपये गन्ने की कीमत निर्धारित कर दें तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उसके साथ में यह भी लिखा है या नहीं कि शकर की कीमत में कोई बढ़ोतरी न हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

शकर की बात हमने इसमें नहीं लिखी है। हमने सिर्फ यह लिखा है कि दाम बढ़ा दिये जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी फूड मिनिस्टर, गवर्नमेंट आफ इंडिया की पिछले दिनों मुख्य मंत्रियों से जो बातचीत हुई उस वार्ता में यह निश्चित किया गया कि गन्ने का भाव २ रुपया दिया जाय लेकिन चीनी का भाव बढ़ाया न जाय तो क्या वह इस पालिसी पर कायम है या दूसरी नीति कोई निर्धारित की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

क्या बातचीत हुई है उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है। उसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

चीनी का जो भाव आज है उस भाव में २ रुपया गन्ने का दाम देकर भी मिलमालिकों को बचत होती है तो क्या प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से कहेगी कि अगले सीजन में २ रुपया गन्ने का दाम निश्चित होने पर चीनी का दाम बढ़ाया न जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह प्रश्न तो गन्ने के संबंध में है। जहां तक चीनी के दाम की बात है उसके लिये फार्मूला है उसके हिसाब से वह बनाते हैं। मैं समझता हूं वह इतनी बड़ी चीज है कि इस सवाल में वह आ नहीं सकती।

तारांकित प्रश्न

सारदा कैनाल, बाराबंकी के एग्जीक्युटिव इंजीनियर के खिलाफ शिकायत

*१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सारदा कैनाल, बाराबंकी के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर कितने दिनों से इस डिवीजन में हैं ? क्या यह सही है कि यह इसी डिवीजन में सहायक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर रहे और यहीं इनकी पदोन्नति एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पद पर कर दी गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उक्त अधिकारी इस डिवीजन में १४-९-१९६२ से २-८-६३ तक सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करते रहे तथा ३-८-१९६३ से इसी डिवीजन में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं।

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त अफसर दफ्तर टाइम में घर में सोते रहते हैं और पब्लिक का कोई आदमी जाता है काम से तो उसे वापस आना पड़ता है और संसद् सदस्य स्वामी रामानन्द शास्त्री को तीन बार जाकर लौटना पड़ा जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने हाल में सरकार को भेजी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं ।

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि उक्त माननीय संसद् सदस्य ने सरकार को उक्त अफसर के विरुद्ध उनकी कार्यशैली, नहरों की खुदाई, पानी पहुंचाने में असावधानी के संबंध में भी कोई पत्र सरकार को हाल में मिला है ? यदि हां, तो क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस बाराबंकी डिवीजन में जो नहरें हैं उनकी खुदाई ठीक से नहीं हुई है और कागज पर फर्जी बिल, वाउचर बनाकर पैसा चार्ज कर लिया गया है जिसकी वजह से डिवीजन की तमाम नहरों में दूर तक पानी नहीं पहुंचता है तो सरकार क्या इसकी जांच करायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन आपने कुछ प्रश्न किये थे जिनका यहां पर उत्तर दिया गया था ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी यह जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि इस अधिकारी का व्यवहार जनता के साथ ठीक नहीं है और स्वामी रामानन्द शास्त्री, एम० पी० से उन्होंने मिलने से तीन बार इन्कार किया और पब्लिक जो दरख्वास्त देती है या मिलने के लिये जाती हैं उनसे मिलने में कतराते हैं और सही ऐक्शन उन दरख्वास्तों पर नहीं लेते हैं तो क्या मंत्री जी विचार करके सही कदम उठाने की कोशिश करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास सूचना तो इस प्रकार की नहीं है लेकिन आदरणीय सदस्य जब एक बात कहते हैं तो उसको मानना चाहिये । इसके लिये हम उनके पास हिदायत भेज देंगे कि भविष्य में ऐसा न हो ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्टतया बताने की कृपा करेंगे कि रामानन्द शास्त्री, मेम्बर पार्लियामेंट का कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हुआ है, तो उसमें उन्होंने मुख्य मुख्य क्या-क्या शिकायतें की थीं और सरकार ने उसके निराकरण के लिए क्या क्या कदम उठाया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर माननीय सदस्य मेरा जवाब पढ़े होते तो मैंने डेफिनिटली कहा कि मुझे पत्र नहीं मिला ।

*४-५--श्री कल्पनाथसिंह--

[१० वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

परिवहन क्षेत्र, गोरखपुर में क्लर्कों की परीक्षा

*६--श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री कल्पनाथसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में जी० एम० द्वारा कोई प्रतियोगिता परीक्षा लिपिकों के बारे में ली गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने परीक्षार्थी बैठे और उसमें से कितने मौखिक साक्षात्कार के लिये बुलाये गये और अन्त में कितने लिपिकों की नियुक्ति १९६३ में हुई ?

रसद मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

जी हां, दो प्रतियोगिता परीक्षायें हुई थीं । वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५२ पर)

*७--श्री मदनपालसिंह तथा श्री कल्पनाथसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो लिपिक लिये गये उनको निम्नतम कितने नम्बर लिखित परीक्षा में मिले हैं और जो नहीं लिये गये, उनको अधिकतम कितने नम्बर मिले थे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

सूचना इस प्रकार है :

पद	जो लिये गये उनके निम्नतम अंक	जो नहीं लिये गये उनके अधिकतम अंक
(१) जूनियर क्लर्क (बुकिंग क्लर्क) आफिस असिस्टेंट ग्रेड २	५०	६५
(२) आफिस असिस्टेंट ग्रेड १	५४	६९

श्री कल्पनाथसिंह--

गोरखपुर में जो यह प्रतियोगात्मक परीक्षा ली गयी उसमें कितनी जगहें क्लर्कों की खाली थीं जिनके लिये परीक्षा ली गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

१११ जगहें खाली थीं । कुछ ग्रेड २ की थीं और कुछ ग्रेड वन की थीं ।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या यह सही है कि जो ५० नम्बर पाये वह ले लिये गये और ६५ नम्बर पाने वाले नहीं लिये गये ? फिर आफिस असिस्टेंट ग्रेड वन में ५४ नम्बर वाला लिया गया और ६९ नम्बर वाला नहीं लिया गया जबकि इतनी अधिक जगहें थीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इस प्रतियोगिता में पहले लिखित परीक्षा होती है फिर साक्षात्कार होता है, उसके नम्बर अलग होते हैं । दोनों को मिला करके अंक दूसरे होते हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह साक्षात्कार, जो अफसरों ने किया, वह कितने डिपार्टमेंटल लोगों का किया और कितने बाहरी लोगों का और उसमें जो ६९ नम्बर वाले रह गये और ५४ और ६९ नम्बर के बीच वाले रह गये वे बाहरी लोग थे या डिपार्टमेंट के ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

निश्चित तो नहीं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उसमें बाहर के लोग थे।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मंत्री जी पुनः इस प्रतियोगात्मक परीक्षा की जांच कराकर, सदन नहीं तो स्वयं अपने को आश्वस्त करेंगे कि इस परीक्षा में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो देख लिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

६५ नम्बर पाने और मेडिकली फिट होने पर भी लड़का नहीं लिया गया, परसनालिटी अच्छी थी, क्वालिफिकेशन अच्छी थी तो कौन-सी बात पड़ गयी कि साक्षात्कार में रिजेक्ट कर दिया गया, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

यह तो इंटरव्यू लेने वाले फैसला करेंगे कि किसकी परसनलिटी या सेहत अच्छी है, मैं या आप कैसे करेंगे ?

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

लिखित परीक्षा कितने नम्बर की थी और साक्षात्कार परीक्षा कितने नम्बर की थी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

साक्षात्कार ५० नम्बर की थी और लिखित १५० नम्बर की थी।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जनरल मैनेजर के किसी ऊपर क आफिसर द्वारा उन लोगों की फिर से साक्षात्कार परीक्षा करायें जो लोग ५० नम्बर की साक्षात्कार परीक्षा में फेल हो गये हैं और जब कि लिपिकों का काम ही लिखने का है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये तैयार हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर कोई स्पेसिफिक केस माननीय सदस्य देंगे तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

बलिया जिले में कार्तिकी मेला पर बसों से आमदनी

*८—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिलान्तर्गत कार्तिकी पूर्णिमा के मेले के अवसर पर सन् १९६१ व १९६२ व १९६३ ई० में अलग-अलग रोडवेज की बसों से कितनी आमदनी हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९—श्री जगन्नाथ चौधरी (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि सन् १९६३ ई० में कार्तिकी पूर्णिमा के मेले के अवसर पर बलिया जिले में रोडवेज की बसों के अलावा प्राइवेट बसें भी उन्हीं सड़कों पर चली हैं जिन पर रोडवेज की बसें चलती थीं ?

*१०—यदि हां, तो प्राइवेट बसों को चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और वह कौन-कौन सी किस जिले की गाड़ियां थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*११-१३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[हटा दिये गये ।]

अधीक्षण अभियन्ता, गंडक नहर, गोरखपुर को क्लर्कों के परीक्षा विषयक प्रार्थना-पत्र

*१४—श्री चन्द्र बलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले की गंडक नहर निर्माण शाखा चाफ खजुरिया के दर्जनों क्लर्कों ने विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिये सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, गन्डक नहर सर्किल गोरखपुर के पास अक्तूबर, १९६२ को किसी तरीख को आवेदन-पत्र दिया था कि उसे परीक्षा समिति को भेज दिया जाय ? यदि हां, तो उसे दो माह बाद क्यों वापस कर दिया गया ? क्या सरकार आवेदन-पत्र तथा लौटाऊ पत्र दोनों पत्रों की हिन्दी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

देवरिया जिला के गंडक नहर निर्माण शाखा चाफ व खजुरिया के दर्जनों नहीं अपितु केवल क्रमशः ९ और ६ लिपिकों के विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के आवेदन पत्र गंडक नहर मंडल गोरखपुर में १६-१०-६२ तथा १-१०-६२ को क्रमशः प्राप्त हुये थे। अधिष्ठान लिपिक की लापरवाही के कारण इन आवेदन-पत्रों को निर्धारित तिथि (२०-१०-६२) तक परीक्षा समिति को नहीं भेजा जा सका, अतएव उन्हें उपरोक्त खंडों को लौटा दिया गया । जिन पत्रों से आवेदन पत्र अधीक्षक अभियन्ता के कार्यालय में आये थे और जिनसे अधिशासी अभियन्ता को लौटाये गये, उनकी हिन्दी† प्रतिलिपियां संलग्न हैं। आवेदन पत्रों की प्रतिलिपि मंगाई गयी है ।

*१५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या यह सच है कि वे क्लर्क उक्त परीक्षा में शरीक न हो सकने के कारण जनवरी, १९६४ में हटा दिये गये और उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण क्लर्क की नियुक्ति उनके स्थान पर कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्लर्कों का इसमें दोष क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं । यह सत्य नहीं है कि इन क्लर्कों को जनवरी, १९६४ से हटा दिया गया है । अतः प्रश्न में उल्लिखित शेष बातों का प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापी नहीं गयीं।

*१६--श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार इस मामले की छानबीन करके इन क्लर्कों को बहाल करेगी और बाद को विभागीय परीक्षा ले लेगी ? यदि नहीं, तो कठिनाई क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

चंकि यह क्लर्क हटाये ही नहीं गये अतः इनको बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक इन क्लर्कों की विभागीय परीक्षा लेने का प्रश्न है, यदि यह उस समय (सन् १९६२ में) परीक्षा के सुयोग्य (eligible) थे और यदि वह सन् १९६४ की परीक्षा के लिये आवेदन पत्र देंगे तो उन्हें परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जब अधिष्ठान लिपिक की लापरवाही के कारण कुछ क्लर्क्स परीक्षा में शामिल नहीं हो सके तो इस लापरवाही के लिये उनको क्या सजा दी गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जब उनका पता ही नहीं चला कि वे आये या नहीं तो सजा कैसे दें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आपने लिखा है कि जनवरी, ६४ से एक भी क्लर्क नहीं हटाया गया, तो क्या मार्च, फरवरी या मई में कुछ क्लर्क इस सिलसिले में विभागीय परीक्षा नहीं दे सके थे और इसलिये वे हटाये गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मेरी सूचना तो ऐसी है कि नहीं हटाये गये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कोई निश्चित आश्वासन देगी कि उनको अगली परीक्षा में शामिल कर लिया जायेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसमें यह कहीं नहीं है कि वे योग्य थे। आवेदन-पत्र सबके सब मेरे पास हैं। उनकी कापीज नहीं हुई थीं चूंकि ओरीजीनल देना नहीं चाहते थे। ओरीजीनल रखे हैं, वे भेज देंगे। अगर वे योग्य होंगे तो उन्हें जरूर कंसीडर कर लेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या पिछड़े हुए क्लर्कों को निश्चित तौर पर परीक्षा में सम्मिलित किया जायगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

परीक्षा में बैठने की उन्हें इजाजत देंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

सन् ६२ में प्रतिष्ठान क्लर्क भागा तो अब ६४ तक उसे डिसमिस किया गया या नहीं, क्या कार्यवाही उसके खिलाफ की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मुझे मालूम नहीं है कि उसे बरखास्त किया गया या नहीं।

जो सूचना आई है यह, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने और सूचना मंगाई है। मैं यह जवाब देना नहीं चाहता था।

गोरखपुर जिले में पटाई का काम

*१७—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर) तथा श्री यादवेन्द्रसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में सदर, बांसगाव, फरेंदा तथा महाराजगंज तहसीलों में अलग-अलग किन-किन गांवों तथा उनसे संबंधित टोलों की पटाई सन् १९६२–६३ में करायी गयी तथा कौन-कौन से सहायक अभियंता कहां-कहां के इंचार्ज रहे ?

*१८—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त तहसीलों में कौन-कौन से गांव तथा संबंधित टोलों की पटाई सन् १९६३–६४ में करायी जा रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रामसूरतप्रसाद—

गांवों की पटाई अनियोजित ढंग से, विशेषकर मेरे क्षत्र के कछार में हो रही है, मिट्टी कम पड़ी है और सहायक अभियंता द्वारा पक्षपात से वर्क आर्डर कुछ अपने ही प्रिय लोगों को दिया गया है....

श्री अध्यक्ष—

यह आप लिखकर दे दें।

एतमादपुर तहसील में नहरी पानी का न मिलना

*१९—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मांट शांच नहर से जिला आगरा के अन्तर्गत एतमादपुर तहसील में कब से पानी नहीं आया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

खंदौली और दघेटा राजबहे, जिला आगरा के अन्तर्गत तहसील एतमादपुर में बहते हैं । यह दोनों राजबहे आखिरी बार मार्च के महीने में क्रमशः मार्च २१ व २२, १९६४ तक चलाये गये ।

*२०—श्री शिवचरण—

क्या सरकार कृपया यह भी बतयेगी कि इस नहर में पड़ने वाले गांवों पोहखेड़ा से लेकर पोइया तक जो तहसील एतमादपुर जिला आगरा में स्थित है पाला पड़ने के बाद से अब तक पानी नहीं आया है जिससे फसल नष्ट हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र पानी छड़वाने का विचार कर रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जनवरी, १९६४ में पाला पड़ने के बाद से खंदौली और दघेटा रजबहे फरवरी व मार्च, १९६४ में चलाये गये।

*२१—श्री शिवचरण—

क्या उपरोक्त विषय से संबंधित माह फरवरी, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में किसी विधायक का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

श्री गिरराज किशोर इत्यादि उजरई निवासी तहसील एतमादपुर जिला आगरा का कृषि मंत्री को दिया गया प्रार्थना-पत्र फरवरी में मिला था। पानी की प्राप्ति पर किसानों को रबी की फसल को सींचने के लिये खंदौली और दघेटा राजबहों को फरवरी व मार्च, १९६४ में चलाया गया।

श्री शिवचरण---

कौन सी फसल सींचने के लिये मार्च में पानी दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

वहां के रहने वाले ज्यादा जानते होंगे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

रबी की फसल को सरकार पानी देती है। यह उत्तर मंत्री जी ने कहां से मंगाया है और फसल को कितनी क्षति पहुंची ?

श्री अध्यक्ष---

आप अपने अफसरों से पूछें कि यह डिस्क्रीपेंसी है।

श्री राधेश्याम शर्मा---

माठ ब्रांच में न जाड़ों में ठीक से पानी चल पाया, फरवरी से अब तक ४, ४ महीने पानी बन्द रहा है, उस क्षेत्र के ईख का बीज खत्म हो गया है। तो क्या जांच कराके माठ ब्रांच को चलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

मैंने यह कहा था कि आप यह जानते होंगे कि मार्च में किस लिये पानी लिया गया। आपने ही कह दिया कि गन्ने की फसल के लिये पानी की आवश्यकता होती है। मेरे पास है कि किन दिनों मार्च में पानी चला।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलदशहर)---

जब रजबहों में पानी ठीक से नहीं चलता है तो वह क्यों कहते हैं कि ठीक से चल रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*२२-२३--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--

[१०वे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

जहांगीरगंज-अकबरपुर बस सर्विस के लिये प्रार्थना

*२४--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फैजाबाद के अन्तर्गत जहांगीरगंज से अकबरपुर तक रोडवेज बस चलाने के लिए सरकार के पास १७ मई १९६२ ई०, को और २७ दिसम्बर, १९६३ को प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जी हां। प्रस्तावित मार्ग के राष्ट्रीयकरण के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया। प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री सुखरामदास--

आखिरी निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

प्रश्नकर्त्ता महाशय ने १७-५-६२ को एक पत्र सरकार को भेजा जिस पर परिवहन आयुक्त से रिपोर्ट मांगी गई । वह जुलाई, ६२ में आई और राष्ट्रीयकरण करने की स्वीकृति मांगी गई । वह सरकार से ६२ में ही भेज दी गई । सर्वेक्षण के बाद पूरे मार्ग को लेना वाजिब नहीं समझा गया । अभी विचार हो रहा है ।

श्री सुखरामदास--

अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

निश्चिय समय नहीं बताया जा सकता, लेकिन जल्दी होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या यह डेफीनिट उत्तर मंत्रीजी देंगे कि जहांगीरगंज से अकबरपुर तक की सड़क का राष्ट्रीयकरण हुआ या नहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अभी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्रीजी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उन मार्गों पर चलने वाले प्राइवेट आपरेटर्स रिट ले आते हैं, जैसा कि सहारनपुर दिल्ली मार्ग पर हुआ, तो राष्ट्रीयकरण करते समय सरकार भविष्य में क्या नीति अपनाने जा रही है जिससे आगे इस प्रकार का रोड़ा कोई न अटका सके ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

श्रीमन्, कोई रिट फाइल न हो, इसके लिये क्या किया जा सकता है ?

श्री सुखरामदास---

क्या सरकार और सड़कों की तरह इस सड़क पर भी, जब तक राष्ट्रीयकरण न हो अपनी बस चलाने की कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह किया जा सकता है लेकिन सर्वे कराते समय अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी कि पूरा मार्ग रोडवेज की बस चलाने के योग्य नहीं है, बीच में कुछ हिस्सा खराब है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस रूट के बारे में जानते हैं, वे इसको अभी तक पूरा नहीं कर पाये हैं, तो क्या वे इस बारे में कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---

माननीय मायर जी जो कह रहे हैं वह वाकया है, हमें रूट्स को नेशनेलाइज करने में दिक्कत होती है । कदम-कदम पर कानूनी दिक्कतें पैदा करके गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है । हम पूरे रूप से इस कठिनाई पर काबू नहीं पा सके हैं । आई० टी० ए० एक सेमी

जुडीशियल बाडी है। उसके कुछ फैसलों से हमारी दिक्कत बढ़ जाती है। इस पर हम विचार करने वाले हैं कि क्या-क्या सूरतें अख्तियार करें जिससे यह कठिनाई दूर हो जाय।

बांसगांव तहसील का नलकूप

*२५--श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में ट्यूबवेल नं० ७९ जो बन कर तैयार हो गया है, अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया? यदि हां, तो क्यों?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

प्रथम भाग--उक्त नलकूप का विद्युतीकरण दिनांक २४-२-१९६४ को हो गया है और तब से यह चल रहा है।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामलखन शुक्ल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ट्यूबवेल किस तारीख को बनकर तैयार हो गया था और कितने दिनों के बाद बिजली का कनेक्शन दिया गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

पारसाल बन गया था। ट्यूबवैल बन जाने के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक कंपनी उसको कम्प्रेशर से एग्जामिन करके फिट डिक्लेअर करती है, तब बिजली दी जाती है। जब उन्होंने फिट डिक्लेअर कर दिया तुरन्त ही बिजली दे दी गयी और २४-२-६४ से वह चालू भी है।

श्री रामलखन शुक्ल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्यूबवैल फाइनली कब बन कर तैयार हो गया था और बिजली किस तारीख को दी गयी। दोनों तारीखों में बहुत अन्तर है। यह देरी अधिकारियों की गलती से हुई है। क्या सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष--

शुक्ला जी यह कहते हैं कि कम्प्रेशर की जो डिफीकल्टी बतलायी गयी, उसमें उतना समय नहीं लगा जितना कि बतलाया गया है। किस तारीख को ट्यबवैल बना और एक्चुअली किस तारीख को फंक्शन करने लगा, इसका जो पीरियड है, ये सब चीजें एक्सक्यूज की नहीं है। उनका मतलब केवल यह है कि आप इसकी इनक्वारी करा लें कि इसमें जो समय लगा है वह सही है या गलत है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं समझता हूं कि इसमें जो समय लगा है वह ज्यादा नहीं है।

श्री रामलखन शुक्ल--

जहां तक मेरी जानकारी है इसमें जो समय लगा है वह बहुत ज्यादा लगा है। इस बीच में नालियों के निर्माण का कार्य जो चल रहा है अगर वह ट्यूबवैल के पानी से होता तो ज्यादा मजबूत होता, जब कि ठेकेदार कुएं के पानी से इसे बनवा रहा है जिससे सरकारी पैसे का नुकसान हुआ और जनता की भी क्षति हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय

मंत्री जी सक्रियता के साथ स्पष्ट रूप से इस सारे लास को पूरा करके इसको ठीक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा–

मेरी ऐसी राय नहीं है । पारसाल इसकी बोरिंग हुई और इस साल कुआं चलना शुरू हो गया, तो मेरी समझ में नहीं आता कि देर किस तरह से हो गयी ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)––

ट्यूबवेल से सिंचाई करने से किसानों को नुकसान है, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि किसानों को छोटे-छोटे कुओं से सिंचाई करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय और इस सिलसिले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

मैनपुरी जिले में नहर विभाग के अधिकारियों को घोड़ा भत्ता

*२६––श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)––

२५ फरवरी, १९६४ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या १३ नत्थी (घ) के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब घोड़ा रखने का सरकारी आदेश है तो पर्याप्त भत्ता देने पर सरकार विचार करेगी जिससे कि आदेश का पालन हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

भत्ता बढ़ाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी––

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भत्ता बढ़ाने का प्रश्न जो सरकार के विचाराधीन है, उसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

हमने चीफ इंजीनियर से पूछा है कि कितने लोगों ने घोड़े रखे हैं और एक घोड़े पर कितना खर्चा आता है । इन तमाम चीजों की जब सूचना आ जायगी तो उस पर विचार करके हम फैसला लेंगे ।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के कार्यालय में टी० ए० बिलों का भुगतान न होना

*२७––श्री गणेशचन्द्र काछी––

क्या यह सत्य है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के कार्यालय में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों के टी० ए० बिल चार साल से भी अधिक समय से बिना भुगतान के पड़े हैं ? यदि हां, तो उनके टी० ए० बिल का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में केवल दो कर्मचारियों के टी० ए० बिल चार साल से अधिक समय से बिना भुगतान के पड़े हैं । इन बिलों का भुगतान महालेखाकार (Accountant general) उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपरीक्षा पूर्व (Pre-audit) होकर आने पर किया जायेगा ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन दो कर्मचारियों के टी० ए० बिल का भुगतान ४ साल से अधिक हो गये नहीं हुआ है, इसके लिये सरकार कोई निश्चित तारीख बतलायेगी कि फलां तारीख तक इनका भुगतान हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें थोड़ी-सी गलतफहमी है जिसको मैं साफ कर देना चाहता हूं। असलियत यह है कि टी० ए० लेने के पहले कुछ लोग पेशगी ले लेते हैं और पेशगी लेने के बाद फिर वे कार्य करते हैं। इन दो केसेज में यह हुआ कि इन लोगों ने टी० ए० से ज्यादा रुपया ले लिया, तो उस रुपये को लौटाने का झगड़ा है और उसमें कुछ समय लग ही जाता है। क्योंकि वह प्रि-आडिट के लिये जाता है, ऐसे हमने लिखा है कि इनका भुगतान जल्दी हो जाय। डिपार्टमेंट वालों ने बतलाया कि यह बात ठीक नहीं है कि सब का भुगतान नहीं हुआ है। केवल दो ही केस ऐसे हैं जिनके संबंध में यह झगड़ा है, और कोई केस इस तरह का नहीं है।

तिलहर तहसील में सिंचाई का कार्य

*२८—श्री सुरेन्द्रविक्रमसिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा बझेड़ा में ट्यूबवेल डिपार्टमेंट का सर्वे चल रहा है ? यदि हां, तो अभी तक क्या नतीजा निकला और सर्वे की रिपोर्ट क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

जी हां, सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है। नलकूपों पर बिजली लाने में अत्यधिक खर्चा होने के कारण इनका निर्माण करना उपयुक्त नहीं है।

*२९—श्री सुरेन्द्रविक्रम सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री को यह पता है कि जिला शाहजहांपुर में तहसील तिलहर में रेवती नाला नहर विभाग द्वारा खोद कर निकाला गया है और उस पर खेड़ा बझेड़ा कटरा मार्ग पर ग्राम सभा कुआडांडा के पास एक पुलिया नहर विभाग द्वारा मंजूर की गयी है ? यदि हां, तो उपरोक्त पुलिया कब तक बनेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में पुलिया के बन जाने की आशा है।

लखनऊ व इलाहाबाद में बिजली की दर में वृद्धि

*३०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ और इलाहाबाद में जो २ नया पैसा प्रति यूनिट की बिजली की दर में सरकार की स्वीकृति से बढ़ोत्तरी की गयी है वह किस आधार पर की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की छटवीं अनुसूची के पैरा १ के अनुसार लाइसेंसी को यह अधिकार है कि वह विद्युत के विक्रय दर का समायोजन इस प्रकार करें कि किसी भी वित्तीय वर्ष में जहां तक संभव हो, शुद्ध लाभ यथोचित प्रत्याय (Reasonable Return) से अधिक न हो।

*३१--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संबंधित बिजली कम्पनी ने २२ जनवरी, १९६३ की नोटिस में लेबर, कोयला और लकड़ी का कारण बिजली दर बढ़ाने के लिए दिया है ? क्या सरकार के पास उसके आंकड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां। बिजली कंपनी ने अपने नोटिस में यही कारण बताया है। कोयले की लागत और श्रमिक वर्ग के लिये निर्वाह व्यय देशनांक (Consumers Price-index number) में वृद्धि प्रकट करने वाले आंकड़े (Statements no. I & II) सदन की मेज पर रखे हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५३ पर)

*३२--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद और लखनऊ को बिजली कंपनी ने जो उक्त नोटिस में यह बताया है कि १ अप्रैल से १ नया पैसा ही बढ़ोत्तरी कर दी जायगी तो जनवरी के मास में ही कम्पनी को कैसे मालूम हो गया था कि कोल, लकड़ी और लेबर का चार्ज आगे एक पैसा कम हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० लखनऊ इलाहाबाद को चार माह तक (१-१२-१९६३ से ३१-३-१९६४) २ नये पैसे की वृद्धि करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि उक्त कम्पनियां १ अप्रैल, १९६४ से विद्युत दर को इस प्रकार संशोधित करें कि वृद्धि १ नये पैसे प्रति यूनिट तक ही सीमित रहे। इससे विदित होगा कि दर में १ नये पैसे प्रति यूनिट वृद्धि का संबंध कोयले, लकड़ी और लेबर का चार्ज कम होने से नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि बिजली की दर में इजाफा १-१२-६३ से हुआ तो नवम्बर और अक्तूबर में जो बिजली कन्ज्यूमर्स ने इस्तेमाल की उस पर भी यह २ नया पैसा की बढ़ोत्तरी क्यों वसूल की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

बिजली सप्लाई कानून में नियम यह है कि कम्पनी एक सीमित लाभ ही उठा सकती है, वह पहले ६ प्रतिशत था और अब साढ़े ६ प्रतिशत है।

उन्होंने जब हमें बताया कि हमारी बिजली कम्पनी घाटे में चल रही है, इस पर हमारे यहां से आडिट हुआ जो देर से हुआ थोड़ा-सा समय ही रह गया था ४ मास का और साल भर का वसूल करना था तो उतने समय के लिये २ नया पैसा और आगे के लिये १ नया पैसा बढ़ा दिया गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मेरा मतलब यह है कि नवम्बर-अक्तूबर में जो बिजली कनज्यूमर्स ने इस्तेमाल की उसका इन कम्पनियों में २ पैसा बढ़ा कर चार्ज किया है.....

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि बढ़ोत्तरी तो अलाऊ हुई १-१२-६३ से लेकिन कम्पनी ने अक्तूबर-नवम्बर से क्यों चार्ज किया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हम हर बिजली कम्पनी का हिसाब आडिट करते हैं और हर छोटे बड़े आइटम की डिटेल देखते हैं और साढ़े ६ प्रतिशत अलाऊ करने के बाद रिबेट का हिसाब लौटा देते हैं। इटावा वगैरह की ५–६ कम्पनियों में नहीं हुआ तो हमने बोनस भी फिक्स कर दिया। हम बहुत दिन से चाह रहे थे लेकिन हमारे आडिट में देर हो गई इसलिये २ पैसा कर दिया गया। अब भी हिसाब कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

तो यह जो बढ़ोत्तरी हुई है १–१२–६३ से हुई है या उसके पहले से हुई है ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इन कम्पनियों को ४ महीने के लिये १–१२–६३ से ३१–३–६४ तक २ नया पैसा बढ़ाने की अनुमति दी गई तो अक्तूबर-नवम्बर की बढ़ोतरी उन्होंने क्यों चार्ज की ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमने जो अनुमति दी वह यह थी कि—

"an increase of 2 n. p. per unit during the current year in such a manner as to enable the licensee to realise the higher rate from every consumer for a period of 4 months."

यह इजाजत हमने दी थी। अब यह कि किस तरह से रियेलाइज कर लिया उस की सूचना मेरे पास इस समय नहीं है उसको मंगा लूंगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मंत्री जी विश्वास दिलायेंगे कि जो उन्होंने कंज्यूमर्स से ज्यादा वसूल कर लिया है उसको वापस करायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी सूचना दे दें तो वह कार्यवाही करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मंत्री जी को पता है कि लखनऊ बिजली कम्पनी आज भी दो नया पैसा के हिसाब से वसूल कर रही है जब कि आप ने कहा है कि १ नया पैसा की इजाजत है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन जैसा माननीय मुमताज मुहम्मद खां ने कहा है रीजनेबिल रिटर्न से जितना भी ज्यादा हुआ वह सब कनज्यूमर्स को लौटा दिया जाय ऐसा हमारा नियम है। ऐसा हम कराते आये हैं और आगे भी करायेंगे।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

कम्पनी द्वारा रेट बढ़ाने के जो आंकड़े दिये गये थे उन कारणों की जांच सरकार ने करायी थी ? यदि हां, तो किस एजेन्सी के द्वारा ? या केवल फाइल पर ही संतोष करके रेट बढ़ाने की इजाजत दे दी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारे यहां स्टाफ है जो जांच करने का ही काम करता है और उन्होंने देखा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामायण राय जी, यह प्रश्न नहीं किया जा रहा है कि जांच ठीक नहीं हुई। सवाल तो यह है कि पहले से ले रहे हैं और माननीय ऊदल भी कह रहे हैं कि अभी तक ले रहे हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

बिजली कम्पनी से रेट बढ़ाने के बारे में जो नोटिसेज सर्व हुए हैं उसमें लिखा है कि लेबर, कोयला और लकड़ी वगैरह के भाव बढ़ने की वजह से रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ने जवाब दिया कि इन चीजों से दर बढ़ाने का कोई सम्बन्ध नहीं है। जरा इसको स्पष्ट कर दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दो पैसा और १ पैसा का इससे सम्बन्ध नहीं है, चार महीने का जो घाटा था उस को २ पैसे के हिसाब से ले लिया, और एक वर्ष में जो लेना था वह १ पैसा हो गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मंत्री जी बतायेंगे कि शुद्ध लाभ कितना हुआ १९६३-६४ में और रीजनेबिल रिटर्न कितना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कम्पनी ने बताया कि ३ लाख रुपये का नुकसान हुआ था १९६२-६३ में और करीब ६ लाख का नुकसान हुआ १९६३-६४ में। तो जब नुकसान होता है उनको अधिकार है मेक अप करने का। वह इजाजत उनको दे दी हमने।

श्री ऊदल—

मंत्री जी विचार करेंगे कि जो प्राइवेट कम्पनीज इलाहाबाद, लखनऊ में हैं और जो कोसी कलां में हैं यह आये दिन सरकार के पास स्टेटमेंट घाटे का बना कर भेजा करती हैं और भाव बढ़ाती रहती हैं। तो क्या मन्त्री जी जल्दी से जल्दी इनको अपने हाथ में लेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं कह चुका हूं कि इलाहाबाद और लखनऊ को हम अक्तूबर में लेने जा रहे हैं। कोसी कलां का जब लाइसेंस खत्म होगा तो उस को ले लेंगे। लेकिन वहां भी भाव कम हो जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि १९६२-६३ में कोयले की कमी थी जबकि वास्तव में कोई कमी नहीं थी, बहुत मौजूद था तो फिर भी कम्पनी ने घाटा दिखाया तो क्या माननीय मंत्री जी इसको फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे कि इनको रेट बढ़ाने की क्यों आज्ञा दे दी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जांच की तो बात नहीं है लेकिन जब कोयला २० रु० प्रति टन था तब भी वही रेट थे और जब ५० रु० प्रति टन रेट थे तब भी वही दाम हैं। उस को हम डिटेल में देख रहे हैं।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, हम लोग बड़े परेशान हैं। यह प्रश्न भी सारे प्रान्त का है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिजली कम्पनियों को आपने स्वतंत्रता दे रखी है। कोसी में बिजली का रेट १२ आने प्रति यूनिट है। तो क्या उनकी जांच कराके उनको सजा दी जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं आप की जानकारी के लिये बता दूं कि कोसी में बिजली कम्पनी जो चार्ज करती है उससे भी उनका नुकसान होता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी के पास कोई योजना है कि जिससे थर्मल प्लांट को छोड़ कर हाइडिल प्रोजेक्ट्स बनाये जायं जिससे प्रदेश में सस्ती बिजली प्राप्त हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बड़ी भारी योजना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि जो हाइडिल प्रोजेक्ट्स हैं वे १०–१२ वर्ष में मेच्योर नहीं होते। योजनाएं बड़ी भारी हैं।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि बड़ी भारी योजनाएं हैं और शाहजहांपुर में बिजली का रेट १० आने प्रति यूनिट है जो बहुत महंगी है तो क्या सरकार उस कम्पनी को लेकर राष्ट्रीयकरण करने की कृपा करेगी ताकि वहां पर जो एजिटेशन है वह समाप्त हो जाय ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने ४ महीने के लिए २ पैसा प्रति यूनिट बढ़ाने की इजाजत दी और उसके बाद १ पैसे की तो यह चीज समझ में नहीं आती। क्या वे इसे समझाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं अभी आपको यहां समझाने की कोशिश करूंगा और अगर यहां न समझा पाया तो आपके पास आकर समझा दूंगा। एक सिम्पिल-सी बात है। इस बिजली कम्पनी ने रिप्रेजेंट किया था कि उन्हें ६ लाख रुपये का नुकसान होता है। जब हमने देख लिया तो ४ महीने का समय रखा और आगे के लिये चूंकि १२ महीने मिलते थे तो इस तरह से एकाउन्ट को एडजेस्ट कर लिया।

*३३–३४—श्री सालिग्राम जैसवाल तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[हटा दिये गये।]

'केसा' कर्मचारियों की मांगें

*३५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि "केसा" कर्मचारियों (कानपुर) ने २१ मार्च, को जुलूस निकाल कर अपनी ५ मांगें सरकार के पास भेजी हैं ? यदि हां, तो वह मांगें क्या हैं और उस पर सरकार द्वारा कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, उनसे नौ मांगें प्राप्त हुई हैं। उनकी मांगों की सूची नत्थी किये व्योरे में दी गई है। इन पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है।

छापी नहीं गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केसा के कर्मचारियों ने राज्य विद्युत परिषद् में कब अपनी मांगें प्रस्तुत कीं और कब तक उन मांगों पर विचार सम्भव हो जायेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वे २१-३-१९६४ को मिलीं। कब तक वे इन पर विचार कर लेंगे यह तो मैं नहीं बता सकता पर मैं उनसे कहूंगा कि वे इन पर जल्दी से जल्दी विचार कर लें।

मोहम्मदी बस स्टेशन पर निर्माण-कार्य

*३६—श्री रामचरण शाह तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदी बस स्टेशन, जिला खीरी पर जो प्लेटफार्म जमीन पर इस समय बन रहा है इस पर पीली ईंट लगायी जा रही है ? क्या ठेकदार को पीली ईंट लगाने का ही ठेका दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कहीं-कहीं पर प्रथम श्रेणी से नीचे की ईंटों का प्रयोग ठेकेदार द्वारा किया गया था। वह ईंटें बदलवाई जा रही हैं। पीली ईंट लगाने का ठेका नहीं दिया गया था।

*३७—श्री रामचरण शाह तथा श्री मन्नालाल (अनुपस्थित)—

ठेकेदार को पीला ईंटा का रेट क्या दिया जा रहा है और अव्वल ईंटा का रेट क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

पहले भाग का प्रश्न नहीं उठता।

अव्वल दर्जे की ईंट का कन्ट्रोल भाव पत्थर के कोयले से पकाई हुई ४२ रु० प्रति हजार है जिसमें साइट तक पहुंचाने की कीमत भी शामिल है। लकड़ी से पकाई गई अव्वल ईंट का भाव भट्ठे पर ४० रु० ५० न० पै० है।

*३८—श्री रामचरण शाह तथा श्री मन्नालाल (अनुपस्थित)—

क्या पीला ईंटा प्लेटफार्म में लगाया जा सकता है ? यदि हां, तो किस इंजीनियर महोदय ने इसको स्वीकृत किया है ? कृपया उनका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

मधुवन थाने में १०७ के मुकदमे

*३९—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुवन थानान्तर्गत, जिला आजमगढ़ के किन-किन ग्रामों में कितने-कितने व्यक्तियों पर और कब से भारतीय दण्ड की धारा १०७ के अनुसार मुकद्दमा परगनाधीश की अदालत में विचाराधीन है ?

वित्त उप मन्त्री (श्री जयराय वर्मा)—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५४ पर)

*४०—श्री दौलत लाल (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त थानान्तर्गत ग्राम बस्ती में जिन व्यक्तियों पर उक्त धारा के अनुसर मुकद्दमा चल रहा है, क्या उच्च न्यायालय ने दो वर्ष के भीतर ही इस ग्राम के १०७ के मुकद्दमा का कोई निर्णय किया था ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—

परगनाधीश घोसी के न्यायालय में धारा १०७ दंड विधि संग्रह के अन्तर्गत इस समय ग्राम बस्ती में ७ व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है। उनमें से कुछ व्यक्तियों पर सन् १९६० में भी मुकदमें चल रहे थे। उच्च न्यायालय ने दो वर्ष भीतर ही उस गांव के दो मुकदमों का निर्णय दिया है जिसके अनुसार उन मुकदमों की कार्यवाही रद्द की गई और अभियुक्त बरी किये गये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बतायेगी कि उच्च न्यायालय में मुकदमे दो बार कब-कब गये थे और उनको उसने कब-कब खारिज किया ?

श्री जयराम वर्मा—

एक मुकदमे का फैसला ५-४-६३ को और दूसरे का ३-४-६३ को फैसला हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सूची संलग्न है स्टेट बनाम विष्णुदेव पर मुकदमा विचाराधीन शुरू हुआ है १३-८-६३ को। उसके ठीक दो, चार महीने पहले उच्च न्यायालय में उन्हीं व्यक्तियों पर मुकदमा खारिज किया गया है। तो क्या कारण थे कि उन्हीं व्यक्तियों पर पुनः मुकदमा चलाया जा रहा है?

श्री जयराम वर्मा—

हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग क्वेश हुई थी वह टेक्निकल आधार पर हुई थी। यह नहीं था कि वे जुर्म के अन्दर नहीं आते थे। नई आशंकायें जब हुईं ब्रीच आफ पीस की तो उनके आधार पर मुकदमा कायम किया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

किन-किन व्यक्तियों पर मुकदमा रद्द करने के आदेश अदालत ने दिये थे और जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है उनमें कौन-कौन आदमी शामिल थे ?

श्री अध्यक्ष—

आपने उत्तर यह दिया है कि कुछ टेक्निकल बातों पर मुकदमा वापस हो गया। फैक्ट्स पर वे बरी नहीं किये गये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उत्तर में लिखा है कि मुकदमे की कार्यवाही अदालत ने रद्द कर दी और अभियुक्त बरी कर दिये गये तो ऐसी हालत में उन्हीं अभियुक्तों पर दो, चार महीने के बाद किस प्रकार शान्ति भंग करने का अंदेशा हो गया जिसके कारण पुनः मुकदमा चलाया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—

नई आशंकायें ब्रीच आफ पीस को पैदा हुईं जिनके आधार पर मुकदमा चलाया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कौन-सा आधार है उन आशंकाओं का ?

श्री जयराम वर्मा—

वहां के थाने में फिर से रिपोर्ट की गयी कि शान्ति भंग की फिर से आशंका पैदा हो गयी है। उसी आधार पर कार्यवाही की गयी।

श्री रियासत हुसैन —

हाई कोर्ट से जिस तारीख को वह प्रोसीडिंग्स क्वैश हुई उसके बाद जब दोबारा उन पर १०७ का मुकदमा चलाया गया इस बीच में किस-किस तारीख को ऐप्रोहेन्शन आफ ब्रीच आफ पीस की रिपोर्ट थाने में लाज हुई जिसके आधार पर दोबारा मुकदमा चलाया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

इतने विस्तार में सूचना नहीं है, नोटिस चाहिये।

गाजियाबाद तहसील से नलकूपों में खराबी की शिकायत

*४१—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मोरटी तहसील, गाजियाबाद से कोई इस किस्म की शिकायत आयी है कि २६,३०,३१ नलकूपों की नालियां ठीक नहीं बनी हुई हैं और वे अक्सर टूट जाती हैं ? जिस से फसल को पानी समय से नहीं मिलता है ? अगर हां, तो क्या मन्त्री जी उनको फिर से बनवाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

नलकूप संख्या २६, ३० तथा ३१ (न कि नलकूप सं० ३१) की गूलों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे। जांच-पड़ताल करने पर गूलों में कोई खराबी नहीं पाई गई अतः उनको फिर से बनवाने का प्रश्न नहीं उठता।

*४२—श्री तेजसिंह—

क्या इस गांव की असिंचित भूमि के लिए एक और नलकूप लगाने पर विचार हो रहा है ? अगर हां, तो कब तक नया नलकूप लग जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*४३—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

[हटा दिया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न ४० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४४—श्री ऊदल—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

वेस्ट इलाहाबाद ब्रांच नहर का निर्माण

*४५—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि West Allahabad Division Canal जिसका निर्माण आरम्भ हो गया है कब तक पूरी होकर, रबी और खरीफ की सिंचाई के लिये बराबर पानी देने लगेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रोग्राम के अनुसार नहर का निर्माण-कार्य १९७०–७१ तक पूर्ण होने की सम्भावना है। रामगंगा बांध से पानी प्राप्त होने पर इस नहर से सिंचन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

*४६—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि यह नहर कितने मील लम्बी होगी और उसमें से कितने मील लम्बे बम्बे निकलेंगे और कुल कितने क्षेत्रफल को सींचेगी तथा कुल लागत क्या होगी ?

श्री गिरधारीलाल—

मुख्य वेस्ट इलाहाबाद ब्रांच की लम्बाई १९८ मील ६ फर्लांग होगी और इससे निकलने वाले कुल बम्बों की लम्बाई लगभग ७६५ मील होगी और कुल सालाना ४ लाख ७२ हजार एकड़ भूमि की इससे सिंचाई होगी। इस पर कुल लागत ३ करोड़ ८७ लाख रुपया होगी।

फतेहपुर जिले के लिए विद्युत योजना

*४७—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला फतेहपुर के किन-किन स्थानों के विद्युतीकरण की योजना है ? उनमें से कितने स्थानों का विद्युतीकरण अब तक हो चुका है तथा शेष स्थानों को पूर्ण करने की क्या योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला फतेहपुर में निम्नलिखित १० स्थानों को विद्युतीकरण के लिये अब तक चुन लिया गया है। उसमें से प्रथम ४ स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है और शेष स्थानों का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में सम्पन्न होने की सम्भावना है।

१—औंग, २—मौहर, (३) जहानाबाद, (४) बिन्दकी रोड, (५) देवमाई, (६) हसवा, (७) खागा, (८) शाह, (९) रामपुर तयन, (१०) सौंत।

*४८—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४९—श्री रक्षपालसिंह—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले में विद्युत योजना

*५०—श्री राजाराम तथा श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६३–६४ में फैजाबाद जिले के किन-किन गांवों में जिलों का विस्तार किया गया तथा इस वर्ष, १९६४–६५ में किन-किन गांवों में बिजली लगाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

फैजाबाद जिले में वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में ३७ स्थानों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा १९६४–६५ में विद्युतीकरण के लिये अभी तक ८ स्थानों को चुन लिया गया है। इन स्थानों के नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३५५ पर)

*५१—श्री राजाराम तथा श्री सुखरामदास—

क्या यह सही है कि पूरा ग्राम जिला फैजाबाद में बिजली लगायी गयी है परन्तु वह उस गांव के उत्तरी भाग में नहीं ले जायी गयी, यद्यपि वहां के कतिपय निवासियों ने बिजली लेने के प्रार्थना-पत्र भी दिये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

पूराबाजार (उर्फ जलालउद्दीन नगर), जिला फैजाबाद का विद्युतीकरण नवम्बर, १९६३ में हो चुका है। इस ग्राम के केवल छोटे से उत्तरी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण भाग में बिजली के खम्भे लगाये गये हैं, क्योंकि इस भाग में अधिकतर कच्चे ही मकान हैं और एक दूसरे से काफी दूर पर स्थित हैं। जैसे ही पर्याप्त संख्या में उपभोक्ता बिजली लेने के लिये आवेंगे जिससे कि बढ़ाये जाने वाले खम्भों पर होने वाले व्यय पर परिषद् को उचित लाभ मिले तो उत्तरी भाग में खम्भों का विस्तार किया जायेगा।

*५२—श्री ऊदल—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर-मऊ मार्ग पर प्राइवेट बस सर्विस

*५३—श्री रघुवीर तथा श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर ग्राम औड़िहार, रेलवे स्टेशन से गाजीपुर, गाजीपुर से यूसुफपुर, मुहम्मदाबाद, अलावलपुर, गंगौली, कासिमाबाद, बहादुरगंज मऊ, जिला आजमगढ़ तक एक प्राइवेट गाड़ी चलायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या जिन रोडों पर वह गाड़ी चलती है, उन्हीं रोडों पर रोडवेज की बसें भी चलती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

कथित मार्ग के गाजीपुर–कासिमाबाद वाया अलावलपुर—यूसुफपुर भाग पर रोडवेज की बसें भी चल रही हैं।

*५४—श्री रघुवीर तथा श्री झिलमिटराम—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त गाड़ी का परमिट कब दिया गया और किसके नाम से है और कितने सौ मील यह गाड़ी चलती है और इसके चलने से सरकार को कितने रुपये की क्षति हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१० फरवरी सन् ५५ को परमिट दिया गया। परमिट श्री अब्दुल बारी, मीरगंज निवासी चौक, इलाहाबाद के नाम से था जो १०-६-५७ से श्री रहमत अली के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया है। मार्ग की लम्बाई ६४ मील है। इसलिये यह बस एक पूरे ट्रिप में १२८ मील चलती है। इस गाड़ी के चलने से सरकार को कोई आर्थिक क्षति नहीं होती है क्योंकि उक्त मार्ग के रोडवेज वाले भाग पर उक्त बस को यात्री उतारने और चढ़ाने की इजाजत नहीं दी गई है।

*५५-५७—श्री शराफतहुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५८-५९—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६०-६२—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

फीरोजाबाद तहसील में बूड़ा से क्षति

*६३—श्री शिवचरण—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला आगरा तहसील फीरोजाबाद उत्तर में सरसा व सेन्गर नदी की बाढ़ से हर साल गरकी से धन-जन तथा पशु, मकान की काफी क्षति होती है? यदि हां, तो इन नदियों कों बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इन नदियों की जलोत्सारण क्षमता बढ़ाने के प्रोजेक्ट बना लिये गये हैं। इन पर यदि राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की स्वीकृति मिल गई तथा आवश्यक धन उपलब्ध हो गया तो इन्हें कार्यान्वित किया जा सकेगा।

*६४—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में विद्युत योजना

*६५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर के अन्तर्गत केशोपुर, बंधवा रोड पर बरसठी भन्नौर, सुखलालगंज, तेजगढ़, जमालपुर, गोपालपुर, भवानीगंज, नोनारी बाजारों में बिजली १९६४ तक लगाने के लिये व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो बिजली कब तक लग जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारी लाल—

सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। जोस्थान विद्युतीकरण के लिये उपयुक्त पाये जायेंगे उनका विद्युतीकरण १९६४-६५ में प्रारम्भ किया जायेगा।

लखनऊ महादेवा सड़क पर बस दुर्घटना

*६६—श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ११ फरवरी, १९६४ ई० को लखनऊ (कैसरबाग) महादेवा रोड पर कोई रोडवेज बस दुर्घटना हुई? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और उसमें कितने व्यक्तियों की जानें गयीं? क्या सरकार मृतक परिवार को सहायता देने पर विचार कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

इस सम्बन्ध में अभी जांच हो रही है इसलिये दुर्घटना के निश्चित कारण बताना सम्भव नहीं हैं। उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जांच के उपरान्त जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुआवजा देने के विषय पर विचार हो सकेगा।

सिंचाई संबंधी शिकायतें दूर करने के लिये आदेश

*६७—श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि सरकार को कृषि उत्पादन उप समिति (Agriculture Production Sub-Committee) ने गत वर्ष निर्णय किया था कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई इस प्रकार के सख्त आदेश जारी करें कि नहर तथा नलकूपों के कार्य के सम्बन्ध की शिकायतों के निराकरण में जो पदाधिकारी सुस्ती करेंगे उनको चेतावनी के बजाय अधिक सख्त सजा दी जायेगी?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां।

*६८—श्री शिवराजसिंह—

यदि हां, तो क्या मुख्य अभियन्ता द्वारा उपरोक्त आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां।

*६९—श्री शिवराजसिंह—

क्या सरकार इन आदेशों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—

प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३५६ पर)

*७०-७१—श्री कल्पनाथसिंह—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७२—श्री ऊदल—

[हटा दिया गया।]

परगनाधीश, बीसलपुर की अदालत में श्री बयानसिंह का मुकदमा

*७३—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६ मई, १९६२ से हाकिम परगना बीसलपुर, जिला पीलीभीत की अदालत में श्री बयान सिंह वगैरह ग्राम दियोरिया, जिला पीलीभीत के काश्तकारों द्वारा दफा १३३ सी० आर० पी० सी० की मिसिल मय हुक्म के रेकार्ड रूम से गायब है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—

जी नहीं, मिसिल मौजूद है।

अतारांकित प्रश्न

१–३—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

[१० वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

हमीरपुर जिले में बसों से फेरी टैक्स

४—श्री शिवनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हमीरपुर के अन्तर्गत यमुना व बेतवा नदियों से घाट पार होने वाली रोडवेज बसों का कितना कितना रुपया फेरी टैक्स के रूप में घाट के ठेकेदार को सन् १९६०, १९६१ व १९६२ व १९६३ में देना पड़ा?

श्री मुजफ्फर हसन—

सन् १९६० व १९६१ में फेरी टैक्स नहीं देना पड़ता था। सन् १९६२ व १९६३ में क्रमशः ७०,३३५ रु० ७५ न०पै० और ९०,७६० रु० १० न०पै० दिया गया।

कानपुर रोडवेज क्षेत्र में बुकिंग क्लर्कों की ड्यूटी

५—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज के कानपुर रीजन में ऐसे स्टेशन कितने हैं कि जहां पर केवल एक ही बुकिंग क्लर्क काम करता है?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसे ६० बस स्टेशन हैं।

६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जहां एक ही बुकिंग क्लर्क है वहां उसे नित्य प्रातःकाल कितने बजे ड्यूटी में आना पड़ता है तथा अंतिम बुकिंग कितने बजे तक करनी पड़ती है और इस प्रकार कितने घंटे प्रति दिन ड्यूटी करनी पड़ती है?

श्री मुजफ्फर हसन—

वांछित †सूचना संलग्न है। अधिकतर ड्यूटी ८ घंटे की है। कुछ Cases में ड्यूटी ९ घंटे की भी है, और इन Cases में Rules के अनुसार Overtime दिया जाता है।

---

†छापी नहीं गई।

७—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ८ घंटे से अधिक काम करने वालों को सरकार ओवर टाइम देने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

८ घंटे से अधिक कार्य करने वालों को ओवर टाइम दिया जाता है ।

मथुरा जिले में प्राइवेट बस सर्विस

८—श्री लक्खी सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में प्राइवेट गाड़ी चलाने के लिए कौन-सी सड़कें हैं और इन पर १९५७ से अब तक किस-किस को परमिट दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३५७–३५८ पर)

परिवहन क्षेत्र, कुमायूं में नियुक्तियां

९—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से अब तक परिवहन विभाग के कुमायूं रीजन में कुल कितनी नियुक्तियां हुयी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१९६० से १५–४–६४ तक क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कुल ६६६ नियुक्तियां की गई हैं ।

परिवहन क्षेत्र, मेरठ एवं देहरादून में नियुक्तियां

१०—श्री रामआसरे तथा श्री शिवनाथसिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से अब तक परिवहन विभाग, मेरठ तथा देहरादून रीजन में कुल कितनी नियुक्तियां हुयी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१९६० से १५–४–६४ तक कुल ३, २४७ नियुक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की गई हैं । इनमें से ८८१ नियुक्तियां देहरादून डिपो की हैं ।

११—श्री रामआसरे तथा श्री शिवनाथसिंह—

[हटा दिया गया ।]

परिवहन क्षेत्र, गोरखपुर में नियुक्तियां

१२—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से अब तक परिवहन विभाग के गोरखपुर रीजन में कुल कितनी नियुक्तियां हुयी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सन् १९६० से १५-४-६४ तक २,००७ नियुक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की गई हैं।

१३--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

परिवहन क्षेत्र, आगरा में नियुक्तियां

१४--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से अब तक परिवहन विभाग के आगरा रीजन में कुल कितनी नियुक्तियां हुयी हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा १९६० से १५-४-६४ तक कुल १,९६५ नियुक्तियां की गई हैं।

परिवहन क्षेत्र, लखनऊ में नियुक्तियां

१५--श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से अब तक परिवहन विभाग के लखनऊ रीजन में कुल कितनी नियुक्तियां हुयी हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--

१५-४-६४ तक क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा १,७४१ नियुक्तियां की गई हैं।

परिवहन क्षेत्र, कानपुर में नियुक्तियां

१६--श्री पितईराम (जिला रायबरेली)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से अब तक परिवहन विभाग के कानपुर रीजन में कुल कितनी नियुक्तियां हुयी हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--

कानपुर रीजन के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा १५-४-६४ तक कुल २,१९८ नियुक्तियां हुयी हैं।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, हम यह जानना चाहते हैं कि यह सदन कब तक चलेगा और कब समाप्त होगा?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

सदन का कार्यक्रम तो कल घोषित किया जा चुका है। क्या उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है?

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक आज हुई थी। मैं पढ़े देता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी ५ मई, १९६४ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित कार्यों के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

यह प्रस्ताव तो एजेंडे के आइटम्स के बाद आयेगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब एक प्रश्न पूछा गया तो कोई हर्ज भी नहीं है ।

१—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४।
पर विचार एवं उसका पारण....५ मई, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक ।

२—भारत का संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित कारपोरेशन्स द्वारा चलाये जाने वाले गोदामों में उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों का संग्रहण इस राज्य में संसद् द्वारा बनायी गयी विधि से विनियमित किये जाने के संबंध में संकल्प पर विचार एवं उसका पारण ६ मई, १९६४ को अपरान्ह १ बजे तक ।

३—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४
पर विचार एवं उसका पारण ...६ मई, १९६४ को १ बजे अपरान्ह से २–३० बजे अपरान्ह तक ।

४—नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन)
विधेयक, १९६४ पर विचार एवं उसका पारण ..
६ मई, १९६४ को २–३० बजे अपरान्ह से ७ मई, १९६४ को ५ बजे तक ।

५—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव, से सहमति के प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण ७ मई, १९६४ को ५ बजे अपरान्ह से ५–३० बजे अपरान्ह तक ।

विधान सभा ७ मई, १९६४ की बैठक के उपरान्त अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो जायगी। यह हुआ है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

नियम १३१ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चहता हूं । जितने विधेयक इस सदन के सामने आयें उनसे सम्बद्ध जो कागजात हों उनको आज हमें दिला दें तब ठीक होगा वरना नहीं ।

दूसरी चीज यह है कि तीन-तीन, चार-चार दिन के लिये सरकार सदन की बैठक बुला रही है और कितना रुपया जनता का खर्च हो रहा है और यह सब पार्टीबाजी के लिए करती है, क्योंकि कांग्रेस के इलेक्शन हो रहे हैं । श्रीमन्, ऐसी चीजें आइंदा दुहराई न जायं क्योंकि जितने विधेयक आये हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें मियाद का सवाल हो ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह अनिश्चित काल के लिये आपने बीमारी क्यों लगा दी ? आपने बताया था कि जब सदन उठेगा तो आप बता देंगे कि फिर कब बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं बता दूंगा ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में संकल्प

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, यह सदन निम्नलिखित कार्यों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय-निर्धारण से सहमत है—

१—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४।

२—भारत का संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित कारपोरेशन्स द्वारा चलाये जाने वाले गोदामों में उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों का संग्रहण इस राज्य में संसद द्वारा बनाई गई विधि से विनियमित किये जाने के संबंध में संकल्प।

३—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४।

४—नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४।

५—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव से सहमति का प्रस्ताव।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि सरकार इस तरीके से अनुचित बातें करती रही है । पिछले बजट सत्र के दौरान में हमें प्रोग्राम दिया गया था १७ अप्रैल तक असेम्बली चलने का और इस बीच में दो बार एसेम्बली को एडजर्न बिना कारण किया गया, बल्कि कांग्रेस के चुनाव के कारण एडजर्न की गई । यह प्रजातांत्रिक परम्परा के प्रतिकूल है कि एक बार प्रोग्राम दिया जाय और हम लोग तैयारी करके आयें और बीच-बीच में इस तरह का व्यवधान हो । तो इससे परेशानी के साथ-साथ जनता के रुपये का भी दुरुपयोग होता है । पहले ३० तारीख को सदन एडजर्न हुआ और १३ तारीख को बुलाकर १५ को फिर ऐडजर्न कर दिया । अब ४ मई को बुलाकर ७ मई को एडजर्न करने जा रहे हैं । इस तरीके से जनता के ऊपर कितने ही कर लगाये जा रहे हैं और पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से ७ तारीख को कमेटियों के चुनाव का मतदान होना था उसकी कोई सूचना नहीं दी गई । आप कृपया इस पर भी प्रकाश डाल दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जो कार्यक्रम सदन में दिया गया है उसका मैं विरोध करता हूं और इसमें कोई असरकारी दिवस नहीं रखा गया है। हमें इस तरह से राय जाहिर करने का मौका नहीं दिया गया है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, आपकी अध्यक्षता में जो कार्यक्रम चल रहा है उससे कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि आप जिस पुनीत आसन पर विराजमान हैं, उस पर विराजमान व्यक्ति को किसी दल विशेष का सदस्य नहीं होना चाहिये। आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और कांग्रेस के चुनाव में सक्रिय भाग लेते हैं। यही नहीं। हम लोगों ने पढ़ा कि आपके और जयराम वर्मा जी के दल के बीच में मुठभेड़ हुई और लठैत बुलाये गये।

श्री अध्यक्ष—

मुझे नहीं मालूम। मेरे सामने लठैत नहीं आये।

श्री मैनेजर सिंह—

अखबार में था। यह व्यवस्था ठीक नहीं है कि चुनाव के कारण असेम्बली बुलाएं और फिर स्थागित कर दें। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस पर चिन्तन करें कि इस प्रकार कैसे कार्य चलेगा। मैं इसका विरोध करता हूं और जो कार्यक्रम पहले था, जिसके लिए हमको बुलाया गया था, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अभी कल नियम ५२ के अन्तर्गत आपने सोशलिस्ट पार्टी वालों का स्वीकार किया था, ११ तारीख के लिए, बाराबंकी में बहुत हत्याएं होने के कारण। आज आपने स्थगित करने का प्रस्ताव किया। वह बहुत अहम मामला है। एक पार्टी के विधायक नेता लोग मारे जायं और कत्ल हों।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में केवल कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे या और लोग भी बुलाये गये थे ?

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय राधेश्याम से पूछ लें।

श्री दीपनारायण सिंह—

अगर स्थगित हो हो रहा है तो कल या परसों ही इस पर डिस्कशन हो जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन को यह निश्चित रूप से बता दिया था कि जब-जब सदन स्थगित होगा उसको तारीख दे दी जायगी, अनिश्चित काल के लिये जैसा कि आपने कहा, नहीं स्थगित होगा। नेता सदन बैठे हुए हैं। वह बतला दें कि सेशन कब होगा।

[श्री नेकराम शर्मा]

दूसरा निवेदन यह है कि सदन कब तक चलेगा यह निर्णय सदैव लीडर्स आपस में बैठ कर तय करते रहे हैं। कार्य-मंत्रणा समिति का यह अधिकार है कि कौन-सा विधेयक कब लिया जायगा यह तय करे। लेकिन यह कि सेशन कब स्थगित कर दें, यह कार्य कार्य-मंत्रणा समिति तय करे, यह नयी प्रथा आपने डाली। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अगर सदन को जल्दी बन्द करना है तो लीडर आफ अपोजीशन और लीडर आफ दि हाउस बैठ कर निर्णय कर लें तो अच्छा हो।]

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मैं माननीय नेकराम शर्मा से सहमत हूं कि यह कार्य-मंत्रणा समिति का काम नहीं है कि सदन कब चलेगा कब नहीं चलेगा। विधेयकों को कितना समय दिया जाय यह कार्य-मंत्रणा समिति निश्चित करती है। कांग्रेस के चुनाव के लिए गैर-सरकारी दिवस नहीं काटना चाहिये। वंशोधर जो वहां जल्दी-जल्दी में पास करवा लेते है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन यह है कि कुछ दिन पूर्व २ तारीख को एक पत्र मैंने लिखा था कि प्रवर समिति की बैठक दो दिन में दो बार टाली गयी। उस पत्र में मैंने आग्रह किया था। हम सदस्यों को अपना समय ऐडजस्ट करना पड़ता है। मैं यह नहीं समझता था कि असरकारी दिवस लिये जायंगे। अभी अभी लाबी सरकिल्स में यह बात थी। अपने चुनावों के लिये ५ दिन के लिये टाल दिया। यह अनुचित है। सदन के कार्यक्रम की कोई चिन्ता नहीं है। आप कांग्रेस वालों को आदेश दें कि वे कभी भी ऐसे कार्यक्रमों को न फिक्स करें क्योंकि उनके दल के कार्यक्रम तो आगे पीछे घट बढ़ सकते हैं, लेकिन सदन के कार्यक्रमों के साथ आप इस तरह का मजाक न किया करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

इसके संबंध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि अभी जो प्रस्ताव रखा गया है वह अनुचित है। मैं भी उसका विरोध करता हूं। हम लोगों के पास जो कार्यक्रम था वह ११ तारीख तक के लिये था और उसमें २ असरकारी दिवस थे और बाकी विधेयकों के लिये, लेकिन पता नहीं अब क्यों यहां नया प्रस्ताव आ रहा है कि अब सदन ७ तारीख तक ही चलेगा। इस के अलावा माननीय दीपनारायणसिंह जी ने जो बात कही कि भगवती प्रसाद वर्मा जी का जो कत्ल हुआ है उसके लिये वक्तव्य के संबंध में ११ तारीख रखी गयी है। पता नहीं क्यों इस तरह का उलझाव किया जा रहा है कि एक बार कार्यक्रम निश्चित करके हम लोगों को दिया जाता है और फिर किस तरह से जल्दी से जल्दी छुट्टी लेने की सरकार कोशिश करती है? मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से वंशोधर जी पांडेय ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, कार्य-मंत्रणा समिति में सभी दलों के लोग प्रायः मौजूद थे। उसमें राधेश्याम जी भी थे और रामायण राय जी भी थे। सब की राय से ही यह तय हुआ था। असरकारी दिवसों को आगे सेशन में देख लिया जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

सभी दलों में जनसंघ दल को निकाल दें।

श्री अध्यक्ष---

वह ठीक है, आपको आमंत्रण तो था।

अनिश्चित काल के संबंध में जो बात कही गयी है वह ठीक है। यह बात कार्य-मंत्रणा समिति के सामने भी आयी और जो प्रतिनिधि आपके वहां पर मौजूद थे उन्होंने उठाया था। हमारी कठिनाई यह हो रही है कि हमारे इस तरफ के जितने कमरे हैं उनकी छतें ठीक होनी हैं और उनको ठीक कराया जा रहा है। उनको फिर से बनवाया जायगा। उनके बनने में कितना समय लगेगा, यह अनिश्चित होने की वजह से हम समय निश्चित नहीं कर पाये हैं।

श्री उग्रसेन—

यह तो ठीक है कि छत बनें क्योंकि अगर वह नहीं बनेगी तो हमारे शिर पर गिरेगी। लेकिन प्रदेश में जो बवंडर है उसको देखते हुए दारुलशफा के सामने तम्बू डाल कर हमारा कार्य-क्रम होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अगर ऐसी बात आयेगी तो वह भी हो जायगा।

अब प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के प्रस्ताव से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

साधारण नियम तो यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति के निश्चयों को हाउस को मानना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अगर यह स्वीकार नहीं होगा तो फिर से समिति को वापस किया जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार समझती है कि अधिक लोग इस मत के हैं जो इस पक्ष में नहीं हैं तो सदन के इस ओर के सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये इसे वापस ले लें और कार्य-मंत्रणा समिति फिर से बुला लें।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह कोई बिल नहीं है कि जिस पर वोटिंग हो, यह तो मंत्रणा समिति का प्रस्ताव आपके समक्ष रखा गया है।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, इसकी वोटिंग लाबी में होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नियम २२७ यह है कि यह सदन समिति द्वारा प्रस्तावित समय के बंटवारे को स्वीकार करता है। अब यह स्वीकृति सिवाय वोटिंग के और यह क्या किसी तरीके से हो सकती है, यह मैं जानता नहीं। यह हो सकता है कि अगर यह स्वीकार न हो तो इसका परिणाम केवल यह होगा कि कार्य-मंत्रणा समिति को पुनर्विचार के लिए भेजा जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—११६,
विपक्ष में—७६।)

प्राक्कलन समिति का सप्तम प्रतिवेदन†

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट](जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से समिति का यह सप्तम प्रतिवेदन, जो औद्योगिक क्षेत्र एवं आस्थानों से संबंधित है, सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

समिति उद्योग के विषय में एक प्रतिवेदन पहले प्रस्तुत कर चुकी है। प्रस्तुत प्रतिवेदन विशेषत: प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र तथा आस्थानों से संबंधित है। समिति ने आगरा और नैनी में स्थित औद्योगिक आस्थानों को स्वयं देखा और उनकी पंजाब में स्थित औद्योगिक आस्थानों से तुलना भी की।

आज प्राय: देश के सभी अर्थशास्त्री यह स्वीकार कर चुके हैं कि देश की समृद्धि और विशेषत: बेरोजगारी की समस्या केवल बड़े-बड़े उद्योगों के विकास से ही पूरी नहीं हो सकेगी, उसके लिए छोटे उद्योगों का पनपना बहुत आवश्यक है। इसी दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों और आस्थानों की योजना बनाई गई। इस समय में सात स्थानों पर यह योजना सम्पन्न की जा रही है। समिति इस निष्कर्ष पर आई कि इन औद्योगिक क्षेत्रों के स्थापित करने में आवश्यकता से अधिक विलम्ब हो रहा है और उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। अत: यह परम आवश्यक है कि कोई समय का टार्गेट निश्चित किया जाय जिनके भीतर यह कार्य सम्पन्न हो सके।

अपने भ्रमण के बाद समिति इस निश्चय पर आई कि इन आस्थानों की स्थापना के लिए यह परम आवश्यक है कि पानी व बिजली की व्यवस्था उद्योग लगाने वाले व्यक्तियों पर न छोड़ा जाय, अपितु यह कार्य सरकार को स्वयं करना चाहिये और इनके लिए उद्योग विभाग तथा विद्युत् परिषद का पूर्ण कोआपरेशन तथा कोआर्डिनेशन होना चाहिए। समिति को दुख है कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों की योजना, जो प्रदेश के लिये बनाई गई हैं, उसमें से एक भी उत्पादन के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। समिति ने सुझाव दिया है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों को शहरी आबादी से बहुत दूर न रखा जाय, अन्यथा उनके विकास में और भी अधिक समय लगेगा। उत्तर प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये १५ औद्योगिक आस्थानों की स्वीकृति हुई थी जिनमें ८ बनकर तैयार हो गई हैं और शेष ७ पर कार्य जारी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४० आस्थानों को स्थापित करने की योजना है। सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार इन औद्योगिक आस्थानों द्वारा पिछले वर्षों में ४५ लाख रुपये का सामान तैयार किया गया जब कि उनमें १६५ लाख रुपया प्रति वर्ष माल तैयार करने की क्षमता है। समिति ने इस प्रगति पर असन्तोष प्रकट किया है और इस बात का जोर दिया है कि पहले जो औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जा चुके हैं उनमें पूर्ण सफलता प्राप्त की जाय चाहे नये औद्योगिक आस्थानों में से कुछ को छोड़ना पड़े।

समिति को यह बतलाया गया कि इन औद्योगिक आस्थानों में सब से बड़ी समस्या कच्चे माल की उपलब्धि की है और यह एक गम्भीर रूप धारण किये हुये है। इस दिशा में पंजाब के औद्योगिक आस्थान बहुत अच्छी हालत में हैं और उत्तर प्रदेश के अनुपात में उनको कच्चे माल का कोटा बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। समिति ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार को बाध्य करे कि कच्चे माल का कोटा उत्तर प्रदेश के लिये बढ़ाया जाय।

आगे चल कर समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि उद्योग निदेशक, कानपुर के यहां से कच्चे माल का कोटा प्राप्त करने में उद्योगपतियों को बहुत समय लगता है जिससे उनका उत्साह आरम्भ में ही भंग हो जाता है और औद्योगीकरण की गति अवरुद्ध हो जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

समिति ने सिफारिश की है कि कच्चे माल का सारा कोटा जिला अधिकारी के नियंत्रण में रखा जाय और वहीं से उसको वितरित किया जाय। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अधिक से अधिक प्रार्थना-पत्र देने के ६० दिन के अन्दर उसका निस्तारण हो जाना चाहिये। समिति के मत से पंजाब में छोटे उद्योगों की प्रगति का मुख्य रहस्य यही है कि वहां संबंधित आवेदन पत्र जल्दी तय होते हैं। यही दशा ऋण तथा अनुदान के बारे में है। इस विषय में भी समिति की जानकारी में आवश्यकता से बहुत अधिक विलम्ब होता है और प्रार्थी को बहुत घूमना फिरना पड़ता है। समिति ने सिफारिश की है कि प्रार्थना पत्र देने के ६० दिन के अन्दर ऋण अवश्य मिल जाना चाहिये यदि अन्यथा वह आवेदन पत्र स्वीकार होने योग्य हो।

समिति ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में लिये जाने वाले ऋणों पर व्याज की दर की भी तुलना की और वह सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश में जो व्याज सरकार द्वारा लिया जाता है उसकी दर अधिक है। समिति का निश्चित मत है कि इस दिशा में अधिक सुविधा दी जाना नितान्त आवश्यक है।

समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि जिला उद्योग समितियों को जीवित समिति बनाया जाय और उनमें गैर-सरकारी उपाध्यक्ष भी रखे जायं। प्रदेशीय स्तर पर उद्योगों का परीक्षण हो और जो उद्योग जिस क्षेत्र में चलाये जाने योग्य घोषित किये जायं केवल उन्हें उसके लिये अनुदान, ऋण एवं अन्य प्रकार की सहायता दी जाय। समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि पंजाब के अनुभव से लाभ उठाकर हमें अपने छोटे उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिये और उसके लिये ठोस सुझाव दिये हैं।

समिति ने प्रदेश में निर्यात कारपोरेशन की स्थापना पर बहुत जोर दिया है जिसके द्वारा प्रदेश में बने हुये माल प्रदेश के बाहर और देश के बाहर भेजा जा सके। पंजाब में इस प्रकार का निर्यात कारपोरेशन बड़ी सफलता से कार्य कर रहा है। पिछले वर्ष में हमारे प्रदेश के इटावा जिले से एक लाख छपे हुये बेड कवर्स लेकर इस कारपोरेशन ने देश के बाहर भेजे हैं। समिति ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया है कि इस ओर सरकार का ध्यान जा चुका है और इस बात पर बल दिया है कि इस निर्यात कारपोरेशन की शीघ्र स्थापना की जाय।

श्री अध्यक्ष--

(मुख्य मंत्री से) नियम ५२ के अन्दर जो सूचना आई, उनके लिये ११ और ८ तारीख मुकर्रर हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये सूचना जल्दी मंगा ली जायं। जो ११ और ८ तारीख के लिये निर्धारित है वह ७ तारीख को ली जायगी।

प्राक्कलन समिति का अष्टम प्रतिवेदन†

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से समिति का यह उत्तराखंड मंडल से सम्बद्ध अष्टम प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी २३ व २४ जुलाई, १९६२ की बैठक में अन्य विभागों के साथ उत्तराखंड मंडल के विकास से सम्बद्ध प्राक्कलनों की जांच का कार्य भी लिया था और उसके लिये एक उप समिति का गठन हुआ था जिसके संयोजक श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट जी थे।

उत्तराखंड मंडल से संबंधित प्राक्कलनों की जांच के लिये उप समिति ने केवल विभागीय सूचना को ही पर्याप्त नहीं समझा बल्कि स्थानीय निरीक्षण करने का भी निश्चय किया। इस दिशा में समिति के सामने काफी कठिनाई आई समिति को कई बार अपना

---

† छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा जिसके फलस्वरूप समिति के सदस्यों में काफी असन्तोष रहा और उनको ऐसा आभास होने लगा था कि कदाचित् विभाग इस निरीक्षण से बचना चाहता है तत्कालीन मुख्य मंत्री से बातचीत करने के उपरान्त अन्ततोगत्वा उप-समिति वहां जाने में समर्थ हुई और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उससे वहां की स्थिति पर बहुत प्रकाश पड़ा।

समिति ने उत्तराखंड संबंधी एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया है जो लगभग ६० पृष्ठों में अंकित है। इस प्रतिवेदन में समिति ने उत्तराखंड की सभी योजनाओं की विवेचना की है और अपने ठोस सुझाव दिये हैं।

समिति ने यह मत प्रकट किया है कि उत्तराखंड डिवीजन का निर्माण त्रुटिपूर्ण है। समिति का सुझाव है कि चमोली जिले के वे भाग जो तिब्बत बार्डर से मिले हुए हैं परन्तु चमोली जिले में सम्मिलित होने से छूट गये हैं वे चमोली जिले में मिला दिये जायं। इसके साथ ही तिब्बत से मिले हुए हिस्सों को पिथौरागढ़ में सुरक्षा एवं कार्यकुशलता दोनों ही दृष्टि से मिलाना आवश्यक प्रतीत होता है और समिति ने इस पर बल दिया है कि इस प्रकार उत्तराखंड एक कम्पैक्ट मंडल बन सकेगा और तीनों जिलों का डिवीजन हेडक्वार्टर भी स्थायी रूप से बनाया जा सकेगा जिससे कि वहां की प्रशासन व्यवस्था और उसकी कार्य-क्षमता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

समिति ने इस बात पर बड़ी चिन्ता प्रकट की है कि वहां व्यय होने वाली २८ करोड़ की रकम में से पहले साल में केवल २ करोड़ २० लाख और दूसरे साल ३ करोड़ ८० लाख रुपया ही व्यय किया जा सका, जबकि प्रति वर्ष साढ़े ५ करोड़ रुपया व्यय होना चाहिये था। इसका मुख्य कारण समिति के मत में वहां की प्रशासन व्यवस्था है। समिति ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि इस बात की पूरी जांच की जाय कि स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि के भीतर क्यों नहीं व्यय हो पा रही है। इसके लिए जो अधिकारी लापरवाही के लिए दोषी पाये जायं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

समिति ने सीमांत की ओर जाने वाली सड़कों की दशा पर असीम असंतोष प्रकट किया है और कई सड़कों, जिनके नाम का उल्लेख करना कदाचित यहां जनहित में न हो, की दशा पर विशेष रूप से चिन्ता प्रकट की है। समिति ने यह अपेक्षा की है कि इन सड़कों के सुधार के लिए सक्रिय प्रयत्न किये जायं।

समिति के ज्ञान में यह आया कि बहुधा साइट प्लानिंग को बिना तैयार किये हुये निर्माण कार्य आरम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप बड़ी त्रुटियां रहीं।

समिति को ज्ञान हुआ कि गोपेश्वर में बहुत बड़ी धनराशि व्यय करके बिना किसी योजना के मनमाने ढंग पर इमारतें बनायी जा रही हैं। कई अनावश्यक भवन तो बन रहे हैं, लेकिन अत्यन्त आवश्यक बिल्डिंगस की बुनियाद भी नहीं पड़ी है। समिति ने सिफारिश की है कि निर्माण-कार्य योजनानुसार ही किये जायं और उसमें आवश्यकतानुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाय। समिति ने गोपेश्वर में केवल एक आफिसरों की कालोनी बनाने का विरोध किया है और यह सिफारिश की है कि वहां एक हिल टाउन बनाने की व्यवस्था की जाय जिसमें थोड़े अतिरिक्त व्यय से बड़ी जन सुविधा हो सकेगी।

समिति ने इस बात पर भी असंतोष प्रकट किया है कि वहां स्थानीय मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है और बाहर से बुलाये हुये मजदूरों को ज्यादा। समिति का मत है कि यदि स्थानीय मजदूरों को उतनी ही मजदूरी दी जाय जो बाहर के मजदूरों को मिलती है तो वहां अधिक समृद्धि हो सकेगी और स्थानीय लेबर का अधिक प्रयोग हो सकेगा।

समिति की जानकारी में वह आया कि पर्वतीय प्रदेश में स्वायल इरोजन (भूमि का कटाव) बहुत तेजी से हो रहा है जिसके फलस्वरूप मैदानी हिस्सों में बहुत बाढ़ आने लगी हैं। समिति ने सिफारिश की है कि विशेष अनुदान फारेस्टेशन के लिए दिया जाय और ६,००० से ८,००० फिट की ऊंचाई पर कोनीफेरस पेड़ों की बेल्ट लगायी जाय, ताकि वहां के जंगलों की मात्रा बढ़ सके और स्वायल इरोजन रोका जा सके।

समिति ने औद्योगीकरण का परीक्षण करते हुए बहुत से उद्योगों के विकास के लिए सिफारिश की है। विशेष कर रोजिन इंडस्ट्री, उद्यानीकरण एवं चाय उद्योग के विकास पर बल दिया है। समिति ने विशेष रूप से ऊन के व्यवसाय के विकास की सिफारिश की है और उसके लिए विस्तृत सुझाव दिये हैं, विशेषतया आस्ट्रेलिया की पोल बर्थ से क्रास करके उन्नत नस्ल की भेड़ों को पैदा किये जाने पर जोर दिया है, क्योंकि ऐसी भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होगी वह स्थानीय भेड़ों की ऊन से कहीं ज्यादा मुलायम और वजन में अधिक होगी। समिति ने विशेषरूप से इस बात पर बल दिया है कि तिब्बत से संबंध समाप्त हो जाने के बाद हमें ऊन की पैदावार को अपने यहां बढ़ाने पर बहुत जोर देना पड़ेगा और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समिति ने सिफारिश की है कि ज्यादा से ज्यादा ऊन केन्द्र स्थापित किये जायं और ऊन केन्द्र उन स्थानों पर स्थापित किये जायं जहां की जलवायु इसके अनुकूल हो।

समिति ने यह मत प्रकट किया है कि उत्तराखंड में छोटे उद्योगों की उन्नति की दिशा में जो कुछ किया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है और उससे अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा है। समिति ने इस बात पर विशेष रूप से असंतोष प्रकट किया है कि १९६२-६३ में लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिये २.३० लाख रुपया ऋण दिये जाने की व्यवस्था थी, जब कि केवल २४ हजार ही व्यय किया जा सका है।

समिति ने उत्तराखंड में टूरिस्ट ट्रेड को बढ़ाने पर भी बल दिया है और उसके लिये ठोस सुझाव दिये हैं। इसके अतिरिक्त समिति ने उत्तरा खंड में शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य की व्यवस्था, सहकारिता का कार्य-संचालन, जिला परिषदों की व्यवस्था, भोटियों के पुनर्वासन के लिये किये गये उपाय, सार्वजनिक निर्माण द्वारा किये गये कार्य आदि का समीक्षण किया है और अपने सुझाव दिये हैं। समिति ने अन्त में इस बात पर बहुत बल दिया है कि चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि में इस क्षेत्र के विकास को वास्तविक रूप देना अनिवार्य है और विकास संबंधी सारी योजनाओं की पूर्ति के लिये समय का लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारित करना भी अति आवश्यक है। समिति के मत में इस मण्डल की जनता का जीवन-स्तर अभी बहुत नीचा है और उसको उठाने के लिये वर्तमान स्थिति में ठोस कदम उठाना देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त आवश्यक है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष पानी की कमी और शीत लहरी के कारण जो क्षति हुई है उसके बारे में माननीय राजस्व मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वे यह बतायेंगे कि कहां कहां कितना नुकसान हुआ है और कितनी छूट मिली है। ७ तारीख को सदन उठने वाला है। उसकी सूचना हमें सदन उठने से पूर्व मिलनी चाहिये....

श्री अध्यक्ष—

आपने तो शायद नियम ५२ के अन्तर्गत भी सूचना दी थी, मैंने उसको राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है, आप उनसे मिल लें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

यह आश्वासन यहां सदन में दिया गया था और यहां हमें सूचना मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे लिख कर भेज दें, मैं उनके पास भेज दूंगा।

श्री नाथूराम शिक्षक—

दूसरी बात यह है कि जब हम नियम ५२ के अन्तर्गत आपके माध्यम से कोई पत्र माननीय मंत्री जी के पास भेजते ह तो यह समझा जाता है कि उचित कार्यवाही उस पर होती होगी। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि ८–१० दिन के बाद इलाहाबाद जिले की हालत खराब होने वाली है, वहां कोई टेस्ट वर्क चालू नहीं किया गया ....

श्री अध्यक्ष—

यह भाषण का समय नहीं है। आप लिख कर भेज दें, मैं उनके पास भेज दूंगा।

सरकार द्वारा सुपरसीडेड स्थानीय निकायों का चुनाव सामान्य निर्वाचन के समय कराने की घोषणा न किये जाने से उत्पन्न समस्या के सबंध में याचिका

श्री भगवानदास बरनवाल (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा सुपरसीड स्थानीय निकायों का भी चुनाव सामान्य निर्वाचन के समय कराने की घोषणा न किये जाने स उत्पन्न लोक महत्व की इस सुनिश्चित अविलम्बनीय समस्या के संबंध में श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त आदि की याचिका विधान सभा में प्रस्तुत करता हूं।

हम निम्न हस्ताक्षरित याचकगण आदरणीय सदन से प्रार्थना करते हैं—

(१) यह कि सरकार द्वारा ३० मार्च, ६४ को प्रदेश में स्थानीय निकायों के आम चुनाव कराने की घोषणा की गयी है।

(२) यह कि उपरोक्त घोषणा के बावजूद सरकार ने यह भी घोषित किया है कि मिर्जापुर, फैजाबाद, मुरादाबाद तथा गाजियाबाद आदि अनेक सुपरसीडेड स्थानीय निकायों के चुनाव इस समय नहीं कराये जायँगे।

(३) यह कि चुनाव के समय जनता को अपने नवीन प्रतिनिधियों के निर्वाचन का अवसर मिलता है।

(४) यह कि इस प्रकार नवीन प्रतिनिधियों के चुनाव से उत्साही तथा योग्य व्यक्तियों के हाथ में निकायों का प्रशासन जाने से उसकी व्यवस्था में सुधार हो सकता है।

(५) यह कि बहुत दिन तक स्वायत्त संस्थाओं को सरकार द्वारा अपने कब्जे में रखना स्वायत्त शासन सिद्धान्त तथा जनतंत्रीय परम्पराओं के प्रतिकूल है।

(६) यह कि सुपरसीडेड काल आम निर्वाचन के आगे नहीं जाना चाहिये।

(७) यह कि इस समय सुपरसीडेड बोर्डों का चुनाव न कराने से जनता में सरकार के प्रति असन्तोष तथा अविश्वास का वातावरण व्याप्त हो रहा है, क्योंकि चुनाव न करा कर सरकार स्वायत्त शासन संस्थाओं में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है।

अस्तु, हम याचकों की प्रार्थना है कि आदरणीय सदन सरकार को यह आदेश दे कि मई, ६४ में होने वाले स्थानीय निकायों के आम चुनावों के समय प्रदेश के उन समस्त स्थानीय निकायों के भी चुनाव कराये जायं जो कि इस समय सुपरसीडेड ह तथा इस दृष्टि से और भी जो आवश्यक हों, वह आदेश दिये जायें।

दिनांक १४–४–६४

भवदीय,
राजेन्द्रकुमार गुप्त,
ए० पी० सेन मार्ग, लखनऊ,
(२) अस्पष्ट –मैनपुरी।

श्री अध्यक्ष---

यह याचिका, याचिका समिति को भेज दी जायगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

इस संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है । मुझे सूचना मिली है कि हापुड़ नगरपालिका का चुनाव सरकार नहीं कराने जा रही है जब कि वहां के सब लोग चाहते ह कि उस नगरपालिका का चुनाव हो । अगर उत्तर प्रदेश की जब्त की हुई म्युनिसिपैलिटीज व टाउन एरियाज का चुनाव नहीं हुआ तो यहां का चुनाव बिलकुल लंगड़ा रह जायगा और मेरी समझ से इसमें सरकार का क्या लाभ है जो वह कुछ स्थानीय निकायों को जब्त ही रखना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष---

यह याचिका, याचिका समिति में दे दी जायगी ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, इस सिलसिले में दफा ५२ के अन्तर्गत माननीय मंत्री का एक स्टेटमेंट हो जाय तो बहुत अच्छा है । मैंने भी एक दफा ५२ का नोटिस इस सिलसिले में दिया है ।

श्री रामआसरे वर्मा पर प्राण घातक हमले के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना मैंने स्वीकार की है जो श्री गिरजा प्रसाद, श्री नत्थाराम रावत, श्री मेड़ीलाल, श्री शिवनाथ सिंह और श्री राधे श्याम शर्मा के नाम से हैं, उसे सचिव, पढ़ कर सुना रहे हैं ।

सचिव, विधान सभा---

दिनांक २, ३ मई, सन् ६४ की रात्रि में विधायक तथा सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री रामआसरे वर्मा पर उनके निवास स्थान, कस्बा फतेहपुर, जिला बाराबंकी पर जानघातक भीषण हमला हुआ और एल० जी० की गोली चलायी गयी । संयोग से वे बच गये और बगल में बैठी हुई उनकी पौत्री को घातक चोट आयी जो मेडिकल कालेज लखनऊ में मरणावस्था में भर्ती है ।

इसके पूर्व श्री रामआसरे वर्मा का जीवन खतरे में है, इसकी सूचना माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश, आई० जी० पुलिस, जिला पुलिस कप्तान, जिलाधीश से मिल कर तथा लिखित रूप में दी गयी । मगर अभी तक उनके जीवन की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई ।

इस घटना के पूर्व उनके भाई स्व० अवधशरण वर्मा, एम० एल० ए० तथा सियाराम का कत्ल दिन दहाड़े भरी सभा में किया गया । इसी प्रकार इसी थाने में हाल ही में सोशलिस्ट नेता और भूतपूर्व विधायक श्री भगवती प्रसाद वर्मा पर जानघातक हमला होना और रिवाल्वर छीन लिया जाना आदि घटनायें घट चुकी हैं । इन घटनाओं से क्षेत्र एवं जिले की जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त है और राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्त्ताओं तथा जन-साधारण का जीवन संकटमय है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री जी से स्पष्टीकरण

[सचिव विधान सभा]

की मांग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर ७ तारीख को वक्तव्य होगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय के संबंध में एक दिया है . . . .

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं समाप्त कर लूं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैंने भी दफा ५२ में बाराबंकी के सबसे अधिक व्यस्त बाजार में हुई डकैती के सम्बन्ध में सूचना दी थी । उसी से इसको भी सम्बद्ध कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

अगर उससे सम्बन्धित होगा तो कर लेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, जरा इस पर भी एक बयान ७ तारीख के पहले दिलवा दें जो पंडित जवाहर लाल नेहरू के गोरखपुर जाने पर सोशलिस्टों द्वारा प्रदर्शन करने पर ११ सोशलिस्टों को बुरी तरह से मारा-पीटा गया और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने नोटिस दिया है उसे मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना श्री मुन्नूसिंह, श्री शिवेन्द्र प्रताप व श्री विजय सिंह ने दी है उसे मैं आवश्यक कार्यवाही के हेतु भेज दूंगा ।

इसी सिलसिले में श्री रामकिशोर वर्मा, श्री चन्द्रबली सिंह, श्री मुकुटबिहारी लाल व टम्बेश्वर प्रसाद की भी है . . . .

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय के संबंध में एक दफा ५२ की सूचना दी है ।

श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, बहराइच के भिनगा क्षेत्र में अन्न संकट से उत्पन्न स्थिति के कारण वहां एक अराजकता की सी स्थिति पैदा हो गयी है और टेस्ट वर्क जो वहां चल रहा था उसे भी एकदम बन्द कर दिया गया है जिससे बड़ी परेशानी है । इस संबंध में मैंने एक दफा ५२ का नोटिस दिया है . . . .

श्री अध्यक्ष—

अगर आपको और कुछ कहना हो तो आप कृपा करके मुझसे मिल लें, ताकि आपकी कुछ सहायता कर सकूं ।

श्री मुन्नूसिंह—

श्रीमन्, वहां की जनता एक-एक अन्न के दाने के लिये परेशान है और मजदूर जो चार-चार आने पर टेस्ट वर्क करते थे, वह भी बन्द कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

इसके कहने से क्या काम चलेगा? मैं उसे उनके पास भेज दूंगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या माननीय मंत्री जी के पास बयान के लिये भेजने से काम हो जायगा?

श्री नेकराम शर्मा—

२४ अप्रैल को डीन फेकल्टी आफ आर्ट्स को गवर्नमेंट का एक आदेश मिला है जिसकी वजह से लगभग १५० लोगों की नौकरियां ३० अप्रैल, १९६४ से समाप्त कर दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो सूचना दी थी जिसके ऊपर आदेश हो चुके हैं। आप उनको फिर रिपीट कर रहे हैं। मैंने निवेदन किया कि आप मुझसे उस सम्बन्ध में बातें कर लें। जो कुछ मुझसे हो सकेगा, मैं करूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

बनारस आयुर्वेदिक कालेज में २,८०० छात्र हड़ताल कर रहे हैं। इसकी मैंने लिखित सूचना आपको दी थी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं और मंत्रिमंडल के प्रमुख भाष्यकार हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैंने २४ तारीख को गाजीपुर से लिखित सूचना आपको भेजी थी।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय सदस्य कौन सा व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

पहले ये बोल लें, फिर आपको भी मौका मिलेगा।

श्री कृष्णानन्दराय—

मैं कह रहा था कि गाजीपुर से मैंने इस बारे में आपको लिखित सूचना भेजी थी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हड़ताल कर रखी है। उत्तर प्रदेश की सरकार से उनकी यह मांग है कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों को जो मान्यता सरकार ने दी है, वही मान्यता उनको भी दी जाय। मैंने इसको शार्ट नोटिस क्वेश्चन के लिये भेजा था, लेकिन उस पर आपके यहां से यह आदेश हुआ है कि वह इस सरकार से सम्बन्धित नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप य० पी० की सरकार से कह दें कि वह इन्टरफियरेंस करके इस हड़ताल को खत्म करायें और उन विद्यार्थियों की मांग को स्वीकार कराये।

श्री अध्यक्ष—

वह आटोनामस बाडी है, हमारे अधिकार क्षेत्र में वह नहीं है। आप आकर बता दें कि किस तरह से सरकार अपनी दखलन्दाजी कर सकती है, तो मैं देख लूंगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सरकारी स्टेट मेडिकल फैकल्टी है और सरकार का सम्बन्ध मेडिकल कौन्सिल से भी है। सरकार का सम्बन्ध है वह इसे ठीक करा सकती है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

ला एण्ड आर्डर तो सरकार का है ही।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, जिन सूचनाओं को आपने मंत्री जी के पास भेजा है उन्हें या तो पढ़ दिया जाय या संक्षेप में उन्हें बता दिया जाय कि किन बातों की सूचना मांगी गई है।

श्री अध्यक्ष—

वह किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आता है, मैंने उचित समझा इसलिये सरकार के पास भेज दिया। न उसको पढ़ने की आवश्यकता है, न मैं पढ़ूंगा और न मैं पढ़ता रहा हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

कल ही आपने पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष—

जिनको मैं केवल कार्यवाही के लिये सरकार को भेजता हूं उन्हें मैं नहीं पढ़ता।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, हमें यह यू० पी० कोआपरेटिव जर्नल क्वार्टरली मिला है। इसमें पहले पृष्ठ पर तो माननीय बनारसीदास जी का फोटो छपा है और रजिस्ट्रार का फोटो दूसरे पेज पर छपा है।

श्री अध्यक्ष—

यह क्या है, इससे क्या मतलब है?

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आप देखें कि इसके १३ पेज पर प्राइम मिनिस्टर का फोटो है और अन्त में ३५ पेज पर श्रीमती सुचेता कृपालानी जी का फोटो छपा है। माननीय बनारसी दासजी के दो-दो फोटो इसमें छपे हैं। सरकार की ओर से जो चीज छपती है उसमें प्राइम मिनिस्टर, मुख्य मंत्री के बाद में आते हैं और रजिस्ट्रार पहले आते हैं। अगर बनारसीदास जी नेहरू जी से नाराज थे तो....

श्री अध्यक्ष—

यह सब कहना गलत है....

श्री नेकराम शर्मा—

यही बात है वर्ना रजिस्ट्रार का फोटो दूसरे पृष्ठ पर और नेहरू जी का बाद में, यह है प्रोटोकाल।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

यह देख लिया जाय श्री बनारसीदास जी हाथ जोड़े हुये तो फोटो नहीं खिचवायें हैं।

श्री उग्रसेन—

यह सरकारी खर्च पर क्यों ऐसे फोटो खिचाते और छपाते हैं, अगर ऐसे ही छपाने हैं तो पैसा खर्च करके हजरतगंज, लालबाग में खिंचवायें।

१५ अप्रैल, १९६४ को श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन के स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में उठाई गई वैधानिक आपत्ति तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री टम्बेश्वरप्रसाद ने ३ सूचनायें दी थीं उनके सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय दे दूं। एक प्रश्नों के सम्बन्ध में थी, उसके बारे में मैंने अलग से, प्रश्नों से सम्बन्धित विभाग से रिपोर्ट मांगी उसे देख कर मैं आदेश दूंगा।

बाकी २ के सम्बन्ध में जो निर्णय है, वह मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं :

"माननीय टम्बेश्वरप्रसाद ने एक सूचना के द्वारा मांग की है कि माननीया श्रीमती सुशीला रोहतगी ने १५-४-६४ को अधिष्ठाता की हैसियत से नियमों का दुरुपयोग किया है, अतः उन्हें अधिष्ठाता मंडल से अलग कर दिया जाय। मैंने १५-४-६४ की कार्यवाही के उस अंश का अध्ययन किया जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा नियमों का दुरुपयोग किया गया। नियम १३ के अनुसार अध्यक्ष पीठासीन सदस्य को वही अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं जो सभा में पीठासीन होने पर अध्यक्ष को प्राप्त हैं। अतः मैं समझता हूं कि नियम ३१८ के अन्तर्गत अधिष्ठाता के निर्णय के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। इसके अतिरिक्त अनेक पूर्वगामी निर्णयों के अन्तर्गत कोई अपील सुनने व पुनरीक्षण करने का अधिकार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को प्राप्त नहीं है और जो विनिश्चय पीठासीन सदस्य करता है वह उस विशेष प्रसंग के लिये अन्तिम समझा जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद द्वारा उठाया गया प्रश्न अनियमित है, इस प्राविधिक आपत्ति के अतिरिक्त...

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरे पत्र का कुछ हिस्सा आपने पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। मैंने कहा था कि सरकारी पक्ष के लोगों से और माननीय मुख्य मंत्री के लिखित आदेश द्वारा माननीया सुशीला रोहतगी ने सदन को स्थगित किया। और आपने इसका कोई स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया। मैंने कहा कि माननीया सदस्या ने उस समय सदन को उठा दिया जब मैंने स्पेसिफिक रूप से पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया था....

श्री अध्यक्ष—

मैंने समाप्त नहीं किया। पहले समाप्त कर लूं तब बोलियेगा।

श्री उग्रसेन—

जब आप खारिज कर देंगे तो किस नियम के अन्दर वह बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष—

उनके बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

[श्री अध्यक्ष]

"तथ्यों की दृष्टि से भी मैं समझता यह हूं कि माननीय अधिष्ठाता के निर्णय के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किन्हीं नियमों का दुरुपयोग किया है। जिस अवसर पर विवादांत प्रस्ताव उपस्थित किया गया था उस समय तक केवल माननीय मंत्री ने विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी दो संशोधन—एक जनमत जानने के लिये प्रचारित किये जाने का तथा दूसरा प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का, प्रस्तुत किये जा चुके थे। नियमों के अनुसार आवश्यकता थी कि प्रस्तुत प्रस्ताव व संशोधन पर सदन के सदस्यों को चर्चा करने का अवसर दिया जाय। श्री अधिष्ठाता द्वारा कहे गये इस वाक्य से कि "अभी हाउस में इस पर बोलना चाहते हैं, मेरा अनुमान है कि कुछ माननीय सदस्य विषय पर बोलना चाहते थे।" ऐसी परिस्थिति में अधिष्ठाता का कर्तव्य था कि नियम ११६ के अन्तर्गत विवादान्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह निश्चय करे कि क्या पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है कि नहीं, युक्तियुक्त विवाद के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। माननीय खेर ने विवादान्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था देते समय कहा है कि "ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय देते समय विचार कर लिया जायगा कि काफी भाषण हुये हैं या नहीं।" नियम की शब्दावली तथा उपर्युक्त निर्णय से स्पष्ट है कि माननीय सुशीला रोहतगी के विवादान्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने में नियम ११६ का सही तौर पर उपयोग किया गया है और मैं समझता हूं कि यदि वह उसे स्वीकार करतीं तो कहा जा सकता था कि उन्होंने नियम ११६ का दुरुपयोग किया है। अतः तथ्यों की दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि माननीय अधिष्ठाता का निर्णय अत्यन्त उचित व उपयुक्त था।

कार्यवाही को देखने से यह प्रतीत होता है कि कुछ माननीय सदस्यों का यह मत है कि नियम ११६ के अन्तर्गत विवादान्त प्रस्ताव आने पर सदन का मत लेना अनिवार्य है। इस मत को स्वीकार करने से नियम ११६ में दिया हुआ प्रतिबन्ध कि जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या युक्तियुक्त विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, निरर्थक व व्यर्थ हो जायगा। अतः माननीय टम्बेश्वर प्रसाद की सूचना पर किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हमारी नियमावली में कंटिनजेंट क्लोजर का कोई जिक्र नहीं है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में है कि यदि कोई सदस्य समझता है कि इस काम को जल्द खत्म होना चाहिये तो वह तुरन्त पेश कर सकता है और माइनारिटी की तरफ से जब प्रस्ताव आयेगा तो स्पीकर को रखना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

एक बात आप समझ लें कि १९५९ तक यह निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का मत रहा है कि यद्यपि हमने विशेषाधिकार तथा अन्य बहुत सी ब्रिटिश पार्लियामेंट की बातों को अंगीकार कर लिया है, लकिन हाउस आफ कामन्स के प्रोसीजर सम्बन्धी जो नियम हैं, उनको हमने स्वीकार नहीं किया है। अतः उनकी प्रक्रिया से हम किसी प्रकार से बाध्य नहीं हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हम आपके मुख से अध्यक्ष पद से निर्णय सुनना चाहते हैं, न्यायालयों की बात नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समाप्त कर दूं तब आप बोलें।

इसी संबंध में एक विशेषाधिकार की अवहेलना की भी सूचना दी गयी है। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अकसर इस सदन के माननीय सदस्य स्वयं अध्यक्ष पीठ पर आकर अध्यक्ष

से परामर्श अथवा निवेदन करते हैं, अक्सर अपने लिखित सुझाव भी भेजा करते हैं, जिससे यह आभास होना स्वाभाविक है कि पीठासीन सदस्य उन सुझावों व परामर्शों से प्रभावित होकर अपना कार्य संचालित कर रहा है। यद्यपि इस प्रकार की बातों से पीठासीन सदस्य प्रभावित न भी हो, तो भी भ्रम होने की सम्भावना रहती ही है, किन्तु इससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। मैं अवश्य यह चाहूंगा कि इस प्रथा को माननीय सदस्य स्वयं ही समाप्त कर दें तो अधिक उचित होगा।

अब एक प्रश्न यह उठाया गया माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी द्वारा कि चूंकि सरकार उस समय अल्पमत में थी अतः सरकार को हारी हुई समझा जाय। बहुमत या अल्पमत जानने के हेतु संविधान में १८९ अनुच्छेद के अधीन एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित है जिससे कि हम जानें कि बहुमत या अल्पमत किसका है। उस प्रक्रिया के अनुसरण या अंगीकार किये बिना यह कहना कठिन है कि अल्पमत अथवा बहुमत में कौन है। अतः अनुमान से या केवल कुछ आदरणीय सदन के सदस्यों के कहने मात्र से,यह निर्णय नहीं हो सकता कि कौन अल्पमत में है और कौन बहुमत में। अगर यह निर्णय नहीं हो सकता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि सरकार इस्तीफा दे या न दे। सरकार को भी हटाने की प्रक्रिया निर्धारित है। ऐसे हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यह कहना उचित नहीं है कि सरकार अनियमित रूप से बैठी हुई है। काशीनाथ जी ने एक प्रश्न यह उठाया है कि नैतिक दृष्टि से उन्हें नहीं बैठना चाहिये .....

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हाउस आफ कामन्स का प्रोसीजर है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा हमारे नियमों की धारा ११६ में दिया हुआ है :—

"unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall then put the motion "That the question be now put."

तो मैं आपसे चाहूंगा कि जब ये नियम जनतांत्रिक प्रणाली में प्रसिद्ध हैं, तो यहां पर भी जब क्लोजर का रिजोल्यूशन आता है तो अधिष्ठाता महोदया को चाहिये था कि उनको रखतीं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

इसका हिन्दी में अनुवाद करके समझाइये।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझा देता हूं .....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप काशीनाथ जी के प्रश्नों का समाधान करते हैं तो मेरे प्रश्नों का भी समाधान कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

हिन्दी में इस प्रकार है कि किसी प्रस्ताव के किये जाने के उपरान्त किसी समय भी कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि "अब प्रश्न उपस्थित किया जाय" और जब तक कि अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या युक्तियुक्त वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, अध्यक्ष प्रस्ताव रखेंगे "कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय"। अब यह कहा जाता है कि इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब तक अध्यक्ष का यह मत न हो कि अल्पमत में जो पार्टी है उसके अधिकारों का हनन् हो रहा तब तक यह प्रस्ताव नहीं लिया जायगा। चूंकि हमने यह नहीं रखा है कि हाउस आफ कामन्स की शब्दावली को अल्पमत

[श्री अध्यक्ष]

पार्टी के अधिकारों का हनन् न होने की अवस्था में विवादान्त प्रस्ताव स्वीकार किया जावे बल्कि यह शब्द रखे कि इन नियमों का हनन् होने पर यह इस बात को सिद्ध करता है कि हमने अंग्रेजी नियम को नहीं अपनाया। इसलिये मैं इस आपत्ति को रूल आउट करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

नियमों का हनन उसको कहा जाता है, जैसे उधर से बिल पेश हुआ और हम कह दें कि विवाद बन्द किया जाय....

श्री अध्यक्ष---

काशीनाथ जी, अब यह खत्म हो गया।

श्री राधेश्याम शर्मा---

यह प्रथा कि स्पीकर को परामर्श और सुझाव न दिये जायं तो अच्छा है।

श्री उग्रसेन---

क्या आपको कोई सूचना मिली है कि सरकार उस दिन अल्पमत में थी, तो आप बतला दें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

जब कोई सदन के सदस्य पर उसकी नीयत पर आक्षेप करता है तो उसकी कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती है। मैंने अपने तमाम पत्रों में जो अधिष्ठाता उस समय विराजमान थे उनकी नीयत पर हमला किया है। मैंने यह अकारण नहीं किया है, सकारण ही किया है। मैं निश्चित रूप से यह समझ चुका था कि १५, २० मिनट के बाद सदन को उठा दिया जायगा। निश्चित रूप से माननीय उग्रसेन ने यह कहा था अन्त में मेज पर खड़े हो कर कि आप सदन चलाइये।

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि माननीय उग्रसेन ने अन्तिम वाक्य यह कहा। हम लोग जान गये थे निश्चित रूप से कि सदन उठ जायगा।

श्री अध्यक्ष---

जो बात आप कह रहे हैं यह बात हमारी कार्यवाही में नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

उग्रसेन के बयान को झूठा और टाइपराइटर की बात को सही आप मान रहे हैं इससे ज्यादा आपके लिये शर्म की बात और क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष---

आपको इतना ही कहना था। अब आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन---

जैसे संसद में माननीय हुकुमसिंह ने टेपरिकार्डर करा दिया है वैसा ही आप भी करा दीजिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

जिस प्रथा को बन्द करने के लिये आप कह रहे हैं, तो वह स्पेसिफिक सुझाव क्या था मुझे पता चल जायगा तो संतोष हो जायगा। फिर रोज हम लोग इंगित होते हैं और निकाले जाते हैं। माननीय सुशीला रोहतगी ने....

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

कोई नहीं निकाला जाता है।

श्री उग्रसेन---

यह गलत बात है। एक दिन भी आप निकाल कर फेंके जायं तो हाथ टूट जाय और बलरामपुर जाना पड़े।

श्री अध्यक्ष---

आप इतने मशराक हैं यह वह मानते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं समझता हूं कि कुछ कारण विशेष थे जो सदन को ढाई घंटे पहले स्थगित कर दिया गया और सारा कार्यक्रम आगे का खत्म कर दिया गया। वह क्लोजर सरकार की हार का कारण नहीं हो सकता था। कल ३५ मिनट में जनरल डिबेट इस बिल पर इसी सदन में खत्म हो गयी। दूसरी बात यह कि माननीय शारदाभक्त सिंह और माननीय कल्पनार्थसिंह का प्रस्ताव था और मैं विरोधी दल के सचेतक की हैसियत से कार्य करता हूं। जब उस तरफ के सचेतक को आप पूर्ण अधिकार देते हैं कि जब वह क्लोजर मूव करे तो आप मान लेते हैं, तो जब इस तरफ से विवादान्त की मांग की गयी तो उसे क्यों नहीं माना गया। वह लगभग वापसी का प्रस्ताव था और चाहते थे कि यह बिल पारित कराया जाय तो फिर क्या बात थी, क्या सरकार इस पर प्रकाश डालेगी ? कल मैंने उस प्रस्ताव पर जिसको आपने कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव में ले लिया है उस पर भी मैंने कहा था कि माननीय राममूर्ति जी ने वापस ले लिया था।

श्री राममूर्ति---

हमने स्थगित कराया था।

श्री उग्रसेन---

माननीय राममूर्ति जी ने वह प्रस्ताव वापस ले लिया था, लेकिन वे कहते हैं कि हमने स्थगित कराया था। यह शब्दों का हेरफेर ठीक नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

प्रक्रिया नियमावली में जहां और बातें हैं वहां अधिष्ठाता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं लिखी है।

श्री अध्यक्ष---

आपने जो प्रस्ताव दिया है वही आ सकता है और सही तरीके से आ सकता है। अब रहा यह कि आपने तीन बातें उठायी हैं। पहली बात तो यह है कि माननीय उग्रसेन और आपने यह कहा था कि कार्यवाही चालू रखी जाय या और भाषण हो जायं, लेकिन जो कार्यवाही मेरे

[श्री अध्यक्ष]

सामने आयी है और जिसको मैंने पढ़ा, उसमें माननीय उग्रसेन ने यह कहा कि आप नियम पढ़ लें। आपका अधिकार इतना है कि आप इस पर मत लें। दूसरी कार्यवाही होगी तो हम उसका विरोध करेंगे और सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। आगे इस प्रकार है:—

श्री अधिष्ठाता—

"मैं नम्र निवेदन करती हूं कि अगर आप शान्तिपूर्वक काम चलने दें तो ठीक है नहीं तो मैं १५ मिनट के लिये सदन स्थगित कर दूं (शोरगुल कायम रहने पर) मैं सदन को १५ मिनट के लिये स्थगित करती हूं।"

उसके बाद केवल यह है :—

"श्री अधिष्ठाता—

मैंने क्लोजर की आज्ञा नहीं दी है, डिसएलाऊ कर दिया है। अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

हमारा यह अधिकार है, इसे हम एक कदम पीछे नहीं जा सकते।

श्री अधिष्ठाता—

मैं देखती हूं कि सदन का कार्य शान्तिपूर्वक चलना सम्भव नहीं है। इसलिये अब आज सदन स्थगित किया जाता है और ४ मई को ११ बजे फिर बैठेंगे।"

इस कार्यवाही को देख कर, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं उसके बाद व्यवस्था दूंगा। (व्यवधान) अभी आप बैठ जाइये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। २९९ (४) में यह है कि सदन में घोर अव्यवस्था होने की दशा में अध्यक्ष किसी उपवेशन को ऐसे समय के लिये जिसे वह निर्धारित करें निलम्बित कर सकेंगे (व्यवधान) आप बीच में न बोलिये नहीं तो फिर मैं कल इस प्रश्न को लूंगा। सीधी बात यह है कि १५ मिनट के लिये उन्होंने स्थगित किया और यह कहा कि आप आपस में विचारविमर्श कर लीजिये और फिर १५ मिनट के बाद जब आयीं तो वही अव्यवस्था उन्होंने पायी। अब यह मतभेद हो सकता है कि उन्होंने अपने विवेक के अनुसार ४ मई तक स्थगित कर दिया, कोई दूसरा होता तो हो सकता है कि दूसरे दिन के लिये करता या जो कुछ भी करता। नियम २९९ खंड (४) के अनुसार पीठासीन सदस्य अपने विवेक का प्रयोग करते हैं।

अब विवेक उनका अन्तिम है। उसके संबंध में हम कोई बात या चर्चा नहीं कर सकते हैं और न मैं सुनूंगा।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, उस समय कैसा समय था और घोर अव्यवस्था की क्या परिभाषा है ?

श्री अध्यक्ष—

"घोर" ऐसा शब्द है जो सब्जेक्टिव है। मैं समझ सकता हूं कि कोई विशेष घटना कुछ नहीं है। उसी को आप समझ सकते हैं कि घोर है। आपने जैसे कहा कि उनको (श्री राममूर्ति मंत्री) को निकाला जाय तो उनका हार्ट फेल हो जायगा और आपको दस मर्तबा निकाला जायगा तो भी कुछ नहीं होगा। यह तो अपने मन की बात है—सब्जेक्टिव है। दूसरी बात यह ह कि सुझाव के संबंध में अन्वेषण करूं यदि मैं अनुभव यह करता कि मैं यहां बैठ कर किसी के या कोई भी व्यक्ति यहां बैठ कर, किसी के सुझाव पर कार्यवाही करता है। तो मैं अन्वेषण

करता । मैं तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह पूर्णतया सत्य नहीं है । यहां पर माननीय रामायणराय जी, काशीनाथ जी और चन्द्रजीत यादव जी आदि बैठे हैं और उन्होंने जो निर्णय दिये हैं, उनको देख कर मेरा निश्चित मत है कि यहां पर किसी पार्टी वगैरह का विचार नहीं होता है । अब माननीया सुशीला जी के पास सुझाव कोई भी आया हो । भ्रम होता है कि इन सुझावों के अनुरूप काम हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है । मुझे यकीन है कि माननीया सुशीला जी ने जो कुछ भी किया वह अपने विवेक और समझ के अनुरूप किया, किसी बात से प्रभावित होकर नहीं किया । इसलिये इसमें किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है, लेकिन माननीय अधिष्ठाता ने कहा कि मैंने व्यवस्था दे दी, अब जो बोलना चाहे बोलें । तो श्रीमन्, पीठासीन अधिकारी यह नहीं कहता है कि जो बोलना चाहे बोलें, उस समय किसी सदस्य ने नहीं कहा कि हम बोलना चाहते हैं । एक बात और मुख्य मंत्री जी का क्या सुझाव था उसे आप पढ़ लेते तो बात साफ हो जाती ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, जो विशेषाधिकार का प्रश्न था उसकी सफाई नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष—

वह इसमें आ जाता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जी नहीं, उससे इसका कोई मतलब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बता दूं कि पीठासीन सदस्य उन सुझावों, परामर्शों से प्रभावित होकर अपना कार्य संचालित कर रहा है । यद्यपि इस प्रकार की बातों से पीठासीन सदस्य प्रभावित न भी हो तो भी भ्रम होने की संभावना रहती है, किन्तु इससे विशेषाधिकार की अवहलना का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप मेरा प्रश्न पढ़ दें फिर रूलिंग पढ़ें. . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक प्रश्न यह है कि आपने अभी कहा कि जब माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि मैंने कहा कि सदन आगे चले तो आपने कहा कि कार्यवाही में इंदराज नहीं है, इसलिये गलत है ।

श्री अध्यक्ष—

यह मैंने नहीं कहा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

हाउस में एक बात होती है, माननीय सदस्य कुछ कहते हैं, अगर वह रेकार्ड में नहीं आती...

श्री अध्यक्ष---

यह बात जो आप कह रहे हैं, लिख कर दे दीजिये तो मैं देखूंगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

मैं उसको उठाना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज हाउस में अगर इत्तफाक से रेकार्ड में न आये तो किस प्रकार नहीं मानेंगे, इसका समाधान कर दें, जब कि वह चीज हो चुकी और कार्यवाही में वह चीज दर्ज नहीं है, तो किस प्रकार नहीं मानी जायगी, इस पर आप व्यवस्था दें ?

श्री अध्यक्ष---

इसके ऊपर सदन में कभी प्रश्न नहीं उठाया गया इस वजह से एकदम कह देना कि क्या प्रक्रिया उसके सम्बन्ध में अंगीकृत की जाय, अभी नहीं बतायी जा सकती । लेकिन लिखकर दे दें तो जरूर इसको रूल्स कमेटी के समक्ष रखेंगे और विचार करेंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

दूसरी चीज यह है कि आपने भी और दूसरे सदस्यों ने भी माननीया सुशीला रोहतगी के लिये माननीय अधिष्ठाता शब्द का इस्तेमाल किया । यह माननीय अधिष्ठाता होना चाहिये या माननीया अधिष्ठात्री होनी चाहिये, कौन सही है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राममूर्ति जी भी नहीं हैं और जो पंडित हैं माननीय त्रिपाठी जी, वह भी नहीं हैं और हिन्दी साहित्यालंकार भी नहीं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

आप तो हिन्दी के बड़े विद्वान् हैं । आप तो सुन्दर लच्छेदार हिन्दी बोला करते हैं । आप इस पर फैसला दे दें वरना यह नपुंसक लिंग हो जायगा । यह बड़ी खराब बात हो जायगी ।

३ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ३७-३८ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ३ मार्च, १९६४ को श्री होरीलाल यादव तथा श्री मैनेजरसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७ वा ३८ के सम्बन्ध में श्री होरीलाल यादव ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन १२ कंडक्टरों की ए० टी० आई० के पद पर पदोन्नति की गयी है, वे ए० टी० आई० के पद पर काम कर रहे हैं या अभी कंडक्टर के पद पर ही काम कर रहे हैं ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार वे अभी जनियर क्लर्क ही हैं और अभी ए० टी० आई० के पद पर उनकी पदोन्नति नहीं हुई है ।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिस का बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है कि "वे लोग ए० टी० आई० के पद पर काम कर रहे हैं ।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३५९ पर)

स्वतंत्र दल के नवनिर्वाचित नेता के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना सदन को देनी है । माननीय चैतन्यराज सिंह मुख्य सचेतक स्वतंत्र पार्टी की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। स्वर्गीय माननीय राघवेन्द्रप्रताप सिंह के निधन के बाद विधान मंडल स्वतंत्र पार्टी के नेता का स्थान रिक्त हो गया है। अतः विधान मंडल स्वतंत्र पार्टी ने सर्व सम्मति से दिनांक १३-४-६४ को अपना नेता माननीय भानुप्रताप सिंह जी को निर्वाचित कर लिया है।

उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट विषय के संबंध में बनाये गये पैनेल के अन्य सदस्य

श्री अध्यक्ष—

एक पैनल वकीलों का मैंने उस मुकदमे के सिलसिले में नियुक्त किया था । उसमें श्री काशीनाथ जी का नाम रह गया था । माननीय श्री काशीनाथ जी उसके सदस्य नियुक्त होते हैं। माननीय न्याय मंत्री का भी नाम रह गया है । वह नाम रहना परमावश्यक है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय काशीनाथ जी अल्पमत से सम्बन्ध रखते हैं । पैनेल बहुमत का है तो उसमें शर्त लगा दी जाय कि बहुमत की बात न चलेगी ।

श्री अध्यक्ष—

जब हमारे साथ बैठेंगे, तो हमारी बात कर लेंगे ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मेरा निवेदन यह है कि जो पैनेल तैयार किया है उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रखा है जो प्रायः प्रस्ताव के विरोध में था, जिसने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया ।

*उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ पर विचार जारी होगा।

खंड २ (क्रमागत)†

**श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना है कि बिजीनेस कमेटी ने यह तय किया था कि आज ही यह समाप्त हो जायगा। डेढ़ बजे यह शुरू ही हो रहा है ....

श्री अध्यक्ष—

हमें आप पर बहुत भरोसा है ।

**श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २ के उपखंड (ख) के खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (२) रख दिया जाय:—

---

*१३ अप्रैल, १९६४ की कार्यवाही में छपा है ।

†४ मई, १९६४ की कार्यवाही से ।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

"किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों का व्यक्तिगत सामान जो रोजगार के संबंध में न हो, उसी गाड़ी द्वारा ले जाया जाय तो ऐसे सामान ले जाया जाने के लिये कोई शुल्क तथा कर न लिया जायगा ।"

श्री अध्यक्ष—

अब १ बजा है । अब १ और २ के बीच में वोटिंग नहीं होगी, २ बजे के बाद होगी ।

श्री मैनेजरसिंह—

आज ही नहीं होगी कि हमेशा नहीं होगी, क्योंकि आप लोग तो जब जो चाहते हैं, करते ही हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें जो इस खंड की शब्दावली रखी गयी है वह इस प्रकार है :—

"(२) (ख) (२) किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों का व्यक्तिगत सामान जो उसी गाड़ी द्वारा ले जाया जाय, यदि परिचालक (आपरेटर) द्वारा ऐसे सामान को ले जाये जाने के लिए कोई शुल्क न लिया जाय ।"

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई यात्री किसी गाड़ी से जा रहा हो और उसके साथ २ सेर, ४ सेर सामान हो तो उसे भी कर देना पड़ेगा । कभी-कभी यह होता है कि यात्री के पास बिस्तर होता है वह एक्जेम्प्ट होता है । सामान का शुल्क अगर २५ सेर से ऊपर है तो उस पर लग जाता है, लेकिन अगर उससे नीचे होता है तो वह एक्जेम्प्ट होता है । यानी अगर कोई आदमी अपना निजी सामान भी ले जाता है २५ सेर से ऊपर, बिजनेस के लिये नहीं, कनवीनियेंस के लिये, तो वह भाड़ा देता ही है और अगर उससे टैक्स भी लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादती होगी और इन्सानियत से परे की चीज भी है । अभी तक जो मंत्री महोदय ने बात कही थी, वह यह थी कि अगर रोजगार के संबंध में कोई सामान ले जाता है तो वह फायदा उठाता है और उसको कर देना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस छोटे से मेरे संशोधन से मंत्री जी भी सहमत होंगे कि अगर कोई निजी कन्वीनियेंस के लिए सामन ले जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं ।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

उपाध्यक्ष महोदय, कमलासिंह जी अपने संशोधन में दो बातें कहते हैं, एक तो कर छोड़ने और दूसरे किराया न लेने की ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने कहा कि २५ सेर तक तो लगता नहीं है उससे ऊपर भाड़ा उसे देना पड़ता है तो उससे ऊपर वाले पर उसे टैक्स न देना पड़े ।

श्री मुजफ्फर हसन—

जो आपकी शब्दावली है उसमें यह है कि किराया और कर दोनों छोड़ दिये जायं । जहां तक किराया छोड़ने का ताल्लुक है वह इस बिल के परव्यू से अलग है और वह हम कर नहीं सकते । जहां तक कि ताल्लुक है कि उसके निजी सामान पर महसूल न लगे वह हमने प्राविजन ही यह रखा है जैसे कि आपका अमेंडमेंट है और जाहिर है कि उसके लिए सबसे मेन चीज यह है कि अगर वह इस मात्रा में है कि उस पर किराया न लगे तो उस पर कर भी नहीं लगेगा और अगर वह इस यात्रा में हो जाता है कि उस पर किराया लगता है तो

कर उस पर लगना चाहिये। यह तो बड़ी सीधी सी बात है। मैं समझता हूं कि वह इसको मानेंगे और आखिर कहीं कोई लिमिट होनी चाहिए। बगैर लिमिट के कोई जनरल बात तो हो नहीं सकेगी।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा था कि शायद मंत्री जी समझ गये होंगे इस बात को। मैंने यह बताया शुरू में ही कि जहां तक भाड़े की छूट का संबंध है वह आपके अधिकार से बाहर है। वह तो माल वाहन का जो मालिक है, या यात्री गाड़ी का जो मालिक या परिचालक है उससे संबंधित है। हम आप कोई कानून उसके लिए बना नहीं सकते। मेरी शब्दावली में अगर ऐसी कोई बात हो तो उसे आप करेक्ट कर लें, मुझे शब्दों पर कोई जिद् नहीं है। बढ़िया से बढ़िया शब्द जो आप चाहें रख लें। मेरा मतलब यह है कि कोई भी यात्री अगर अपना विस्तर वगैरह ले जाय, तो क्योंकि २५ सेर से ऊपर भाड़ा लग जायगा, लेकिन अगर वह व्यापार के संबंध में न ले जा रहा हो, केवल अपना सामान ले जा रहा हो, तो ऐसे समय में उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। इसी बात को मैं प्रेस कर रहा था, क्योंकि इसमें लिमिट का सवाल नहीं है। अगर आप घर जायं तो जाहिर है आपके विस्तर में बहुत सा सामान आ जायगा, बंडल है, किताबें हैं, बक्स है, तो अगर इन छोटी-छोटी चीजों पर भी आप इतनी जिद् करेंगे तो यह कोई बहुत उचित बात नहीं होगी। एक तो गाड़ी का भाड़ा वह ऐसे ही देता है, उसके बाद इन चीजों पर भी आप कोई टैक्स लें, तो यह उचित नहीं होगा।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

यह बात तो जो कमलासिंह जी ने कही बिलकुल सही कही, लेकिन सवाल यह है कि सरकार को नियमों में कोई एक लिमिट तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप कोई लिमिट न रखेंगे तो यह भी हो सकता है कि ट्रक वाला दस या बीस बंडल ले जायगा यह कह कर कि किसी का सामान लेकर जा रहा है और वह सामान लेकर जा रहा है बतौर बिजनेस के। तो आप एक लिमिट कर दीजिये। २५ सेर की जगह मन भर, डेढ़ मन या दो मन कर दीजिये, वरना इसका वह दुरुपयोग करेंगे। संदूक से सारा ट्रक भर लेंगे और कहेंगे कि ऐसे ही ले जा रहे हैं। यह दिक्कत है जिसके ऊपर आप सोच-समझ लें।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो यह कह रहा था कि यात्री गाड़ी पर बहुत सामान नहीं जाता है। बहुत थोड़ा सामान उस पर जाता है, क्योंकि वह माल गाड़ी नहीं है और यह जो एग्जाम्पिल मंत्री जी ने दिया है वह ठीक नहीं है। यात्री गाड़ी से यात्रा करते समय कोई दस बीस मन नहीं ले जायगा, लेकिन फिर भी आप लिमिट रखना चाहें तो लिमिट रख लीजिये।

श्री मुजफ्फर हसन—

यह तो माल-कर है। यात्री-कर नहीं। वह अपना माल ले जा रहा है, तो अपने माल के साथ जा सकता है और अपना विस्तर वगैरह अपने साथ ले ले, उसके लिये यह रखा गया है। तो मेरा कोई मंशा ऐसा नहीं है कि उसका इसमें कोई पर्सनल महसूल लिया जाय, लेकिन उसका मिसयूज न हो, इसलिये हमने वही मयार रखी कि जितनी पर्सनल चीजों पर किराया नहीं लगेगा उतने पर हम महसूल नहीं लेंगे। जब वह उतने से बढ़ जायगा और उस पर किराया लगने लगता है तो कर लगने लगेगा और हमारा इससे कोई इख्तलाफ नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

तो ऐसा कर दें कि नियमों में या अधिकारियों को कोई आदेश ऐसा दें दें कि निजी माल कोई ले जाता हो और वह रोजगार से संबंधित न हो तो ऐसे माल पर कर नहीं लिया जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

जिस वक्त कोई आदमी यात्रा करने के लिये जाता है और अपने साथ अपना सामान रख लेता है तो वह परसनल हुआ और यह तो बिजनेस के मोटिव से है, इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्राविजन हार्मफुल नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा जो संशोधन है उसमें यह दिया है कि "किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों का व्यक्तिगत सामान जो रोजगार के संबंध में न हो उसी गाड़ी द्वारा ले जाया जाय, तो ऐसे सामान ले जाया जाने के लिये कोई शुल्क तथा कर न लिया जायगा।" तो जो सामान रोजगार से संबंधित न हो उसके लिये हम चाहते हैं कि कुछ नियमों में आ जाय जिससे उनको सहूलियत हो सके।

श्री मुजफ्फर हसन—

मैं समझता हूं आप इसको वापस लें लें। मैं देखूंगा कि नियमों में किस प्रकार से इसको एडजस्ट किया जा सकता है।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं समझता हूं इनके विचारों में कोई मतभेद नहीं है। मंत्री जी के विचार में यह बात ठीक है कि कोई लिमिट होनी चाहिये। मैं समझता हूं वह मुनासिब लिमिट कर देंगे और उसको इस बिल के अन्दर प्रोवाइड कर देंगे।

श्री मुजफ्फर हसन—

मैं इसकी लिमिट कर दूंगा कि लोगों के पर्सनल सामान पर वह कर न लगे।

श्री कमलासिंह यादव—

जो आश्वासन मंत्री जी ने दिया है कि वह इसको किसी प्रकार से नियमों के अन्दर प्रोवाइड कर देंगे तो मैं अपने सशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) के खंड ५ में शब्द 'खाद्यान्न' के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :—

"अथवा नमक, मिट्टी का तेल और सलाई।"

यह सब लोग जानते हैं कि पूज्य बापू ने नमक सत्याग्रह किया था और हमारे मंत्री जी पूज्य बापू के पुराने पुजारी हैं। नमक ऐसी चीज है जिसको हर एक आदमी खाता है। आपने खाद्यान्न को छोड़ दिया है, लेकिन नमक को रखा है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह किया था। उसके लिये मैं चाहता हूं कि इस पर उसको न रखा जाय। उसी के साथ नमक, तेल और सलाई भी रखे गये हैं। मिट्टी का तेल ऐसी चीज है जो बहुत अधिक इस्तेमाल में आता है और खासकर गांवों में उसका बहुत प्रयोग होता है। चाहे छोटा किसान हो या कोई भी आदमी हो वह इनके बिना जिन्दा नहीं रह सकता है। सलाई भी ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई रह नहीं सकता। इसलिये मैं इस पर अधिक न कहकर सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इनको गरीब से लेकर अमीर तक इस्तेमाल करते हैं तो इनको आप अवश्य छोड़ने की कृपा करें। मैं समझता हूं खाद्यान्न के साथ उनको भी छोड़ दिया जाय। इनको आप छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी चीज होगी और गरीब लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुजफ्फर हसन—

मुझे इसको मन्जूर करने में कोई उज्र नहीं है। मैं इसको मन्जूर कर लूंगा और देख लूंगा कि कहां इसको फिट किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

चूंकि माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है, इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखण्ड (ख) के खंड (७) में 'दूध' के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिया जाय :—

"तथा उससे बने पदार्थ"।

इस वक्त देश की हालत इतनी खराब है कि दूध का मिलना कठिन हो गया है। बम्बई और कलकत्ते में भी ऐसी हालत है। तो दूध और उससे बने हुये पदार्थ बच्चों के लिये पौष्टिक हैं और गर्भणी स्त्रियों के लिये बहुत जरूरी हैं। बीमार आदमी के लिये भी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री मुजफ्फर हसन—

अगर इसमें "मिल्क और मिल्क पाउडर" कर दें तो आप सैटिस्फाइड हो जायेंगे? और चीजें छोड़ दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पोस्टपोन किया जाता है, इस पर वोटिंग बाद में ही होगी।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) के खंड (१०) से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं—

"जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करें"।

इसमें हल और कृषि-कर्म के सभी उपकरण आते हैं। छोटी-छोटी चीजें हैं जैसे, हल है, रहट है, चारा काटने की मशीन आदि हैं। इन चीजों को बड़े-बड़े आदमी नहीं ले जाते, इनका इंडस्ट्रियलिस्ट्स से भी मतलब नहीं है। इनको छोटे और बड़े किसान प्रयोग में लाते हैं। तो इन पर रोक न लगाकर के जहां तक हम फ्री कर सकें वह हमें करना चाहिये और उसमें मदद करनी चाहिये। इसमें अगर सरकार विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करेगी तो दिक्कत होगी। इसमें तो हर आदमी जानता है, डेफिनिशन्श की भी जरूरत नहीं है। संबंधित प्राधिकारी भी महसूस करेंगे और समझ जायेंगे कि ये कृषि से संबंधित उपकरण हैं या नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर कुछ चीजों की लिस्ट तैयार करने का अधिकार किसी अधिकारी को रहेगा तो उसमें कुछ चीजें छूट भी सकती हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप विज्ञप्ति द्वारा उसकी लिमिट न करें। कोई लिमिट न रख कर उसको उनके विवेक पर ही छोड़ दिया जाय, यह रीजनेबिल रखेगा और ठीक होगा।

*श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि माननीय कमलासिंह जी ने अवश्य पूरे विधेयक को पढ़ा होगा, किन्तु ऐसा लगता है कि उन्होंने व्यावहारिकता से दूर रह कर, कल्पना के आधार पर ही अपने संशोधनों को रखा है। मैं नहीं समझता कि उनको इस संशोधन को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी और उसकी क्या जरूरत है? अगर यह अधिकार सरकार को रहता है कि वह ज्ञापन करता रहे तो उसमें क्या बात अनुचित है? मैं समझता हूं कि माननीय कमलासिंह जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री मुजफ्फर हसन—

मान्यवर, इसकी जो मंशा है वह यह है कि इसके जरिये सर्व साधारण के इस्तेमाल के जो औजार वगैरह हैं उसको हम न रखें, लेकिन जो मैकेनाइज्ड फार्म हैं उनके सामान को हम उसमें रखें, और वे न छूट सकें। उसी की एक फेहरिश्त बनेगी।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं ऐसा समझता हूं कि जिस उपधारा पर हम विचार कर रहे हैं उसमें ज्यादा मतभेद नहीं है। मंत्री जी ने जो कहा मैं उससे इत्तफाक करता हूं यदि इसमें कुछ सुधार कर दिया जाय। आम किसान के इस्तेमाल की जो चीजें हैं अगर उनके लिये छूट हो जाय तो मैं समझता हूं कि माननीय कमलासिंह जी को अपना संशोधन वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरी बात को माननीय मंत्रीजी समझ गये हैं और मैं आशा करता हूं कि पालीवाल जी भी अपने को करेक्ट कर लेंगे। मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि इन चीजों को नियमों में या किसी प्रकार वह कर लेंगे, ठीक है। मैं वापिस लेता हूं। लेकिन पालीवाल जी का मैं बड़ा आभारी हूंगा यदि वह कृषि से संबंधित उपकरण कौन-कौन हैं—शायद ५० चीजों के नाम वह बतला दें—ताकि मंत्रीजी को भी मदद हो।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) के खंड (११) से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें :—

"यदि वह ऐसी जुड़वा गाड़ी (Articulated Vehicle) या किसी ऐसे अन्य "ट्रैक्टर ट्रेलर के संयोजन से ले जायी जाय।"

श्रीमन्, इसे निकाल कर "कृषि उपज जो ऐसे उपज की स्वामी का हो" रह जाता है। कल राजा साहब ने यहां बहुत सी बातें कहीं और आर्टीक्यूलेटेड वेहिकिल के बारे में जो उन्होंने कहा मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। जुड़वा गाड़ी शब्द मालूम नहीं कैसे रखा गया है? हिन्दी में जुड़वा का मतलब है कि दो बच्चे एक साथ पैदा हों। तो क्या उनका मतलब है कि ऐसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गाड़ी जिसमें दोनों बैल एक साथ के पैदा हुये जुते हों ? हां, अगर दो बैल एक साथ जुते हुये होते, जैसा कि कांग्रेस का चिन्ह भी है, तब तो समझ में आ सकता था, बहुत से ऐसे जानवार हैं, जैसे गुडौल या क्या उन्होंने बतलाया था, जिनके जिस्म पर बहुत निशान होते हैं। मैं समझता हूं कि अगर डिक्शनरी भी देखा जाय तो यह एक विचित्र सी चीज मिलती है। माननीय मंत्री जी का मंशा बहुत सुन्दर है और स्वस्थ है, लेकिन इन शब्दों के रहने से एक परेशानी पैदा होगी। मंत्रीजी यही चाहते होंगे कि जो किसान अपना सामान अपनी गाड़ी से ले जाय, उस पर कोई टैक्स न लगे। इसलिये मेरे संशोधन को मानने में कोई हानि नहीं है। यह बड़े और छोटे काश्तकार का सवाल नहीं है। हमें सभी काश्तकारों को प्रोत्साहन देना है कि वे अधिक से अधिक गल्ला पैदा करें और जहां सामान की कमी हो वहां आसानी से पहुंचा सकें।

श्री मुजफ्फर हसन—

जहां तक इसकी मंशा का ताल्लुक है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, दिक्कत यह है कि मिसयूज से कैसे बचाया जाय। ट्रैलर ट्रैक्टर पर सामान जाय तो यह समझा जा सकता है कि काश्तकार का है। लेकिन गाड़ी पर सामान लादा जा रहा है और उसने कह दिया कि काश्तकार का है, तो इस मिसयूज को हम रोकना चाहते हैं। ट्रक पर कर देने से मिसयूज का अन्देशा है। इसीलिये यह रखा गया है।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शंका माननीय मंत्रीजी ने व्यक्त की है वह अपने स्थान पर सही है। देहात में बहुत से ऐसे बड़े धनीमानी लोग हैं जो ट्रैक्टर में ट्रैलर बांध कर भाड़े का काम करते हैं। इससे दुरुपयोग हो सकता है। यदि केवल कृषि उपज शब्द ही रहे तो यह व्यापक शब्द होगा और इसमें दुरुपयोग की गुंजायश कम होगी। इसे मंत्रीजी देख लें और कोई मुनासिब शब्द रख दें।

*श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मैनेजर सिंह के ध्यान में इसी खंड का सब-क्लाज (क) लाना चाहता हूं। इसमें कृषि उपज के लिये क्लाज ही अलग है कि वह कृषि उपज जो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित करें। तम्बाकू भी जमीन से पैदा होता है, चाय और अफीम भी होती है। तो जनरलाइज करने से काम नहीं चलेगा। कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन्स तो हमें रखने ही होंगे। कृषि उपज को तो हमने शुरू में ही डिफाइन कर दिया है। अगर ऐसा न करें और किसी वेहिकिल को रख दिया जाय तो बनिया तो बहुत होशियार होता है, वह किसान के नाम पर कुछ भी कर सकता है। अतः अगर आप इसको वापस ले लें तो अच्छा होगा।

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी का कहना है कि कृषि उपज की परिभाषा में उसने बता दिया कि सरकार इस चीज को निर्दिष्ट करेगी कि कौन-कौन सी चीज कृषि उपज में होगी। कल भी मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था जैसे फलफूल हैं, वह एग्जेम्शन में नहीं आते हैं हालांकि वे भी एक तरह से कृषि उपज ही हैं। सरकार ने रखा है—ऐसी उपज जो उसने स्वयं की हो तो इससे सरकार का यह मतलब तो जरूर है कि काश्तकार जो स्वयं पैदा करे उस पर कोई टैक्स न लगाया जाय। अगर कोई आदमी सरकार को धोखा देता है तो उसके खिलाफ धारा २६ के मातहत कार्यवाही की जा सकती है, प्रासीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिये काश्तकार को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में हमें अधिकारियों पर विश्वास करना चाहिये वे कोई न कोई रास्ता इस बात को जानने का निकाल ही लेंगे कि वह चीज काश्तकार की है या नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

मान लीजिये किसी गांव में कोई बड़ी भारी आफत आ गयी है अथवा किसी काश्तकार की काश्त दो विभिन्न गांवों में है और वह बैलगाड़ी के अलावा और किसी सवारी से फसल को लाना चाहता है, तो उसको ऐसा करने की इजाजत देनी चाहिये। इसलिये आपको ट्रक वगैरह से भी अपनी उपज को लाने की इजाजत किसान को दे देनी चाहिये। इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि किसान चाहे अपना सामान ट्रेलर से ले जाय, चाहे बैलगाड़ी से ले जाय, चाहे ट्रक से ले जाय, उसे ले जा सकता है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई बन्धन नहीं होना चाहिये और ऐसा करके हमें उसके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहिये। अगर आपको किसी के ऊपर शंका है कि वह व्यापार करने के लिये अपना सामान ले जाता है तो उसके लिये आपके अधिकारी बने हुए हैं, जिस वक्त यह साबित हो जाय कि वह किसी व्यापारी का सामान ले जाता है तो धारा २६ के अनुसार आप उसे सख्त से सख्त सजा दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपना निजी माल एक जगह से दूसरी जगह अपने इस्तेमाल के लिये ले जाता है तो उसके रास्ते में आपको किसी तरह से नहीं आना चाहिये। आज की स्थिति में जब कि अन्न के लिये हाहाकार मचा हुआ है, अगर कोई अपना सामान अपने इस्तेमाल के लिये नहीं ले जाता है तो किसी किस्म का रोड़ा उसके रास्ते में नहीं आना चाहिये। इस प्रश्न पर आपको गौर करना चाहिये और देखना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी इसको इस विधेयक में से हटा देंगे और इस पर पुनः विचार करके मेरे संशोधन को मंजूर कर लेंगे। अगर उनको यह जिद्द हो कि चूंकि अपोजीशन की तरफ से यह संशोधन आया है, इसलिये उसे मंजूर नहीं करेंगे, तो इसमें अपोजीशन की कोई बात नहीं है। इस पर तो ठंडे दिल से हमको विचार करना है कि कोई चीज ऐसी न की जाय जिससे मार्ग प्रशस्त होने के बजाय उसमें और रोड़ा अटक जाय। आपके अधिकारीगण मौजूद हैं वे देख लेंगे कि कौन आदमी बदमाशी करता है और उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। वे इसका पता लगा लेंगे कि कौन आदमी व्यापार करने के लिये सामान ले जाता है और कौन अपने इस्तेमाल के लिये ले जाता है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस पर गौर करने के बाद इसको स्वीकार कर लेंगे।

*श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह की जो मंशा है वह तो उसी वक्त पूरी हो जाती है जब इसमें कई चीजों को एक्जेम्प्ट करने के लिये क्लाज ही रख दिया गया है। कृषि उपज में खाद्यान्न, चारा को रख दिया गया है जो भारी मात्रा में ट्रक लोड पर ले जा सकते हैं। हल वगैरह तथा कृषि सम्बन्धी जो दूसरे औजार हैं उनको भी ट्रक, ट्रेलर आदि से ले जाने की गुंजाइश रख दी गयी है। जैसा कि मन्त्री जी ने पहले ही कहा था कि इसको जेनरलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कृषि उपज के लिये पहले ही कह दिया गया है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तम्बाकू के लिये तो पहले ही मैंने कहा कि उसका एक्जेम्पशन हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से चाय व अफीम की खेती की भी बात है जिसे एक्जेम्प्ट नहीं कर सकते। इसको तो मुक्त करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिये आप इस संशोधन को वापस ले लें। इसको मैं मंजूर नहीं करता हूं।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है कि वे पहली मर्तबा बोले हैं। गवर्नमेंट का जवाब हो गया, इसलिये अब आप नहीं बोल सकते। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप बार-बार कल से इस बात पर बल दे रहे हैं कि यह जो कर भार बढ़ेगा वह व्यवसाय पर ही लगेगा, उसे व्यवसायी देंगे। माननीय कमला सिंह के संशोधन का उद्देश्य यह है कि जो किसान की अपनी कृषि उपज होगी उसके ऊपर यह कर न लगे और इस बात को आप सिद्धान्त रूप में मानते भी हैं। तो क्या कोई ऐसा उपाय आप नहीं निकाल सकते कि इसमें ऐसा प्राविधान कर दे कि कृषि उपज पर किसी तरह का कर न लगे? आपने जो यह ट्रैक्टर को मुक्त कर दिया इससे मैं समझता हूं कि बड़ा किसानों को तो आप ने छूट दे दी और छोटे किसानों को आपने इस बोझ से नहीं बचाया। अगर कोई किसान अपनी उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जायगा तो वह कर देगा और बड़ा किसान ट्रैक्टर से कहीं भी बाजार में ले जाय तो वह बच जायगा। आपने जो कहा कि व्यवसाइयों पर ही लगेगा यह बात नहीं है। आप तरह तरह के प्रोत्साहन किसानों को खाद्यान्नों की कमी को दूर करने और उपज बढ़ाने के लिये दे रहे हैं, लेकिन इस से आप केवल बड़ों को ही सहूलियत देंगे और छोटों को न देंगे। आपने ट्रैक्टरों को छूट दी, उसकी मैं सराहना करता हूं, लेकिन ऐसे किसान जिन के पास ट्रैक्टर नहीं हैं वह अगर भाड़े की गाड़ी से अपनी कृषि उपज कहीं बाजार में ले जाते हैं तो उन पर कर लग जायगा। मैं चाहता हूं कि छोटे किसान भी अगर अपनी उपज ले जाते हैं तो उन को भी आप मुक्त कर दें। तो मैं समझता हूं कि श्री कमला सिंह जी अपना संशोधन वापस ले लेंगे.

श्री कमलासिंह यादव—

मैं माननीय राम मूर्ति जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरी बात सुन कर जरा मदद करें क्योंकि वह बहुत रीजनेबिल हैं, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी अनरीजिनेबिल हैं। आप कहते हैं कि अगर रोजगार के सम्बन्ध में कोई ले जायगा तब लगेगा। अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि राज्य सरकार अपनी विज्ञप्ति के द्वारा जिन चीजों पर लगायेंगी वह चीज कृषि उपज में आयेंगी। मैं उनका ध्यान इसकी पहली लाइन की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में लिखा है कि "कृषि उपज का तात्पर्य गन्ना, खाने योग्य तिलहन और ऐसी अन्य उपज से है जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे।" जहां तक गन्ना और खाने योग्य तिलहन का सम्बन्ध है, यह २ चीजें स्पष्टतः कृषि उपज में आती हैं। अन्य चीजों के विषय में ही सरकार का डिसक्रिशन है कि कौन चीजें उसमें रखी जायं और कौन चीजें न रखी जायं। अगर कोई गन्ना पैदा करता है और मिल में ले जाता है तो उस पर भी यह कर नहीं लगना चाहिये। आपने गन्ना और खाने योग्य तिलहन के बारे में स्पष्ट कर दिया, लेकिन अगर इन चीजों को ट्रैक्टर पर कोई ले जाय तो वह कर से मुक्त रहेगा। जबकि आप खुले शब्दों में कह रहे हैं कि गन्ना या खाने योग्य तिलहन या अन्य सामान जो सरकार विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे। अगर कोई अपने खेत में सामान पैदा करता है और बाजार में बेचता है तो उस पर आपको टैक्स न लेना चाहिये अगर दूसरों का खरीदकर रोजगार के लिये ले जाय तभी लगे। लेकिन आज किसान की हालत यह है सुबह से शाम तक खून पसीना की तरह बहाता है और उसको अपने गल्ले का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तो हमको चाहिये कि हम किसानों को मौका दें जिससे अपने सामान की बेस्ट कीमत मिल सके। इसीलिये आपने कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी हैं। तो अगर आप सिर्फ इस बहस पर संदेह प्रकट करते हैं कि किसान अपना माल बेचने के लिये ले जाय तो टैक्स लगेगा...।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह संदेह नहीं है, बल्कि यह है कि कुछ चीजें हैं जिन पर हम लगाना चाहते हैं। जैसे खेत से ही तम्बाकू पैदा होगी। तो ऐसी कई चीजें हो सकती हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

तम्बाकू पर आप कर लगायें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अन्न और फल वगैरह अगर मार्केट में ले आकर अच्छी कीमत ले तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। जो चीजें आप कृषि उपज में रख रहे हैं उनके लिये उन आदमियों को छूट दे दी जाय जो उसको पैदा करते हैं इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है। इस खयाल को रख कर आप अपने नियमों में अगर कहीं संशोधन कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अगर आप आश्वासन दे दें कि कहीं इसको ठीक कर लेंगे तो कोई एतराज नहीं होगा।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मैनेजरसिंह के लिये अब शंका का कोई कारण रह नहीं जाता क्योंकि कृषि उपज, खाद्यान्न और चारा ऐग्जेम्प्टेड है, फिर उसके बाद कुछ अधिकार सरकार में खंड ७ में रखे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

असल में झगड़े वाला सिर्फ संदेह है जुड़वागाड़ी से ले जायगा तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर ट्रक से ले जायगा तो आपको शुबहा है। अगर वह ट्रक पर भी अपना सामान ले जाय मार्केट में बेचने के लिये, तो जैसा कानून है आपका उसके अन्दर विदित है कि जो किसान अपनी चीज बेचने के लिये ले जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं जुड़वागाड़ी पर ही नहीं, अन्य तरीके से भी अपने माल को ले जाय, तो उस पर कोई कर नहीं लगना चाहिये। कृषि उपज का भ्रम छोड़ दें। विज्ञप्ति से आप तय करेंगे कि कौन सा सामान कृषि उपज में आयेगा, इस सम्बन्ध में हमें संदेह नहीं है। सिर्फ ले जाने का जो साधन है उसी पर मतभेद है। ट्रैक्टर, ट्रेलर या २ बैल से जुती हुई गाड़ी हो उस पर जितना सामान ले जाय कोई कर नहीं लगेगा। तो मेरा मतलब यह है कि अगर कोई सामान ऐसा हो कि बैलगाड़ा कीमती पड़ रही है और ट्रक उसे सस्ता मिल जाय और उससे सामान ले जाय तो आपको क्या एतराज है इसमें? ट्रक, बैलगाड़ी या ट्रैलर, ये तो सिर्फ माल ढोने के जरिये हैं। अगर किसान अपने माल को ट्रक से ले जाता है तो क्या फर्क हो जाता है। कानून के जरिये हम सिर्फ उस आदमी को छूट दे रहे हैं जो अपने माल को जुड़वा गाड़ी या ट्रैक्टर ट्रैलर में ले जाता है, अगर उस व्यक्ति के पास कृषि उपज ज्यादा हो। अगर वह ट्रक के जरिये भी ले जाता है तो हम को और आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये। सिर्फ बन्दिश यह होनी चाहिए कि उसका अपना माल हो।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय कमलासिंह जी को मैं आश्वासन देता हूं कि उनके और हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। उनका कहना है कि कहीं भी इसका प्राविजन कर दिया जाय तो इसके लिये मैं उनसे पूछ लूंगा कि वे इस संशोधन को कहां रखना चाहते हैं। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में वे परामर्श कर लेंगे तो मेरा निवेदन है कि वे अपने अधिकारियों से बातचीत करके और सलाह करके किसी नियम के अन्दर कहीं भी जोड़ दें। मैं केवल यह चहाता हूं कि कोई व्यक्ति यदि अपने निजी सामान को किसी भी वाहन से ले जाये चाहे ट्रक हो, ट्रैलर हो, तो उसे पूरी छूट देनी चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देते हैं तो मैं इसे वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

हमने एक संशोधन पर वोट देना मुल्तवी कर दिया था, उस पर अब वोटिंग होगी। प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) (७) के खंड में 'दूध' के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं।

"तथा दूध पाउडर"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उप खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित 'च' रख दिया जाय :—

"च—निजी माल वाहन का तात्पर्य सार्वजनिक माल वाहन से भिन्न किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो निजी माल कृषक द्वारा ले जाने के प्रयोग के लिये निर्मित या अनुकूलित हो या किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो लेकिन उसका प्रयोग केवल माल या यात्रियों के अतिरिक्त अपने प्रयोजन के लिये अपना माल ले जाने के लिये किया जाय। किन्तु इसके अन्तर्गत (१) मोटर कार, (२) ट्रेलर या कृषक द्वारा अपनी कृषि उपज तथा कृषि सम्बन्धी सामान ले जाने वाली गाड़ी चाहे ट्रैक्टर मोटर गाड़ी अथवा जुड़वां गाड़ी के रूप में हो। (३) ऐसी मोटर गाड़ी जो स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के स्वामित्व में हो, नहीं है।"

मैं समझता हूं कि यह चीज तो साफ है। इसको माननीय मंत्री जी पढ़ लेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो आश्वासन माननीय कमलासिंह जी को दिये हैं उनकी रोशनी में अब इस एमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है।

कुंवर तेजभानसिंह—

श्रीमन् कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री हरीदत्त कांडपाल—

(कोरम की घंटी बजने के दर्मियान) माननीय कमलासिंह इस बात के कायल हो गये होंगे कि जो आश्वासन दिये जा चुके हैं और जो संशोधन माने जा चुके हैं उनकी रोशनी में इस अमेंडमेंट को अब उनको प्रेस करने की जरूरत नहीं रह गयी है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सार्वजनिक माल वाहन और निजी माल वाहन का सम्बन्ध है उसकी डेफिनीशन यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९४८ में दी हुई है और दोनों के लिये अलग-अलग सीमित टैक्सेशन भी निर्धारित है। मेरी शब्दावली पर ध्यान न दे कर अगर मंत्री महोदय मेरी मंशा को मंजूर करते हैं कि कानून के अन्दर जो निजी माल वाहन की

[श्री कमलासिंह यादव]

डेफिनीशन में चीजें आती हैं वही रखी जायेंगी और सार्वजनिक मालवाहन की डेफिनीशन में जो चीजें आती हैं वही रखी जायेंगी तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसीलिये मैंने इस संशोधन को रखा है।

श्री मैनेजरसिंह—

इसमें निजी माल वाहन की परिभाषा दे दी गयी है। इसके लिये प्रदेश में कानून बना हुआ है यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९। उसमें पब्लिक तथा प्राइवेट कैरियर की परिभाषा दी हुई है। अब इसमें जो निजी माल वाहन की परिभाषा दी हुई है, यह जो प्रेम पत्र दिया हुआ है इसकी क्या आवश्यकता थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी साफ कर दें इसको, बिला वजह प्रेम पत्र क्यों लिख रहे हैं। यदि इसको आप बहुमत के बल पर स्वीकार कराते हैं तो बड़ी पेचीदगी पैदा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

ये सब बातें आप पहले कहते।

श्री मैनेजरसिंह—

आप इतना ही कर दें कि पब्लिक कैरियर और प्राइवेट कैरियर की जो डेफिनीशन है उसकी पांच सात लाइनें निकाल दें।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस अमेंडमेंट को मान जाने से पेचीदगियां बढ़ती हैं और प्राइवेट कैरियर की जो डेफिनीशन है वही डिस्टर्ब होती है, लिहाजा इसको हम ऐक्सेप्ट नहीं कर सकते और जो एक्जेम्प्शन दिये गये हैं वे तो आ ही जाते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

एक व्यवस्था चाहता हूं। एक कानून स्वीकृत है, उसमें पब्लिक कैरियर और प्राइवेट कैरियर की डेफिनीशन है। तो जब तक उस मूल ऐक्ट में जो परिभाषा है उसको बदला न जाय, दूसरे विधेयक में उसको कैसे बदला जा सकता है ? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

हर विधेयक में जो परिभाषा निश्चित कर दी जायगी वही मानी जायगी। तो इसमें अगर कोई दूसरी परिभाषा करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

असल में जो निजी वाहन है उसके लिये भी मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के मातहत ही रजिस्ट्रेशन या परमिट वगैरह मिलेगी और इसके अन्तर्गत यह दिया गया है कि निजी माल वाहन को परमिट या रजिस्ट्रेशन, १९३९ के ऐक्ट के मुताबिक ही होगा। सिर्फ इस विधेयक के अन्दर हम इतना फर्क करने जा रहे हैं कि हम उसे रजिस्टर्ड मानेंगे जब वह इस ये कोस देगा। अगर मूल ऐक्ट से भिन्न निजी माल वाहन की परिभाषा इसमें हम रखना चाहेंगे तो दिक्कत पड़ेगी। इसलिये उस ऐक्ट को इसके साथ जोड़े

रखना है और विधेयक के अन्दर भी यह चीज दी हुई है कि ऐसे ही सार्वजनिक या निजी माल वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा जो १९३९ के ऐक्ट में आलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर दूसरी डेफिनीशन होगी तो उसमें भिन्नता होगी और कंट्राडिक्शन होगा और एक मैटीरियल डिफेक्ट आ जायगा इसीलिये मैं यह लाया था और इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट न करके माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री मैनेजरसिंह—

आप २ (ट) देखें इसमें लिखा हुआ है कि "पद जुड़वां गाड़ी" मोटर कैब, मोटर गाड़ी और अनुज्ञा पत्र के वही अर्थ होंगे जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में पद आर्टीकुलेटेड वेहिकिल्स, मोटर कैब, मोटर कार, मोटर वेहिकिल्स परमिट के लिये दिये गये हैं। तो यहीं पर जोड़ दिया जाय कि प्राइवेट कैरियर और पब्लिक कैरियर के वही अर्थ होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो गवर्नमेन्ट जो चाहेगी वही करेगी।

श्री मैनेजरसिंह—

आप इशारा करें।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं इसको नहीं मान सकता हूं क्योंकि जो इनकी डेफीनीशन है उसी में फर्क आ जायगा और परपजली यहां हमने इसको रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित 'च' रख दिया जाय—

"च—निजी माल वाहन का तात्पर्य सार्वजनिक माल वाहन से भिन्न किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो निजी माल कृषक द्वारा ले जाने के प्रयोग के लिये निर्मित तथा अनुकूलित हो या किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो, लेकिन उनका प्रयोग केवल माल या यात्रियों के अतिरिक्त अपने प्रयोजन के लिये अपना माल ले जाने के लिये किया जाय। किन्तु इनके अन्तर्गत (१) मोटर कार, (२) ट्रैलर या कृषक द्वारा अपनी कृषि उपज तथा कृषि संबंधी सामान ले जाने वाली गाड़ी या ट्रैक्टर, मोटर गाड़ी अथवा जुड़वां गाड़ी के रूप में हो।

(३) ऐसी मोटर गाड़ी जो स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के स्वामित्व में हो, नहीं है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्ण सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (च) (१) में 'मोटर कार' के बाद यह जोड़ दिया जाय—

"व जीप कार ट्रेलर सहित अगर ट्रेलर में निजी यात्री का हर दिन के इस्तेमाल करने का सामान हो।"

श्रीमन्, इसलिये इसकी जरूरत हुई कि हमारे कुछ साथी जीप से आये और उसका जिक्र कर दिया तो प्रश्न उठा कि भत्ता कार के मुताबिक नहीं दिया जाना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत है। यह बिलकुल इन्नोसेंट संशोधन है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

उपाध्यक्ष जी, जो बहस चल रही है उसमें ५ पांडव हम लोग हैं, १०० कौरव उधर हैं। उनकी संख्या अधिक है। ट्रैक्टर वगैरह को छूट है उससे मतलब निकलता है लेकिन यदि मंत्री जी जीप के लिये कुछ छूट देना चाहें तो दें दें, ट्रेलर पर तो माल ले जायेंगे, लेकिन अगर किसान एक आध बोरी ले जायगा तो उसको देना पड़ेगा। आप जीप कार को छूट देना चाहें तो दे दें।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णासिंह जी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है असल में वह अनावश्यक है, क्योंकि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के मुताबिक जीप की डेफिनीशन मोटरकार ही है। जहां तक ट्रेलर में सामान लाने का है, बिल में जो माल पर भाड़ा पड़ता है उस पर टैक्स है, जब अपने ट्रेलर में सामान लाता हो तो सवाल ही नहीं उठता टैक्स लगने का। इसलिए यह अनावश्यक है। मैं आशा करता हूं कि आप इस को प्रेस नहीं करेंगे।

श्री कृष्णासिंह—

मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ के उपखण्ड (ट) में शब्द "मोटर गाड़ी" के पश्चात् शब्द "ट्रेलर" बढ़ा दिया जाय और शब्द 'motor vehicle' तथा शब्द 'permit' के बीच शब्द "Traile और" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, इस संशोधन को पेश करने की आवश्यकता यों हुई कि बिल में यह प्रोवाइडेड है कि "पद जुड़वा गाड़ी" "मोटर कैब", "मोटर कार", "मोटर गाड़ी" और "अनुज्ञा-पत्र" के वही अर्थ होंगे जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में पद 'articulated vehicle, motor cab, motor car, 'motor vehicle permit,' के लिये दिये गये हों।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। खंड (२) का (च) लिया जा चुका है और वह रिजेक्ट हो चुका है इसके बीच में जितने आइटम्स हैं वह सब माने जायेंगे कि लिये जा चुके हैं। यह संशोधन नहीं लिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो (ट) है

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मुझे स्वीकार है

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ट) में शब्द "मोटर गाड़ी" के पश्चात् शब्द "ट्रेलर" बढ़ा दिया जाय और शब्द 'Motor vehicle' तथा शब्द 'permit' के बीच में शब्द "Trailor और बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का तात्पर्य माननीय पालीवाल जी के संशोधन में आ गया है इसलिए मैं प्रेस नहीं करती।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

सार्वजनिक माल वाहनों द्वारा ले जाये जाने वाले माल पर कर का लगाया जाना

३—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के प्रचलित होने के दिनांक से और उसके पश्चात् सार्वजनिक माल वाहन में सड़क द्वारा माल ले जाये जाने वाले सभी माल पर उस दर से कर लगाया जायगा जो राज्य में माल इस प्रकार ले जाये जाने के लिये देय भाड़े के पांच प्रतिशत के बराबर हो और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा ।

स्पष्टीकरण १—यदि माल सार्वजनिक माल वाहन द्वारा राज्य के बाहर के किसी स्थान से लाया जाय अथवा किसी स्थान को ले जाया जाय तो राज्य के भीतर माल ढोने के लिये देय भाड़ा वह धनराशि समझी जायेगी जिसका अनुपात देय कुल भाड़े से वही जो राज्य के भीतर की दूरी का उस कुल दूरी से है जिसके लिये ऐसे वाहन द्वारा माल ले जाया जाय ।

स्पष्टीकरण २—यदि कोई भाड़ा देय न हो या देय भाड़ा उस धनराशि से कम हो जिसको परिगणना ऐसी दरों पर की गयी हो जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाय, जो मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट १९३९ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन निश्चित भाड़े की अधिकतम दर के अस्सी प्रतिशत से अधिक न होगी, तो इस प्रकार परिगणित धनराशि देय भाड़ा समझी जायगी ।

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(२) कृषि उपज, खनिज, खनिज धातुक और पैट्रोलियम पदार्थों पर छोड़कर राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन लगाये जाने वाले कर की दर को, गजट में विज्ञप्ति द्वारा बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वह उक्त उपधारा में निर्दिष्ट भाड़े के पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में "पांच" के स्थान पर "दो" रख दिया जाय ।

पांच परसेंट आपने रखा है अगर इसको दो परसेंट कर दें तो बहुत बड़ी चीज नहीं होगी । एक राहत भी लोगों को मिलेगी और यह समय की भी मांग है । जहां तक कृषि उपज का संबंध है आपने उसमें रोड़ा लगाया है कि जो आप चाहेंगे करेंगे अपने मनमाने ढंग से कृषि उपज में उन सामानों को वह रखेगी जिनको सरकार चाहेगी । जहां तक टैक्स का सवाल है उसके बारे में आपको पूरा अधिकार है कि जिन चीजों पर चाहें आप टैक्स लगावें तो मैं यह सोचता कि जिन चीजों पर आप लगावें उन पर आप ५ परसेंट की जगह पर २ परसेंट कर दें तो लोगों को राहत मिलेगी और आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मंजूर नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कमलासिंह जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं । मैं देख रहा हूं कि उचित संशोधनों को भी अस्वीकार करने में माननीय मंत्री जी को संकोच नहीं

[श्री मैनेजरसिंह]

हो रहा है । अभी उपखंड (१) में आपने यह व्यवस्था की है कि ५ परसेंट कर लगाया जायगा और इसमें आगे चलकर आपने यह अधिकार लिया है कि सरकार इसको १५ परसेंट तक कर सकती है । मैं यह भी देख रहा हूं कि इस प्रदेश में सारे कर मध्यवर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पर लगाये जा रहे हैं । मैं यह मानता हूं कि इस कर का बोझ भी इस प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ेगा । मैं यह भी देख रहा हूं कि कर लगाते समय यह कहा जाता है कि ५ परसेंट लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं यह सरकार अधिकार ले लेती है कि उसको बढ़ाया भी जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार और बाद में साल के अन्दर पूरी सीमा तक कर बढ़ा दिया जाता है । मैं यह जानता हूं कि इसमें भी आप १५ परसेंट की अधिकतम सीमा तक १ साल के अन्दर पहुंच जायेंगे । मैं इस कर की मूल भावना का विरोध करता हूं क्योंकि इसका बोझ उस गरीब जनता पर पड़ेगा जिनके बल पर आप यहां विराजमान हैं । मैं अदब से मंत्री जी और उनकी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको यह कुर्सी बख्शी है उन्हीं पर अधिक टैक्स न लगाया जाय और यदि यही आपकी मनोवृत्ति, यही प्रवृत्ति रही तो निश्चय मानिये कि जिस प्रकार से आपका बहुमत दिन ब दिन इस आदरणीय सदन में घट रहा है, घटेगा और ६७ के बाद आप शायद सरकार न बना पावें और यहां अब विरोधी पक्ष में आपको बैठने का मौका मिलेगा तब एहसास होगा । इस लिये मैं मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कर लगाने से आप विरत हो जायं और कमलासिंह जी के २ परसेंट के संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री कमलासिंह यादव—

अब मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना है ।

श्री हरीवल्ल कांडपाल—

मुझे भी कुछ नहीं कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में "पांच" के स्थान पर "दो" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी सूरत में टैक्स भाड़ा दोनों का योग रेलवे के रेट से अधिक न होगा ।"

श्रीमन्, यह जो मैंने संशोधन प्रतिबन्ध के रूप में रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । संविधान के अन्दर हर आदमी को छूट है कि किसी किस्म का रोजगार वह कर सके । साथ ही यह भी है कि हम किसी भी प्रापर्टी या ट्रेड से किसी आदमी को डिप्राइव नहीं कर सकते । तो इस विधेयक के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है उससे हमें खतरा है क्योंकि आज दो तरह से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हमारे यहां है । एक तो रेलवे के द्वारा है और दूसरी रोड द्वारा है, सड़क से संबंधित ट्रांसपोर्ट मोटर वेहिकिल्स के जरिय होता है और दूसरा रेलवे के द्वारा होता है । दोनों में कशमकश रहती है ।.....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं यह बता रहा था कि हर इंसान जो किसी किस्म का रोजगार करना चाहता है या कर रहा है तो कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो उसकी प्रापर्टी या ट्रेड को उससे छीन ले। इस तरीके पर यह जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको मिलाकर और वह भाड़ा जो पहले से निश्चित है एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को मालवाहन द्वारा ले जाने के लिए चाहे वह सार्वजनिक माल वाहन हो या निजी माल वाहन हो, अगर इन दोनों को मिलाकर यह भाड़ा रेलवे के भाड़े से ज्यादा हो जायगा तो उसका नतीजा यह होगा कि जनता कोशिश करेगी कि वह मालगाड़ी के जरिये अपना सामान ले जाय और मोटर से न ले जाय। इस तरीके पर जो मोटर वेहिकिल्स के जरिये ट्रांसपोर्ट हो रहा है (व्यवधान) श्रीमन्, शोर बहुत हो रहा है, अगर ज्यादा बातचीत लोगों को करनी हो तो इसको स्थगित कर दें, पहले बातचीत कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

ज्यादा बातचीत न हो ।

श्री कमलासिंह यादव—

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि रेलवे से कंपीटीशन है रोड ट्रांसपोर्ट का जो कि मोटर वेहिकिल्स के जरिये से होता है...

एक सदस्य—

पांच बजे तक आज समाप्त होना है इसको ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं कब कहता हूं कि समाप्त न हो, लेकिन उसके लिये दस बजे रात तक बैठें, १२ बजे रात तक बैठें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि जैसे कि बड़े सुन्दर ढंग से चल रहा है विचारों के आदान-प्रदान से सही चीजें हो जायं तो ज्यादा अच्छा है जिससे कि विधेयक पास होने के बाद कोई गड़बड़ी उसमें न रहे। (व्यवधान) श्रीमन्, शोर कितना हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आपस में बात न कीजिए ।

श्री कमलासिंह यादव—

तो श्रीमन्, मैंने बताया कि जब रेलवे और मोटर गाड़ियों में यह कंपीटीशन है तो ऐसी दशा में आप उनको तबाह करने के लिये इतना टैक्सेशन लगा दें कि वह मोटर से माल ले जाना छोड़कर रेलवे से ले जाने लगें, तो ऐसा कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि अगर पहले से लगा हुआ माल भाड़ा और आपके द्वारा लगाया हुआ टैक्स दोनों मिलाकर रेलवे के मुकाबिले में भी हो, तब तक तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह है कि अगर कर इतना लगे कि उसका भाड़ा बहुत ज्यादा हो जाय रेलवे के मुकाबिले में कि एक आदमी मजबूर हो जाय ट्रक से सामान न ले जाकर रेलवे से ले जाय तो इससे किसी आदमी के रोजगार पर यदि असर पड़ता है तो यह संविधान के अनुसार उचित नहीं होगा।

[श्री कमलासिंह यादव]

फंडामेंटल राइट्स के अनुसार उसको अधिकार नहीं रहता है। मैं समझता हूं अगर आपको टैक्स लगाना है तो ऐसा टैक्स लगायें कि जिससे आपका काम भी हो जाय, आपको पैसा भी मिल जाय और रेलवे से कम्पटीशन चलता रहे और किसी का रोजगार खत्म न हो। इसलिये जो ट्रेड है वह खत्म न हो और उसको किसी प्रकार से डिप्राइव न किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें ताकि किसी का लगा हुआ रोजगार खत्म न हो, नहीं तो यह हमारे संविधान के अनुसार नहीं होगा।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशनल दिक्कत की तरफ माननीय कमलासिंह जी ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया। इस कांस्टीट्यूशनल कठिनाई पर बहुत विचार किया गया है। इससे उनको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है कि भाड़ा और कर मिलाकर रेलवे से अधिक न हो जाय, तो इससे मैं नहीं समझता कि वह किसका फायदा देखना चाहते हैं। आज भी रेलवे और मोटर ट्रांसपोर्ट में कोई समानता नहीं है। जहां तक रेलवे का ताल्लुक है उसमें जो भाड़े की दर मुकर्रर है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से मुकर्रर है। हमारे यहां भी ट्रांसपोर्ट के भाड़े की दर मुकर्रर है। प्राइवेट मोटर मालिक को अख्तियार है कि वह उस दर से कम दर पर भी माल ले जा सकता है। यह होता भी है कि वह कम रेट पर ले जाते हैं। इसलिये भाड़े की दर को कम करना या कर की दर को कम करना जब कि उनको कम पर ले जाने का अधिकार है और वे ले जाते हैं तो यह हमको मंजूर नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इसको प्रेस कर चुका हू। वापस लने का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :—

"किंतु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी सूरत में टैक्स भाड़ा दोनों का योग रेलवे के रेट से अधिक न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के स्पष्टीकरण २ की पांचवीं पंक्ति में "अस्सी" के स्थान पर "पच्चीस" रख दिया जाय।

इसके स्पष्टीकरण २ में यह दिया हुआ है कि यदि कोई भाड़ा देय न हो या देय भाड़ा उस धनराशि से कम हो जिसकी परिगणना ऐसी दरों पर की गयी हो जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित की जाय, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन निश्चित भाड़े की अधिकतम दर के अस्सी प्रतिशत से अधिक न होगी, तो इस प्रकार परिगणित धनराशि देय भाड़ा समझी जायगी। इसमें सिर्फ हमने यह रखा है कि जो अधिकतम भाड़ा होगा उसके ८० प्रतिशत के स्थान पर २५ प्रतिशत रख दिया जाय। इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं है।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

कमलासिंह जी को कुछ मुगालता हो गया है क्योंकि स्पष्टीकरण में जो बात कही गई है वह आज भी चालू है। जैसा आप संशोधन पर बोलते हुए कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक भाड़ा निश्चित किया मोटर वेहिकिल्स का मैक्सीमम। उसका ८० प्रतिशत ले सकते हैं,

उस पर टैक्स लगेगा। तो आप २५ प्रतिशत करने जा रहे हैं। इसके माने यह होंगे कि भाड़ा तो ज्यादा दें और टैक्स कम दें। यह उनका हित आपने कर दिया लेकिन सरकार का नुकसान हो गया, तो यह माने जाने लायक बात नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं तो समझ रहा था कि शायद माननीय मंत्री जी दूसरी बात कहेंगे, लेकिन यहां ऐसे माल वाहन के बारे में चर्चा है जिस पर कोई भाड़ा देय नहीं होगा। तो अगर देय नहीं होगा तो २५ परसेंट तो मिल ही जायगा अगर उस पर भी राजी नहीं है तो जैसा चाहे गवर्नमेंट के बल पर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के स्पष्टीकरण २ की पांचवीं पंक्ति में "अस्सी" के स्थान पर "पच्चीस" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के स्पष्टीकरण २ के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण ३ रख दिया जाय---

"यदि कोई माल निजी माल वाहन द्वारा अपनी भूमि के कृषि उपज की वस्तु हो तो इस प्रकार के कर से मुक्त समझा जायगा।"

मंत्री जी इसको पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पैदा की हुई कृषि उपज को अपने निजी माल वाहन से ले जा सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, आशा है कि इसको मान लेंगे।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

मैंने आश्वासन दिया है कि कृषि उपज के संबंध में जो निजी उपज होगी उसमें रूल्स बनाते समय इसको फिट कर लेंगे। कृषि उपज को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, इसलिए आशा है कि आप इसको प्रेस नहीं करेंगे।

श्री मैनेजरसिंह---

कृषि सूची राज्य सरकार निर्देश करेगी, आप मानते भी हैं कि निजी माल पर कर नहीं लगायेंगे, इसका अधिकार सरकार को दिया गया है। तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, कोई पेचीदगी नहीं है, प्रतिबन्ध जोड़ दें तो राज्य सरकार जो सूची बनायेगी तो उनको कर-मुक्त कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो गवर्नमेंट के आश्वासन पर आपने छोड़ा है, इसको आप वापस ले लीजिए।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं इसको उपयुक्त जगह पर रख रहा हूं। परिभाषा कृषि उपज की है, उसको आपने स्वीकार किया है कि कोई भी अपनी गाड़ी से अपनी पैदा की हुई कृषि की उपज को ले जा सकेगा और उसको कर मुक्त किया जायगा। तो मैंने कोई नयी बात नहीं रखी है, जो आश्वासन आपने दिया है वही है। मेरा संशोधन तो यही है कि "यदि कोई माल निजी माल वाहन द्वारा अपनी भूमि के कृषि उपज की वस्तु हो तो इस प्रकार के कर से मुक्त समझा जाय।" इस संबंध में एक बार सरकार ने आश्वासन भी दिया है। तो अब उसके पीछे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार को यह संशोधन मान लेना चाहिये।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आश्वासन का सवाल है, हम अपने दिये गये आश्वासन पर ज्यों के त्यों दृढ़ हैं और नियमों में उसे करेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर नियमों के द्वारा कर देंगे तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "कृषि उपज" तथा शब्द "और" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"जिसके अन्तर्गत फल, अन्न तथा सब्जी आलू इत्यादि भी सम्मिलित हैं ।"

मैं समझता हूं कि इसमें कोई नयी चीज नहीं है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है । माननीय मंत्री जी इसे मान लेंगे ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स बनाते वक्त, जो अधिकार हमने अपने हाथ में लिया है, हम इन सब बातों का भी खयाल कर लेंगे, इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर रूल्स में कर लेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) में "पन्द्रह" के स्थान पर "दस" रख दिया जाय और इसके अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंध रख दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि कर की दर केवल इमर्जेंसी (संकटकालीन) स्थिति में ही बढ़ सकेगी यदि युद्ध छिड़ जाय ।"

सरकार ने अभी ५ परसेंट तक कर लगाने की बात कही है, लेकिन १५ परसेंट तक सरकार लगाना चाहती है । यात्री कर के बारे में पहले पांच परसेंट किया, फिर १५ परसेंट कर दिया । तो यह संशोधन इसलिये है कि अगर संकटकालीन स्थिति हो जाय तो सरकार १५ परसेंट कर दे क्योंकि उस समय पैसे की जरूरत होती है । सरकार को १५ परसेंट का अधिकार देने में हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार के ऊपर हमें अंकुश भी रखना है । अगर कोई संकटकालीन स्थिति आ जाय तो हमें सरकार को ऐसे अधिकार देने में कोई आपत्ति न होगी कि वह ५ से १५ प्रतिशत कर ले । अगर यह अंकुश न होगा तो सरकार मन माने ढंग से बढ़ायेगी और इस अधिकार का दुरुपयोग करेगी ।

इसके अलावा इसके लिये कोई समय भी निर्धारित नहीं किया गया है कि ५ से १५ या १० प्रतिशत कितने दिनों में किया जायगा । सिर्फ सरकार ने इतना अधिकार ले लिया कि गजट में प्रकाशित करके वह ५ से १५ प्रतिशत तक कर सकती है यह उचित नहीं है । हमें इस अधिकार को संकटकालीन स्थिति में ही देना चाहिये । उम्मीद है कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी ।

श्री मैनेजरसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, खंड ३ के उपखंड (२)में जो संशोधन माननीय कमलासिंह जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। यह संशोधन बिलकुल सरल और साफ है। जिस प्रकार की स्थिति चीन के आक्रमण के समय उपस्थित हो गयी थी, ऐसी अगर कोई स्थिति आ जाय और सरकार को धन की आवश्यकता पड़े तो सरकार टैक्स के प्रतिशत को बढ़ा सकती है। मैं समझता हूं, यह बहुत ही न्याय-संगत संशोधन है। सरकार को इसे मान लेना चाहिये। अगर वैसे आप इस सरकार को यह अधिकार दे देंगे तो उचित न होगा। अगर सरकार की मंशा १५ प्रतिशत टैक्स लगाने की ही है, तो सरकार को हिम्मत के साथ इस बात को कहना चाहिये और उसमें आत्मबल होना चाहिये जनमत के मुकाबला करने का। लेकिन ऐसा न करके यह सरकार अप्रत्यक्ष रूप से जनता के खिलाफ कदम उठा रही है। क्योंकि इस समय वह ५ प्रतिशत लगा देगी और बाद को १० या १५ प्रतिशत कर देगी। यह चोर दरवाजे से कार्य करने की पद्धति उचित नहीं है। अतः यह धारा जनतंत्र की धारा के प्रतिकूल है। इसके द्वारा सरकार जनतंत्र के विरुद्ध कार्य करना चाहती है। इसलिये मैं अधिक समय न लेकर दो चार शब्दों में यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस संशोधन को मान ले कि १५ परसेंट बढ़ाने का अधिकार सरकार को रहे, लेकिन जब संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो और जब देश और प्रदेश के हित में रुपया लेने की आवश्यकता हो तभी सरकार इस कर को बढ़ावे। यह बहुत ही उचित प्रतिबंध है जिसे आपको मान लेना चाहिये।

श्री मुजफ्फर हसन---

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चोर दरवाजे का कोई सवाल नहीं है और न उसके छिपाने का कोई सवाल है। यह तो मैंने बिलकुल साफ कहा है कि हम इसको ५ परसेंट से शुरू करते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ावेंगे। इसमें कोई छिपी हुई चीज नहीं है और इसमें इमर्जेंसी की भी कोई बात नहीं है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में साफ दिया हुआ है कि नियोजन के काम के लिये हम इस रुपये को चाहते हैं। इसका इमर्जेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो डेफिसिट हमारे बजट में है और नियोजन के कार्य के लिये हम यह कर लगाने जा रहे हैं। कई चीजों को देख कर हमें तय करना पड़ता है। इस वक्त उसकी शुरूआत हम ५ परसेंट से कर रहे हैं और आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको १५ परसेंट तक बढ़ायेंगे। इसमें कोई लुका-छिपी की बात नहीं है। इसलिये हम मजबूर हैं कि इस अमेंडमेंट को नहीं मंजूर कर सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें इमर्जेंसी का कोई सवाल नहीं है, नियोजन के लिये वे इस कर को लगा रहे हैं, तो क्या वे इमजसी में नियोजन के महत्व को नहीं समझते हैं? आप स्वयं कहते हैं कि इमर्जेंसी की हालत में नियोजन के काम में तेजी लाने की आवश्यकता होती है, तो जब देश में साधारण स्थिति हो तब ५ परसेंट से १५ परसेंट कर बढ़ाने का अधिकार लेना ठीक नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे स्पष्ट कह दूं कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट दिया हुआ है कि विकास कार्य के लिये यह कर लगाया जा रहा है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि विकास के लिये यह कर लगाया जा रहा है और पहले इसकी दर ५ परसेंट होगी। लेकिन ५ परसेंट से बढ़ा कर १५ परसेंट कर बढ़ाने का जो अधिकार सरकार को दिया जा रहा है वह उचित नहीं है। यदि कोई संकटकालीन स्थिति पैदा हो तभी इसको बढ़ाने की बात होनी चाहिये। और इसीलिए यह संशोधन मैं ने इसमें रखा है कि अगर कोई भी संकटकालीन स्थिति हो तो विकास के कार्य में किसी तरह की कोई अड़चन न हो क्योंकि विकास का कार्य

[श्री कमलासिंह यादव]

देश के लिये बहुत ही आवश्यक है, खासकर ऐसी हालत में जब कि देश में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो, आप ५ परसेंट से १५ परसेंट कर सकते हैं क्योंकि इसके लिये सरकार को पूर्ण अधिकार है और इसमें किसी को कोई एतराज भी नहीं हो सकता। लेकिन इस बात की आशंका है कि आप तो आज ५ परसेंट का प्रस्ताव पास करा लें और दो तीन महीने बाद ही १५ परसेंट कर दें, तो उसी के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया गया है ताकि आप १५ परसेंट न कर सकें।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन हमें स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में "पन्द्रह" के स्थान पर "दस" रख दिया जाय और इसके अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

'किंतु प्रतिबंध यह है कि कर की दर केवल इमर्जेंसी (संकटकालीन) स्थिति में ही बढ़ सकेगी यदि युद्ध छिड़ जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इसमें कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट दिया है। प्वांइट आफ आर्डर इसके मुताल्लिक यह है कि यह जो (२) है वह इस प्रकार है कि "कृषि उपज, खनिज, खनिज धातुक और पैट्रोलियम पदार्थों पर छोड़कर राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन लगाये जाने वाले कर की दर को गजट में विज्ञप्ति द्वारा बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वह उक्त उपधारा में निर्दिष्ट भाड़े के पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो जाय।" इसमें कृषि उपज, खनिज, खनिज धातुक और पेट्रोलियम पदार्थों पर छोड़कर राज्य सरकार लगायेगी यानी इनको एग्जेन्ट करेगी लेकिन अन्य चीजें जिनको विज्ञप्ति द्वारा पहले से वह कह देगी उनको वह भाड़े के १५ प्रतिशत तक लगा सकती है। लेकिन कृषि उपज २(क) में दी हुई है कि कृषि उपज का तात्पर्य गन्ना, खाने योग्य तिलहन और ऐसी अन्य उपज से है जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे। दूसरे में देखेंगे कि ११ नम्बर पर कृषि उपज पर दिया है और इसके अलावा खाद्यान्न भी ५ नम्बर पर है, ६ पर चारा और ७ पर दूध वगैरह दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो एग्जेम्पशन धारा २ में दिया है उसमें आपने कृषि उपज को छोड़कर लिखा है, लेकिन उपखंड २ में ११ पर यह आया है और उसके अलावा खाद्यान्न, दूध, चारा भी इसमें शामिल है। इसका मतलब यह है कि खाद्यान्न, चारा या दूध और उससे बनी हुयी चीजें हैं उनको आप एग्जेम्ट नहीं करते। इसका मतलब यह है कि धारा २ में जो परिभाषा दी गई है वह धारा ३ (२) के कान्ट्रेडिक्टरी है और कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि खंड २ तो पास हो चुका और विधेयक का अंग बन गया। खंड ३ का उपखंड (१) भी अंग बन गया अब यह उपखंड (२) उसका कान्ट्रोडिक्शन करता है। आपने जब टैक्स से बरी कर दिया तो इस तरह से आप १५ प्रतिशत तक कैसे लगा सकते हैं? यह कानूनन गलत है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर लीगल राय ले लें ताकि इस तरह का यह कान्ट्रोडिक्शन न हो। धारा २ में दिया है कि माल के अन्तर्गत पशुधन भी है, किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है, खाद्यान्न, चारा, दूध और कृषि उपज।

अगर कृषि उपज (११) में नहीं आती तब तो कोई कंट्रेडिक्शन नहीं होता। लेकिन कृषि उपज के साथ खाद्यान्न, दूध और चारे का होना और खंड ३(२) में सिर्फ कृषि उपज का लिख देना एक दूसरे को कंट्रेडिक्ट करता है।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

माननीय कमला सिंह ने जिस उपखंड को निकालने का प्रस्ताव रखा है और जिसकी वैधानिकता पर शक किया है, मैं नहीं समझ सका, इसी खंड में माननीय कमला सिंह ने संशोधन रखा। अब अगर उनका संशोधन स्वीकृत हो जाता तब तो वैधानिक था, और अगर नहीं माना गया तो अवैधानिक हो गया। क्योंकि जिन शब्दों के रहते हुए वह कहते हैं कंट्रेडिक्शन हो जायगा तो उनको निकालने की बात नहीं कही थी। तब तो हो जाता लीगल और अब इल्लीगल हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव---

जब दो संशोधन मैंने रखे हैं तो दोनों पर एक साथ बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

वह दलील दे रहे हैं कि कोई कंट्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपने भी तो ऐसा किया था।

श्री कमलासिंह यादव---

आप लीगल राय ले लें। खंड ३ के उपखंड (२) को रखना चाहते हैं तो खंड २ में जो चीजें एग्जेम्टेड हैं वह कृषि उपज के साथ जोड़ दें ताकि उनका भी एग्जेम्शन हो जाय। तब यह दिक्कत आपकी दूर हो जायगी। मुझे कोई जल्दी नहीं, आप इसको स्थगित कर दें, तब तक मंत्री जी कानूनी राय ले लें।

श्री मुजफ्फरहसन---

इसमें कंट्रेडिक्शन तो है नहीं। खंड (२) में जिन चीजों को छोड़ा है उसमें कोई कंट्रेडिक्शन नहीं आता। इसमें जो आइटम्स गिनाये हैं कि इन चीजों को छोड़ कर बाकी का बढ़ाया जाता है, तो माननीय कमलासिंह जी जिन आइटम्स को कहते हैं अगर वह गैर कानूनी होंगे तो नहीं बढ़ाया जायगा। उसमें कोई पाबन्दी नहीं है कि बढ़ाया जाय। वह कहते हैं कि कुछ आइटम्स खंड (२) में ऐसे कहे गये हैं कि अगर बढायेंगे तो गैर कानूनी हो जायगा। तो बढ़ाने के अख्तियार तो हमी को होंगे। अगर वे गैर-कानूनी होंगे तो जरूर करेंगे। उसमें कोई अमेंडमेंट न हो, वह पाबन्दी तो हमारे ऊपर आती है।

श्री कमलासिंह यादव---

खंड २ में ११ नम्बर कर दिया। उसके साथ-साथ खाद्यान्न भी जोड़ दिए तो इसलिये अगर आप कर ५ परसेन्ट से १५ परसेन्ट बढ़ाना चाहते हैं तो दिक्कत हो जायगी। यहां पर जब एक सेक्शन आपने पेश कर दिया तो उसका कंट्राडिक्टरी सेक्शन पेश करना चाहते हैं तो यह नियमानुसार नहीं है।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, इस खंड का जो विरोध किया गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४

निजी माल वाहनों द्वारा ले जाये जाने वाले माल पर कर का लगाया जाना। ऐक्ट संख्या ४, १९३९ ।

४---(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस धारा के प्रचलित होने के दिनांक से और उसके पश्चात् राज्य में निजी माल वाहन में सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले सभी माल पर उस दर से कर लगाया जायेगा जो भाड़े की उस धनराशि के पांच प्रतिशत के बराबर हो जिसकी परिगणना ऐसी दरों पर की गयी हो जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाय किन्तु ये दरें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन सार्वजनिक गाड़ियों के लिए निश्चित भाड़ों की अधिकतम दर के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगी ।

(२) कृषि उपज, खनिज, खनिज धातुक और पैट्रोलियम पदार्थों को छोड़कर राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन लगाये जाने वाले कर की दर को गजट में विज्ञप्ति द्वारा बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वह उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिकतम भाड़े के पचहत्तर प्रतिशत पर परिगणित धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो जाय ।

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में "पांच" के स्थान पर "१" रख दिया जाय । तो इस पर मैं कोई बहस तो नहीं करूंगा और सदन का अधिक समय भी नहीं लूंगा । सिर्फ एक बात इसमें है कि हम चाहत हैं कि १ परसेंट लगे और माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि ५ परसेंट लगे ।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बिलकुल मान ही नहीं सकते ।

*श्री लखीसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय कमला सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है खंड ४ के (१) के बारे में मैं इसका समर्थन करता हूं । अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि मैं वकील तो हूं नहीं । आप वकील नहीं हैं तो बूढे मंत्री तो हैं । तो मेरी समझ में नहीं आता कि.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप ऐसी बात न कहिए कि आप एक बूढ़े मंत्री हैं ।

श्री लखीसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे घबराते हैं । हमारी बात तो सुन लीजिए । माननीय मंत्री जी तो हमारे सीधे सादे व्यक्ति हैं, पता नहीं यह विधेयक बना कर माननीय मंत्री जी को कौन देता है जिसे वे खुद नहीं समझ पाते हैं । मैं तो एक ही नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह जो टैक्स है जैसे मैं मथुरा से दो बोरे ले कर गांव चल दिया, सड़क से लाभ तो उठाऊंगा ही, तो वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टैक्स मुझ पर भी लगेगा । मान्यवर, मैंने कल ही कहा था कि आप सीधे टैक्स लगाइये, प्रत्यक्ष टैक्स लगाइये । प्रत्यक्ष टैक्स जो होते हैं वे सीधे होते हैं । मंत्री जी खुद इसे समझ नहीं पाये हैं । यह टैक्स छोटे आदमी पर ज्यादा पड़ेगा । बहुत बड़े व्यापारियों पर निजी माल ढोने पर तो टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब किसान पर पड़ जायगा । इसलिये इस संशोधन पर विचार करके वे इसे मान लें ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं दूसरा संशोधन भी इसी के साथ रख दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

रख दीजिए ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) की सातवीं पंक्ति में "पचहत्तर" के स्थान पर "पांच" रख दिया जाय ।

निजी माल वाहन से माल ले जाने पर टैक्स नहीं होना चाहिये । मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट के मुताबिक जो मैक्जिमम भाड़ा होगा उसका ७५ प्रतिशत इस पर लग जायगा । मेरा कहना है कि उसे २५ प्रतिशत कर दिया जाय और जो ५ परसेंट रखा गया है उसे १ परसेंट कर दिया जाय ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मुझे खेद है कि इस अमेंडमेंट को हम स्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में "पांच" के स्थान पर "१" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की सातवीं पंक्ति में "पचहत्तर" के स्थान पर "पांच" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) की चौथी पंक्ति में "पचहत्तर" के स्थान पर "पच्चीस" रख दिया जाय और पांचवीं पंक्ति में "पन्द्रह" के स्थान पर "पांच" रख दिया जाय ।

इसमें भी वही कांट्रेडिक्शन है । कृषि उपज में खाद्यान्न, दूध और चारा एग्जेम्ट है । इसलिये उन चीजों को इसमें छोड़ देना चाहिये । जिस रूप में यह दिया गया है अगर वही रखेंगे तो यह अन कान्स्टीटूयूशनल होगा और अल्ट्रावायरस हो जायगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पहले भी बहस हो चुकी है । जहां पर माल की डेफीनीशन रखी है वह अधिनियम के अनुरूप नहीं पड़ती है । आप एक जगह तो कहते हैं कि फलां-फलां माल पर टैक्स नहीं पड़ेगा । उसके बाद जहां पर छोड़ने की बात कहत हैं वहां

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

केवल ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कह देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह वही लिखना चाहिये। दूसरे खंडों में भी यही विचार कमला सिंह जी ने रखे थे, लेकिन फिर भी मंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है। आप 'एक्सेप्ट इन दि केस आफ ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस' लिखते हैं। इसके आगे अगर 'ऐज ऐन्यूमरेटेड इन क्लाज २' इतना बढ़ा दें तो माने ठीक होंगे, नहीं तो कांट्रडिक्टरी है और फिर अल्ट्रा वायरस होगा। इसलिये यहीं पर उनको अमेंड कर दिया गया। जितनी चीजें टैक्स से बरी की हैं उन पर तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिये।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) की चौथी पंक्ति में "पचहत्तर" के स्थान पर "पच्चीस" रख दिया जाय और पांचवीं पंक्ति में "पन्द्रह" के स्थान पर "पांच" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

अंकों का पूर्णांक करना

५—कर की धनराशि की संगणना करने में रुपये के भाग को जो पांच नये पैसे से कम हो या जो पांच नये पैसे का गुणक न हो, यथास्थिति, पांच नये पैसे या पांच नये पैसे का अगला उच्च गुणक कर दिया जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की पंक्ति २ व ३ में शब्द "पांच नये पैसे या पांच नये पैसे का अगला उच्च गुणक कर दिया जायगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"वह अंश यथास्थिति छोड़ दिया जायगा।"

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है और यह टैक्स बिल है

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

यह मैंने इसलिये रखा है क्योंकि खंड ५ इस प्रकार है:

"कर की धनराशि की संगणना करने में रुपये के भाग को जो पांच नये पैसे से कम हो या जो पांच नये पैसे का गुणक न हो, यथास्थिति, पांच नये पैसे या पांच नये पैसे का अगला उच्च गुणक कर दिया जायगा।"

मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर पांच से कम हो या उसका गुणक अगर पांच पूरा न हो तो इस से बरी कर दिया जायगा। गुणक का जो हिसाब आपने लिखा है उस से आपको छूट मिल जायगी और २,४ पैसे का जो सवाल है वह दिक्कत दूर हो जायगी, बल्कि बढ़ाने की जगह पर आप छूट दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अर्ज कर रहा था कि ५ बजे तक हमें इसे खत्म करना है इसलिये बहस बहुत थोड़ी और साफ तौर से होनी चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय पहले ले लिया गया है । बिजनेस कमेटी ने यह तय किया है कि आज समाप्त किया जायगा । ५ बजे तक समाप्त करने का कोई शब्द नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

शब्द न भी हों, तब भी हाउस ५ बजे तक रहता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

बिजनेस कमेटी का मतलब यह है कि आज इसे समाप्त कर लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आज समाप्त होगा और ५ बजे तक होगा । इसी तरह से हमेशा से चलता रहा है और आज यह ५ बजे तक चलेगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने माना है कि वह वकील नहीं हैं और साथ ही साथ गणित भी नहीं जानते हैं । यह सीधा सा सवाल है कि जहां आधे से कम होता है वहां छोड़ देते हैं और जहां आधे से ज्यादा होता है वहां एक हो जाता है । अगर इसी हिसाब से रख देते तो किसी बात की आवश्यकता न होती ।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब सौ पैसे का रुपया बनाया जा रहा था तो उस समय मैं भी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मौजूद था । असेम्बली में नहीं था, भारतवर्ष में जरूर था । मैं उसी दिन से सोच रहा था कि यह झगड़ा जरूर एक न एक दिन सामने आयेगा । इनके जितने काम होते हैं वह ऐसे होते हैं कि यह पहले काम कर लेते हैं और बाद को सोचते हैं । अगर ४५ पैसे हुये तब तो ठीक है, अगर ४६ हुये तो ५० देने पड़ेंगे । बिना मतलब के १०० पैसे का रुपया बना दिया । यह गलती इन्होंने की है इसलिये इसको इन्हीं को भोगना चाहिये । दूसरा कोई क्यों भोगे ? श्रीमन्, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी गलती को कोई दूसरा क्यों भोगे ? मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन स्वीकार नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर मंजूर नहीं है तो ठीक है अक्ल कहां से दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति २ और ३ में शब्द "पांच नये पैसे या पांच नये पैसे का अगला उच्च गुणक कर दिया जायगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"वह अंश यथास्थिति छोड़ दिया जायगा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६

अन्य राज्यों के साथ पारस्परिक अनुबन्धो की दशाओं में कर

६—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी यदि उत्तर प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार के बीच सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान के सम्बन्ध में कोई पारस्परिक अनुबन्ध किया जाय तो कर का आरोपण और उसका भुगतान पारस्परिक अनुबन्ध की शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार आरोपित कर उस कर से अधिक न होगा जो अन्यथा इस अधिनियम के अधीन लगाया गया होता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ७, ८ तथा ९

कर से मुक्ति

७—राज्य सरकार, गजट में विज्ञापित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, तथा ऐसी अवधि के लिये जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये—

(क) भारत की प्रतिरक्षा के लिये या शैक्षिक, चिकित्सकीय, लोकोपकारी या अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ले जाये जाने वाले किसी माल को करारोपण से पूर्णतः या अशतः मुक्त कर सकती है;

(ख) धारा १०, १९, २०, २१, २२ और धारा २६ की उपधारा (१) के खंड (ग) के सभी अथवा किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से —

(१) किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर चलने वाले माल वाहन को मुक्त कर सकती है ;

(२) किसी ऐसे माल वाहन को मुक्त कर सकती है जिसके सम्बन्ध में कर की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने का धारा ९ के अधीन अनुबन्ध हो गया हो ।

कर की वसूली

८—इस अधिनियम द्वारा की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये—

(क) सार्वजनिक माल वाहन द्वारा ले जाये जाने वाले माल के सम्बन्ध में लगाया गया कर, वाहन के परिचालक द्वारा माल के पारेषक से वसूल किया जायगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को नियत रीति से किया जायगा; और

(ख) निजी माल वाहन द्वारा ले जाये जाने वाले माल क सम्बन्ध में लगाया गया कर परिचालक द्वारा राज्य सरकार को नियत रीति से भुगतान किया जायगा ।

एक मुश्त धनराशि अनुबंध

९—इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को ऐसी अवधि के लिये जो संमत हो, देय हो, एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने के लिये सहमत हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर की दर में कोई ऐसा परिवर्तन जो अनुबन्ध के दिनांक के पश्चात् प्रचलित हो, अनुबन्ध की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में जिसमें परिवर्तित दर प्रचलित रहे, संमत एकमुश्त धनराशि में आनुपातिक परिवर्तन किया जायगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "कर की दर में परिवर्तन" के अन्तर्गत यथास्थिति, धारा ३ की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण २ या धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित दरों में परिवर्तन भी है ।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (क) के बाद निम्नलिखित उपखंड (क-१) रख दिया जाय—

"(क-१) लघु उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी सामान अन्न, बीज, फल, सब्जी, पेड़ इत्यादि जो कृषकों की स्थिति को दृढ़ करने के लिये ले जाया जाय तो ऐसे किसी माल को करारोपण से मुक्त किया जायगा ।"

(व्यवधान)

कृषकों की स्थिति को दृढ़ करने के लिये मैंने यह रखा है । हम दूसरी चीज नहीं लेने जा रहे हैं । अगर ब्लाक के जरिये, या एक कोआपरेटिव के जरिये किसान की मदद करना चाहते हैं, हम ने कहीं बाग लगाया है, अच्छे-अच्छे पेड़ उसके किसानों को देना चाहते हैं, अच्छा बीज देना चाहते हैं । ऐसी चीज जो कृषकों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिये जरूरी है, कोआपरेटिव के जरिये या किसी और जरिये से या कोई आदमी खुद इमदाद करना चाहता है किसानों की, तो वह भी कर सकता है । हम किसानों की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं । असल में मंशा यह है । उसके लिये अगर कर छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिये ।

श्री राममूर्ति—

सब्जी रखने के मानी यह होंगे कि कोई आदमी बरेली से दिल्ली सब्जी बेचने जायगा तो वह कहेगा कि सब्जी लिये जा रहा हूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर आप चाहें तो परिवर्तन कर दें । इसको आप तोड़-मरोड़ कर जिस तरह से चाहें अमेंडमेंट कर लें। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है ।

*श्री लखीसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कमलासिंह जी का जो प्रस्ताव है इसको मैंने अभी पढ़ा । वह कहते हैं "लघु उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी सामान अन्न, बीज, फल, सब्जी, पेड़ इत्यादि जो कृषकों की स्थिति को दृढ़ करने के लिये ले जाया जाय तो ऐसे किसी माल को करारोपण से मुक्त किया जायगा ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लखीसिंह]

अब देखिये कि कितनी न्यायसंगत बात है, अब इसको भी मंत्री न मानें तो फिर बताइये कि यह हठधर्मी है या नहीं ? बिलकुल तानाशाही है, यह हमें कहना पड़ेगा । गांधी जी भी कहा करते थे कि लघु उद्योगों पर टैक्स न लगना चाहिये । तो महाराज, इस पर तो न लगाइये । जरा ठंढा पानी पीकर मंत्री जी, बैठें और सोचें और इस संशोधन को मानें जो उद्योग धंधे और कृषि से सम्बन्धित सामान हैं उन पर टैक्स न लगावें ।

श्री मुजफ्फर हसन—

उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट गैरजरूरी है । जहां तक कुछ आइटम्स की बात है, इसमें ऐसे हैं जो आलरेडी एक्जेम्प्टेड हैं । लघु उद्योग और जो ऐसे आइटम्स हैं वे ७ (क) से कवर हो जाते हैं । उसको देख लिया जायगा। इसकी जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इसको। मंजूर नहीं करता ।

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि लघु उद्योग सम्बन्धी चीजों और कृषि सम्बन्धी चीजों को इसमें आना चाहिये । तो आप शब्दावली में मेरे मत जाइये । जो ठीक समझते हों वह कर लीजिये । लेकिन यह बात ठीक नहीं है कि चूंकि अपोजीशन से आई है यह बात, इसलिये मंजूर नहीं है । जो चीजें छूट गयी हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूं ।

जहां तक ७ (क) की बात है, वह इस प्रकार है—"भारत की प्रतिरक्षा के लिये या शैक्षिक, चिकित्सकीय, लोकोपकारी या अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ले जाये जाने वाले किसी माल को करारोपण से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है ।" इसमें उद्योग धंधे आते नहीं हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर हम उद्योग धंधों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उनको एग्जेम्प्ट नहीं करते हैं और उस पर टैक्स लगता है तो लघु उद्योग से बनी चीजों की वस्तुओं का दाम बढ़ेगा क्योंकि लघु उद्योग से सम्बन्धित सामान जो जायेगा उन पर कर काफी बड़ा होता है और उसके कारण कर का परसेंटेज भी बढ़ेगा । इससे होगा यह कि उद्योग धंधों को जो प्रोत्साहन मिलने वाला है वह नहीं मिल पायेगा । यह मैं नहीं कहता कि आप मेरे संशोधन को स्वीकार कर ही लें, लेकिन किसी भी तरह से चाहे नियमों में ही इसे ले आयें ताकि यह जो लघु उद्योग से सम्बन्धित दिक्कतें हैं वह दूर हो जायें ।

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने तो अर्ज किया है कि लघु उद्योग ७ (क) के प्रविजन्स से कवर हो जायेंगे और जिनकी जरूरत समझी जायगी कर दिया जायगा, लेकिन आप तो इतनी लम्बी फेहरिश्त देना चाहते हैं कि फिर बिल पेश करना बेकार है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर लघु उद्योग को मान लें तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह नहीं मान रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

नहीं मान रहे हैं तो कोई सवाल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (क) के बाद निम्नलिखित उपखंड (क-१) रख दिया जाय :—

"(क-१) लघु उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी सामान अन्न, बीज, फल, सब्जी, पेड़ इत्यादि जो कृषकों की स्थिति को दृढ़ करने के लिये ले जाया जाय तो ऐसे किसी माल को करारोपण से मुक्त किया जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (ख) के खंड (२) के बाद निम्नलिखित खंड (३) रख दिया जाय :—

"किसी ऐसे माल पर किसी दो स्थानों के बीच की दूरी के लिये कर की वसूली किसी भी हालत में दुबारा न ली जायगी ।"

श्रीमन्, हमने यह देखा है कि दो स्टेशनों के बीच की जो दूरी होती है उसके बीच में अगर कोई आदमी सवार होता है तो उस पूरी दूरी का पैसा उससे लिया जाता है । जैसे क और ख दो स्थान है । इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कोई जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई क और ख के बीच में किसी स्थान से एक तरफ या दूसरी तरफ को जाय तो उसे भी वही पूरा पैसा देना पड़ेगा और अगर बीच में उत्तर जाय और फिर वापस हो जाय तब भी उतनी दूरी जो क और ख के बीच की है, उसका पैसा देना पड़ेगा । इस तरह दुबारा टैक्सेशन होता है । मैं चाहता हूं कि यह दुबारा नहीं होना चाहिये । (व्यवधान) बीच में अगर कोई आदमी रुकता है तो दुबारा टैक्सेशन नहीं होना चाहिये । सिंगिल फेयर पर सिंगिल टैक्स लगे, दुबारा न लगे ।

श्री मुजफ्फर हसन—

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कर उस किराये पर है जो कि गाड़ी वाला वसूल करता है । तो इसका तो कोई सवाल यहां पैदा नहीं होता । लेकिन जहां तक इंटर स्टेट का ताल्लुक है, हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को पहले ही अंडरटेकिंग दे रखी है कि जहां तक मुमकिन होगा हम सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगायेंगे, डबुल नहीं होगा । इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है और वह इसको वापस ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (ख) के खंड (२) के बाद निम्नलिखित खंड (३) रख दिया जाय —

"किसी ऐसे माल पर किसी दो स्थानों के बीच की दूरी के लिये कर की वसूली किसी भी हालत में दुबारा न ली जायगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७, ८ और ९ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १० तथा ११

१०—(१) परिचालक प्रत्येक ऐसे माल वाहन के सम्बन्ध में जो उसके अधिकार विवरणियों का में हों, कर-अधिकारी या नियत प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाना तथा ऐसे अन्तरालों पर जो नियत किये जायें, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(२) यदि कोई परिचालक, इस अधिनियम के अधीन अनुमत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न करे, तो कर-अधिकारी, उसको लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकता है कि वह (परिचालक) अपने द्वारा देय कर की धनराशि के अतिरिक्त, प्रत्येक माल वाहन के सम्बन्ध में विवरणी प्रस्तुत न करने के प्रत्येक दिन के लिये शास्ति स्वरूप १० रुपये से अनधिक धनराशि दे :

प्रतिबन्ध यह है कि भुगतान करने के लिये इस प्रकार निदेशित शास्ति प्रति माल वाहन एक सौ रुपये से अधिक न होगी ।

कर का भुगतान प्रत्येक महीने सरकारी कोषागार में किया जायगा

११--धारा १० के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणियों के अनुसार किसी महीने के लिये देय कर का भुगतान परिचालक द्वारा सरकारी कोषागार या ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर किया जायेगा जो नियत किया जाय और ऐसे भुगतान की रसीद कर-अधिकारी या नियत प्राधिकारी को ऐसे दिनांक तक भेजी जायगी जो नियत की जाय ।

*श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (२) की पांचवीं पंक्ति में अंक "१०" के स्थान पर "१" रख दिया जाय ।

श्रीमन्, इस उपखंड में यह चीज दी हुई है --"यदि कोई परिचालक इस अधिनियम के अधीन अनुमत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न करे तो, कर अधिकारी, उसको लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकता है कि वह (परिचालक) अपने द्वारा देय धनराशि के अतिरिक्त प्रत्येक माल वाहन के सम्बन्ध में विवरणी प्रस्तुत न करने के प्रत्येक दिन के लिये शास्ति स्वरूप दस रुपये से अनधिक धनराशि दे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शास्ति करने के लिये इस प्रकार निदेशित शास्ति प्रति मालवाहन सौ रुपये से अधिक न होगी ।"

इस तरह से, श्रीमन्, कोई भी आदमी अगर विवरणी समय से प्रस्तुत न करे तो प्रत्येक दिन के लिये प्रत्येक माल वाहन पर दस रुपया शास्ति लगाया जायगा और वह मैक्सिमम १०० रुपये तक होगा । अब आप सोचें कि कहीं भी अगर कोई भी गड़बड़ी होती है या कोई भी अगर एक दो दिन की देरी कर दे, तो पहले दिन के लिये दस रुपया और दूसरे दिन वह २० रुपया हो जायगा, इस तरह दस दिन में अगर १०० रुपया लगा लेते हैं, तो उसे तो आप शास्ति में ही परेशान कर देंगे ।

इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हमेशा यह होता है कि वह इस तरह से वसूल नहीं होता । जहां तक लैंड रेवेन्यू का सवाल है, इस के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि अगर यह किसी के ऊपर बाकी रह जाता है तो वह लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल होता है । यह जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में है और दूसरे कानूनों में भी है, लेकिन यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो वसूली बाकी होगी या जो एरियर बाकी होगा वह लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल होगा । अगर वह लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल होगा तो फिर शास्ति लगाने की कौन सी जरूरत है ? अगर लैंड रेवेन्यू किसी काश्तकार पर बाकी रह जाता है तो जितना लैंड रेवेन्यू होता है उतना लिया जाता है । अगर समन जारी किया गया है तो ४ आने पैसे लिये जायेंगे । वारेन्ट जारी किया गया है तो ८ आने लिये जायेंगे । अगर ८७, ८८ के अनुसार कार्यवाही हुई है तो १२ आने लिये जायेंगे । यहां पर भी है कि लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जायगा, लेकिन फिर भी उस पर शास्ति लगाने की बात है, जो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है । मैं समझता हूं कि आप टैक्सेशन करने जा रहे हैं और आपको विकास के कामों के लिये पैसे की जरूरत है तो आपको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थोड़ी उदारता बरतनी चाहिये । कोई भी आदमी अगर वह ट्रक का मालिक है और अगर वह समय से किसी वजह से विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है, वह जेल में बन्द हो गया या कोई ऐसा कारण हो गया जो उसके कंट्रोल के बाहर था, तो उसके लिये आप जो यह १० रुपया लेने की बात कहते हैं मद्उचित नहीं है। उसको आपको मौका देना चाहिये। इसके अन्दर नियम होना चाहिये कि अगर वह आदमी इस बात को आपके सामने साबित कर दे कि वह बीमार पड़ जाने की वजह से या जेल में बन्द हो जाने की वजह से या दूसरे जरूरी कारणों से, जो उसके कंट्रोल के बाहर थे, उनकी वजह से अपनी विवरणी प्रस्तुत नहीं कर सका तो उसको आपको क्षमा करना चाहिये। अब इससे मालूम होता है कि १० रुपया रोज उससे आप चाहते हैं । इस तरह का आयरनी हाथ आपका नहीं होना चाहिये । आप उसके मांस और ब्लड से पैसा लेना चाहते हैं जो उचित नहीं है ।

*श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह खंड, जिसके सम्बन्ध में यह संशोधन आया है, एक पैनाल्टी का खंड है । इसके अनुसार मोटर आपरेटर के लिये विवरणी प्रस्तुत करना जरूरी समझा गया है । अगर वह विवरणी नहीं देता है तो उसके लिये पैनाल्टी का प्राविधान किया गया है । उसके सम्बन्ध में कमलासिंह जी ने जो संशोधन रखा है कि १० रुपया से घटाकर १ रुपया कर दिया जाय यह बिलकुल हास्यास्पद होगा । उस पैनाल्टी का कोई मतलब नहीं रह जायगा। इस खंड में आप देखेंगे कि जहां पर १० रुपये का प्राविधान है वहां पर यह पेनाल्टी १०० रुपये इन टोटल होगी । इससे ज्यादा नहीं होगी । इसलिये इस संशोधन को मान लेना उचित नहीं होगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

हम समझते हैं कि १०० रुपये बढ़ाने से आप ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिये बहुत परेशानी की बात होगी । अगर आप यह कर देते हैं तो इससे बढ़कर और बुरी चीज नहीं होगी । किसी आदमी के ऊपर महज इस वजह से पैनाल्टी थोप देना कि उसने विवरणी प्रस्तुत नहीं की, यह उचित नहीं कहा जा सकता है । मैं नहीं समझता हूं कि इस प्राविजन को यहां पर रख कर आप कोई बहुत बड़ी चीज करने जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) की पांचवीं पंक्ति में अंक '१०' के स्थान पर '१' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि विवरणी प्रस्तुत न करने का कारण यदि दैवी आपदा या ऐसा कारण हो जो परिचालक के बस में न हो तो उसे दुबारा मौका दिया जायगा और उसकी पूर्णरूपेण सुनवायी होगी और उस पर किसी प्रकार का शास्ति न लगाया जायगा ।"

मैं समझता हूं कि यह बहुत ही रीजनेबिल है कि कोई आदमी दैवी आपदा के कारण कोई विवरणी प्रस्तुत न करे तो शास्ति न लगायी जाय । मुझे आशा है कि इसको अवश्य मान लेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसमें अपील वगैरह का अधिकार मौजूद है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि विवरणी प्रस्तुत न करने का कारण यदि दैवी आपदा या ऐसा कारण हो जो परिचालक के बस में न हो तो उसे दुबारा मौका दिया जायगा और उसकी पूर्णरूपेण सुनवायी होगी और उस पर किसी प्रकार का शास्ति न लगाया जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १० तथा ११ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १२

कर निर्धारण

१२—(१) यदि कर-अधिकारी का उस सामग्री के आधार पर जो उसके सामने हो यह समाधान हो जाय कि धारा १० के अधीन विवरणी ठीक और पूर्ण है, तो वह तदनुसार उस अवधि के लिये, जिसके सम्बन्ध में विवरणी हो, परिचालक द्वारा देय कर की धनराशि निर्धारित करेगा ।

(२) यदि किसी माल वाहन के सम्बन्ध में परिचालक द्वारा किसी महीने या उसके भाग के लिये कोई विवरणी प्रस्तुत न की गयी हो, अथवा यदि किसी माल वाहन के सम्बन्ध में परिचालक द्वारा किसी महीने या उसके भाग के लिये प्रस्तुत की गयी विवरणी कर-अधिकारी को अशुद्ध या अपूर्ण प्रतीत हो, तो वह प्रथमोक्त दशा में परिचालक को अपना अभ्यावेदन देने का और उत्तरोक्त दशा में प्रस्तुत की गयी विवरणी की शुद्धता और पूर्णतः सिद्ध करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उस कर की धनराशि निर्धारित करेगा जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को उक्त महीने या उसके भाग के लिये देय हो ।

(३) उपधारा (२) के अधीन निर्धारित धनराशि या उसकी शेष धनराशि, जैसी भी दशा हो, का भुगतान परिचालक द्वारा सरकारी कोषागार या ऐसी नियत प्राधिकारी को किया जायगा जो नियत किया जाय और ऐसे भुगतान की रसीद कर-अधिकारी या नियत प्राधिकारी को उक्त कर-निर्धारण की तीस दिन के भीतर भेज दी जायगी ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (३) की चौथी पंक्ति में "तीस" के स्थान पर "साठ" रख दिया जाय ।

इसमें सिर्फ यह रखा गया है कि एक तो कोषागार में स्वयं रुपया जमा करने की बात है और दूसरे प्राधिकारी के जरिये से । तो इसमें यह दिया जा रहा है कि बहुत से लोग पाकिस्तान चले जाते हैं या भाग जाते हैं तो इस तरह से कोई अंकुश प्राधिकारी पर होना चाहिये और जहां तक हो सके हर आदमी कोषागार में रुपया जमा करे । यदि किसी प्राधिकारी को देता है तो इसमें दिया गया है कि ३० दिन के अन्दर भेज देगा, लेकिन इसमें देर हो सकती है । इसलिये सिर्फ रसीद पेश करने की बात है, रुपया तो पहले ही जमा कर

चुका होगा, अगर रसीद ३० दिन में पेश न कर सके तो ६० दिन कर दिया जाय। सिर्फ रसीद दाखिल करने की मियाद में संशोधन है कि ६० दिन में दाखिल कर दे। आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह टैक्स तो जो आपरेटर होगा, जो माल भेजेगा उस से वसूल करना है, इसलिये ६० दिन की बात मुनासिब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (३) की चौथी पंक्ति में "तीस" के स्थान पर "साठ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

कर का निर्धारण से छूट जाना।

१३—यदि किसी महीने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन लगाया जाने वाला कर किसी कारणवश निर्धारण से पूर्णतः या अंशतः छूट गया हो तो कर-अधिकारी, उस महीने की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय परिचालक को नोटिस देने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो उक्त अधिकारी आवश्यक समझे छूटा हुआ कर निर्धारित कर सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ की तीसरी पंक्ति में "तीन" के स्थान पर "एक" रख दिया जाय।

श्रीमन्, इसमें यह दिया हुआ है कि अगर कोई कर छूट गया है तो ३ साल बाद भी उसको वसूल किया जायेगा। आप देखें कि माल ले जाने वाला तो अपना माल ले कर चला गया होगा। उसका आपको पता तक नहीं होगा। फिर कैसे वह वसूल हो सकेगा? मोटर मालिक से आप वसूल करेंगे। यह ठीक नहीं होगा। ३साल बाद आप उससे वसूल करने जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि यह कहां तक ठीक होगा? अगर एकमुश्त रकम मोटर मालिक से लेने की बात होती, तो वह तो समझ में आ सकती थी, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही है अगर ३ साल बाद आप वसूल करेंगे तो यह कोई अकलमन्दी की बात नहीं होगी। एक साल का आप कर सकते हैं। एक साल का तो समय ठीक रहेगा, फाइन के तौर पर आप उसे कर सकते हैं। तो आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मुजफ्फर हसन—

टैक्स वसूल करने का काम तो मोटर मालिक का ही है। इसलिये कोई औचित्य इस संशोधन का नहीं है। मोटर वाला जिस तरह से अपना किराया वसूल करेगा, वह उस टैक्स को भी वसूल कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिये यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मोटर वाला तो श्रीमन्, जिस वक्त वह टैक्स लेगा, उसकी रसीद देगा। जब उस रुपये को आप रियलाइज करेंगे और गलती को चेक नहीं कर पायेंगे तो गलती आपकी होगी। जब कि वह टैक्स दूसरे से वसूल होना चाहिये था, आप परिचालक से उसको वसूल कर लेंगे, मगर उसमें गलती आपके उस अधिकारी की भी तो होगी जिसने उस परिपत्र की चेकिंग की होगी। चेकिंग के वक्त ही अगर वह उसको देख ले, तब तो ठीक है। लेकिन ३ साल बाद करना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें गलती आपके अधिकारी की ही तो होगी। इसमें आपके अधिकारी की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। वास्तव में उस रुपये को तो आपको उससे वसूल करना चाहिये जो माल को ले गया है, लेकिन आप उल्टे परिचालक पर ले जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह कहां तक उचित होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १३ की तीसरी पंक्ति में "तीन" के स्थान पर "एक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४ तथा १५

कर का भुगतान न करने पर शास्ति।

१४—यदि पूर्वोक्त धाराओं के उपबन्धों के अनुसरण में किसी माल वाहन के संबंध में किसी महीने या उसके भाग के लिये राज्य सरकार को देय संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का भुगतान समय पर न किया जाय तो कर-अधिकारी परिचालक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण प्रकट करने का अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार देय कर के अतिरिक्त शास्ति भी आरोपित कर सकता है जो इस प्रकार देय कर की धनराशि के पचीस प्रतिशत से अधिक न होगी।

कर और शास्ति के बकाया की वसूली

१५—(१) इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर या शास्ति का बकाया मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(२) कर उस माल वाहन पर, जिसके संबंध में वह देय हो, और उसके उप-साधनों पर भी, प्रथम भार होगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के अन्त में निम्नांकित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शास्ति उसी दशा में आरोपित की जा सकती है यदि परिचालक दो या अधिक बार कर भुगतान के संबंध में उल्लंघन कर चुका हो।"

श्रीमन्, अगर पहली बार कोई गलती करता है तो उसे सजा नहीं देनी चाहिये। पहली बार हर आदमी को मौका देना चाहिये। अगर कोई गलती को दोहराता है तो उसे सजा देनी चाहिये। इसीलिये ये मैंने यह प्रतिबन्ध रखा है।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, कर की अदायगी के संबंध में वह ढिलाई चाहते हैं। इसलिये यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १४ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शास्ति उसी दशा में आरोपित की जा सकती है, यदि परिचालक दो या अधिक बार कर भुगतान के संबंध में उल्लंघन कर चुका हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १४ व १५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६ तथा १७

कर आदि का भुगतान किये बिना माल वाहन को चलाने का निषेध

१६—(१) यदि किसी माल वाहन के संबंध में इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के अधीन देय कर या शास्ति का भुगतान उसके देय हो जाने के पश्चात् पन्द्रह दिन से अधिक समय तक न किया गया हो तो वह माल वाहन राज्य में किसी सार्वजनिक स्थान पर उस समय तक प्रयुक्त न किया जायगा जब तक कि उक्त संपूर्ण कर या शास्ति, जैसी भी दशा हो, का भुगतान न कर दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कर निर्धारण या शास्ति आरोपण के विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन हो तो अपीलीय प्राधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी मालवाहन को ऐसी अवधि के लिये, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाय, इस उपबंध के प्रवर्तन से मुक्त कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके प्रयुक्त किया गया कोई माल वाहन कर अधिकारी द्वारा तब तक के लिये अभिगृहीत किया जा सकता है और रोका जा सकता है जब तक कि संपूर्ण कर या शास्ति, जैसी भी दशा हो, का भुगतान न कर दिया जाय।

धनराशि की वापसी

१७—नियत प्राधिकारी, तदर्थ प्रार्थना करने वाले परिचालक को नियत रीति से ऐसी धनराशि वापस कर देगा जो उस परिचालक ने इस अधिनियम के अधीन देय पायी गयी कर या शास्ति की धनराशि के अतिरिक्त अदा की हो।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में "पंद्रह दिन" के स्थान पर "तीन माह" रख दिया जाय।

यह अजीब सा लगता है कि अगर किसी शख्स ने १५ रोज में टैक्स या कोई पैनाल्टी अदा नहीं की है तो वह अपनी गाड़ी न चला सके। १५ दिन का समय बहुत ही थोड़ा है। हो सकता है कि १५ दिन में कोई ऐसी बात हो जाय, कोई ऐसी मजबूरी आजावे कि उसकी अदायगी न हो सकती हो, तो मैं समझता हूं कि १५ दिन की मुद्दत बहुत कम है और इसके स्थान पर ३ महीने की मुद्दत जरूर होनी चाहिये। इससे मोटर आपरेटर्स, ड्राइवर्स और मालिकों की बड़ी हफ्तलफी होगी। इसलिये तीन माह कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में "पन्द्रह दिन" के स्थान पर 'तीन माह' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा संशोधन यह है कि—

खंड १६ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'अधिक समय तक' और 'न किया गया हो' के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं—

"नोटिस पाने के बावजूद"

श्रीमन्, यह जो खंड सरकार की तरफ से रखा गया है इससे बढ़ कर अक्लमंदी की बात हो ही नहीं सकती ? यह बिल्कुल अक्ल से परे की चीज है । क्योंकि यू० पी० मोटर वेहिक्लिस ऐक्ट, १९३९ के अन्दर कोई भी मोटर वेहिकिल्स हो, सब का रजिस्ट्रेशन होता है, उसको परमिट मिलता है तभी कोई माल वाहन सड़क पर जा सकता है । इसके अलावा मौजूदा विधेयक के १९ वें खंड के अन्दर भी उसका रेजिस्ट्रेशन होता है । दो रुपया देकर १९(२) के अन्दर भी उसने इजाजत ले ली है, रेजिस्ट्रेशन करा लिया है । तो जब तक आप उसको निलंबित न कर दें तब तक उसको सड़क पर मोटर चलाने का अधिकार होगा । लेकिन इसमें आप कहते हैं कि चूंकि उसके पास टैक्स बाकी है, चाहे पूरा बाकी हो या थोड़ा बाकी हो, वह सड़क पर वाहन नहीं ले जा सकता । यह आप किस कानून से कर सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता ? यह काम आप कानून के खिलाफ कर रहे हैं । मैं समझता हूं इसका आपको कोई अधिकार नहीं है । जब तक आप उसके रेजिस्ट्रेशन को रद्द या निलंबित न कर दें तब तक आपको कोई अधिकार उसको सड़क पर जाने से रोकने का नहीं है । अगर कोई भी आदमी कर पूर्णतया या अंशतः अदा नहीं करता तो वह अपनी गाड़ी सड़क पर नहीं ले जा सकता, मैं समझता हूं कि यह अक्लमन्दी के परे की बात होगी, यही मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी थोड़ा अक्ल से काम लें । अगर हर चीज में वह अपनी जिद्द ही चलाना चाहते हैं तब तो बात ही दूसरी है, जैसा भी चाहें वे कानून बनावें, मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी आदमी अगर अपना माल वाहन मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करा ले और उसे परमिट मिल जाय उसे सड़क पर चलाने का, तो कोई भी ताकत उसे सड़क पर जाने से रोक नहीं सकती । आप कोई भी कानून बना कर किसी आदमी को इससे नहीं रोक सकेंगे कि वह अपने माल वाहन को सड़क पर न ले जा सके, इसलिये कि उसने टैक्स का कुछ अंश जमा नहीं किया है । अगर आप कोई ऐसा कानून बनाते हैं तो वह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है क्योंकि हर आदमी को जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है उसके भी यह खिलाफ है । यह तो फंडामेंटल राइट्स का हनन है और अगर आप कोई कानून बनाना भी चाहें तो नहीं बना सकते हैं ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय कमला सिंह जी ने कांस्टीट्यूशनल सवाल उठाया, मैं समझता हूं कि यह क्लाज बिलकुल इन आर्डर है, इसमें नोटिस देने की कोई बात नहीं है । जब असेसमेंट के वक्त नोटिस दी जा चुकी है तो दोबारा नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को अस्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "अधिक समय तक" और "न किया गया हो" के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:—

"नोटिस पाने के बावजूद"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि मालवाहन के परिचालक द्वारा उसी अवधि का कर तथा शास्ति जैसी भी दशा हो भुगतान किया जायगा जब तक कि मालवाहन उसके निजी कब्जे में रही हो और उसे पहले का भुगतान उसके पूर्व परिचालक से वसूल की जायगी यदि माल वाहन परिवर्तन करते समय दूसरे परिचालक ने इसकी जिम्मेदारी न ली हो ।"

श्रीमन्, यह एक साधारण सी चीज है जिसको हर रीजनेबिल आदमी समझता है कि अगर मोटर मालिक अपनी मोटर दूसरे को ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर करते वक्त जो टैक्स बाकी है उसकी जिम्मेदारी लेता है कि कोई भी टैक्स वगैरह जो उसके ऊपर बाकी है उसे वह अदा करेगा, तब तो ठीक है कि उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये, लेकिन अगर यह बात उसकी जानकारी में है और अगर वह ट्रांसफर करते वक्त यह लिख कर देता है कि मोटर पर जितना टैक्स वगैरह बाकी होगा उसके लिये वह जिम्मेदार न होगा, तो मैं समझता हूं कि उसके लिये ऐसा कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिये । उसको उस टैक्स से बरी करना चाहिये । इस तरह का जो भी टैक्स बाकी हो वह उसकी जायदाद या मोटर से वसूल होना चाहिये । सिर्फ यही इसकी मंशा है, और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गलत है ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह जी ने जिस मंशा से यह अमेंडमेंट पेश किया है, उनकी वह मंशा खंड १९(६) के द्वारा पूरी हो जाती है, इसलिये हम इसकी आवश्यकता नहीं समझते और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि मालवाहन के परिचालक द्वारा उसी अवधि का कर तथा शास्ति जैसी भी दशा हो भुगतान किया जायगा जब तक कि मालवाहन उसके निजी कब्जे में रही हो और उसके पहले का भुगतान उसके पूर्व परिचालक से वसूल की जायगी यदि माल वाहन परिवर्तन करते समय दूसरे परिचालक ने इसकी जिम्मेदारी न ली हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं खंड १६ का विरोध करता हूं, इसमें २–३ बातें हैं । अगर कोई आदमी गलती करे, समय से अदायगी न करे तो नियम यह है कि उसको नोटिस मिलना चाहिये कि तुम इतने समय के भीतर टैक्स अदा कर दो और अगर कोई नोटिस के बाद भी अदायगी न करे तो ठीक है, उस पर सख्ती होना चाहिये । लेकिन जहां तक इस सेक्शन का सवाल है, इसमें कोई नोटिस का प्राविधान नहीं है कि पहले उस को नोटिस दिया जाय कि अदा करो और उस के बाद बगैर नोटिस

[श्री कमलासिंह यादव]

के या जानकारी के किसी से कह दें कि तुम्हारी गाड़ी अब सड़क पर नहीं चल सकती, तो यह उचित नहीं होगा। १९३९ के ऐक्ट के अधीन वह रजिस्टर्ड है, परमिट होल्डर है और इस कानून के अन्दर भी धारा १९ में उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसकी गाड़ी को आप बगैर नोटिस के सड़क पर रोक दें, तो यह न्याय की बात न होगी। इसलिये मैं अधिक न कहकर इन शब्दों के साथ इस धारा का विरोध करता हूं।

श्री हरीदत्त कांडपाल--

मैं इसका उत्तर दे चुका हूं, स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १६ तथा १७ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

अपील

१८--(१) राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिये एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(२) अपीलीय प्राधिकारी को निम्नलिखित के विरुद्ध अपील की जा सकेगी--

(क) धारा १० की उपधारा (२) के अधीन शास्ति भुगतान करने के लिए निदेश;

(ख) कर-अधिकारी द्वारा दिया गया कर-निर्धारण का आदेश; और

(ग) धारा १४ के अधीन शास्ति का आरोपण :

प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी तब तक अपील ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि निर्धारित कर की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि परिचालक निर्धारित कर देने में असमर्थ है तो वह उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे कर या शास्ति का भुगतान हुए बिना, अथवा ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, अपील ग्रहण कर सकता है।

(३) अपील उस आदेश के दिनांक से साठ दिन के भीतर की जायगी जिसके विरुद्ध वह की जा रही हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यह अवधि, समुचित कारण बताये जाने पर, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

(४) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(५) इस धारा के अधीन अपील कर दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (२) के उपखंड (ख) में शब्द "अधिकारी द्वारा" और "दिया गया" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"धारा १२ व १३ के अन्तर्गत"

श्रीमन्, इसमें यह दिया हुआ है कि यह धारा अपील की है। धारा १२ में तो कर निर्धारण होगा और जो शब्द इसमें प्रयोग किये गये हैं उनके अन्तर्गत धारा १२ आ जायगी, लेकिन धारा १३ में अगर कर लगने से कोई छूट गया है तो उसके बारे में कार्यवाही कर निर्धारण अधिकारी करेगा। उसकी अपील का इसमें कहीं जिक्र नहीं है और १३ में कोई अपील का ऐसी हालत में प्राविधान नहीं किया गया है। यह जरूरी है कि उस केस में भी अपील का प्राविधान रखा जाय। इसलिये इसमें "धारा १२ व १३ के अन्तर्गत" और बढ़ा दिया जाय। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको मान लेंगे। अगर इस तरह नहीं तो वह केवल इतना जोड़ दें कि जिनका कर निर्धारण छूट गया है उनको भी अपील अलाऊ होगी तो वह भी मुझे स्वीकार होगा। इसको भी साफ कर दें तो अच्छा है।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, जिन चीजों की आवश्यकता थी उन सब बातों का प्राविधान इसमें मौजूद है और किसी चीज को जोड़ने की इसमें जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) के उपखंड (ख) में शब्द "अधिकारी द्वारा" और "दिया गया" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"धारा १२ व १३ के अन्तर्गत"

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "आदेश" और "के" के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिए जायं :

"की सूचना पाने"

इससे खंड १८ का उपखंड (३) इस प्रकार हो जायगा कि "अपील उस आदेश की सूचना पाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर की जायगी जिसके विरुद्ध वह की जा रही है।"

सिर्फ इसमें यह है कि अगर कोई कर अधिकारी कोई भी नोटिस दे या निर्णय दे और उसकी सूचना उस आदमी को न हो तो उसके लिए ये शब्द बढ़ाये गये हैं। हर जगह का नियम यह है कि कोई भी हुक्म हो उसका निराकरण कराने के लिए, उसकी जानकारी उस आदमी को हो जिसके बारे में वह हुक्म दिया गया हो इसलिये यह जरूरी है कि सूचना प्राप्त होने के दिनांक, यानी जिस दिन सूचना मिलेगी उसके बाद ६० दिन में वह अपील कर सकेगा। लिमिटेशन की भी बात है।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, यह संशोधन कम्पलीकेशन्स पैदा कर देगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "आदेश" और "के" के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिए जायं :

"की सूचना पाने"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (५) के बाद निम्नलिखित उपखंड (६) जोड़ दिया जाय—

"६—इस विधेयक से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र अपील तथा धनराशि वापसी के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई कोर्ट फीस न लगेगी ।"

मैं तो यह समझता था कि सरकार कर से ही संतुष्ट होगी पर अब तो सरकार रक्त और मांस का भी शोषण करना चाहती है। सवाल यह है कि कोई आदमी अगर अफेक्टेड हो कर निर्धारण से और वह दरख्वास्त देना चाहता है तो उसे १ १/२ रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। तो उसे एक तरफ तो कर देना पड़ेगा और दूसरी तरफ कोर्ट फीस के रूप में देना पड़ेगा। इस तरह से यह मालूम होता है कि जो आपका इन्टेन्शन है वह बहुत ही बुरा है। इसलिए मैं चाहता हूं, ईमानदारी की बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि टैक्सेशन माल पर हो तो जितना वह माल ले जाय उस पर हो, तो जितनी आप कोर्ट फीस लगाते हैं उससे उसको माफ किया जाय। रजिस्ट्री के सम्बन्ध में धारा १९ है। रजिस्ट्रेशन भी तभी होगा जब कि वह प्रार्थना-पत्र देगा, जिसमें उसे ३ १/२ रुपये देने पड़ेंगे २ रु० के बजाय। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गद्दारी और बेईमानी क्या होगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय कमलासिंह जी ने कोई नयी बात नहीं कही । यह कहीं नहीं कहा कि इस प्रकार पैसा वसूल करो। यात्री कर विधेयक में भी इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं था। ये खुद ही कल्पना करते हैं। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (५) के बाद निम्नलिखित उपखंड (६) जोड़ दिया जाय:

"६—इस विधेयक से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र, अपील तथा धनराशि वापसी के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई कोर्ट फीस न लगेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९, २०, २१ तथा २२

रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र देना

१९:—(१) प्रति माल वाहन के लिए दो रुपये के हिसाब से शुल्क का भुगतान किये जाने पर रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र नियत रीति से किसी भी ऐसे परिचालक को दिया जायगा जो उसके लिए नियत प्राधिकारी को प्रार्थनापत्र दे।

(२) रजिस्ट्री का प्रत्येक ऐसा प्रमाण-पत्र बिना नवीकरण के तब तक वैध होगा जब तक कि वह रद्द या निलम्बित न हो जाय।

(३) रजिस्ट्री का कोई भी प्रमाण-पत्र उस माल वाहन के सम्बन्ध में नहीं दिया जायगा जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो और यदि उस ऐक्ट के अधीन ऐसी कोई रजिस्ट्री निलम्बित या रद्द कर दी जाय तो उस माल वाहन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन दिया गया रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र भी, यथास्थिति, निलम्बित या रद्द समझा जायगा।

ऐक्ट संख्य ४, १९३

(४) यदि परिचालक, जिसे उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, अपना व्यवसाय हस्तान्तरित कर दे अथवा उसे जारी न रखे या बन्द कर दे तो वह उसकी सूचना, ऐसा करने के तीस दिन के भीतर, नियत प्राधिकारी को देगा और उक्त प्राधिकारी व्यवसाय का इस प्रकार हस्तान्तरण करने, जारी न रखने या बन्द करने के दिनांक से रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रद्द कर देगा।

(५) (क) परिचालक की मृत्यु हो जाने पर कोई व्यक्ति, जिसका माल वाहन पर कब्जा हो जाय, परिचालक की मृत्यु के साठ दिन के भीतर ऐसी मृत्यु की सूचना नियत प्राधिकारी को देगा।

(ख) तदुपरान्त नियत प्राधिकारी प्रमाण-पत्र को उस व्यक्ति को संक्रमित कर देगा जिसका माल वाहन पर कब्जा हो जाय।

(६) यदि परिचालक माल वाहन हस्तान्तरित कर दे तो हस्तान्तरितो, उस सम्बन्ध में हस्तान्तरकर्ता के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस कर और शास्ति का, यदि कोई हो, जिसका भुगतान हस्तान्तरकर्ता ने हस्तान्तरण के दिन तक न किया हो, इस प्रकार भुगतान करेगा, मानो वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत परिचालक हो और हस्तान्तरित रजिस्ट्री का नया प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना उक्त माल वाहन को नहीं चलायेगा।

रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र के बिना माल वाहन को चलाने का निषेध

२०—कोई भी परिचालक राज्य में माल वाहन तब तक नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास उस वाहन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री का वैध प्रमाण-पत्र न हो, या, जब तक ऐसा प्रमाण-पत्र स्वीकृत न हो जाय, ऐसी रसीद न हो जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि गाड़ी के सम्बन्ध में रजिस्ट्री क प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र दे दिया गया है और उसके लिए शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

लेखे और रजिस्टर रखना

२१—प्रत्येक परिचालक जो कर का देनदार हो अपने मालवाहन के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो नियत की जाय लेखे तथा रजिस्टर रखेगा जिसमें ले जाये गये माल और उसके सम्बन्ध में वसूल किये गये भाड़े तथा कर, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जायगा।

विवरण-पत्रों आदि का देना

२२—प्रत्येक परिचालक, नियत प्राधिकारी को अपने माल वाहन के सम्बन्ध में ऐसे विवरण-पत्र तथा अन्य सूचना ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से देगा जो नियत प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं खंड १९ का विरोध करता हूं क्योंकि वह बहुत ही अनुचित, गलत और बेजा है। इसके अधीन हर माल ले जाने वाले को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। माननीय मंत्री जी इसके उद्देश्य और कारण देख लें। आपरेटर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा लेकिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की क्या आवश्यकता है जब कि वे मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत पहले ही रजिस्टर्ड हैं। हां, इससे २ रुपये फी गाड़ी उनकी आमदनी जरूर बढ़ जायगी। इन वजूहात से मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

खंड १६ पास हो चुका है। अगर इस विरोध को मान लिया जाता है तो इस कानून के एंफोर्समेंट में ही दिक्कत हो जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खड १९, २०, २१ और २२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३

माल को ले जाये जाने का निषेध

२३—(१) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, राज्य में सार्वजनिक माल वाहन में न तो कोई माल तब तक ले जाया जायगा और न परिचालक उसे ले जाये जाने की अनुमति देगा जब तक कि उसके लिए नियत प्रपत्र में एक रसीद माल के पारेषक को जारी न कर दी गयी हो, और उसकी एक प्रतिलिपि माल ले जाने वाले वाहन के ड्राइवर को दे दी गयी हो।

(२) सार्वजनिक माल वाहन का ड्राइवर, गाड़ी में माल ले जाते समय, उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रतिलिपि और ऐसे अन्य पत्रादि या अभिलेख, जो नियत किये जायं, अपने पास रखेगा और नियत प्राधिकारी के धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन निदेश पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि खंड २३ के उपखंड (१) में शब्द "वाहन के ड्राइवर को" तथा शब्द "दे दी गई हो" के बीच में शब्द "न" बढ़ा दिया जाय।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २३ के उपखंड (१) में शब्द "वाहन के ड्राइवर को" तथा शब्द "दे दी गई हो" के बीच में शब्द "न" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४

प्रवेश करने, निरीक्षण करने और तलाशी लेने आदि का अधिकार

२४—(१) माल वाहन का ड्राइवर, नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर वाहन को रोकेगा या रोके रखेगा ताकि नियत प्राधिकारी गाड़ी में रखे जाने के लिए अपेक्षित लेख्यों तथा अभिलेखों की जांच और उनका सत्यापन कर सके तथा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर आरोपित किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन कर सके।

(२) जब राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत उसके किसी राजपत्रित अधिकारी को यह सन्देह करने का समुचित कारण हो कि माल वाहन में उससे अधिक माल ले जाया जा रहा ह जो गाड़ी में रखे अभिलेखों में निर्दिष्ट है तो वह ड्राइवर या वाहन के किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तौलने के प्रयोजनों के लिए निकटतम उपलभ्य तौल-कांटे पर ले जाय और ड्राइवर तथा ऐसा अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, उस आदेश का पालन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वाहन को उसके मार्ग से बीस किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थान पर ले जाने का आदेश न दिया जायगा और इस उपधारा के अधीन दी गयी कार्यवाही का अभिलेख ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखा जायगा जो नियत किये जायें।

(३) नियत प्राधिकारी, यदि वह कर-निर्धारण करने अथवा इस बात की जांच करने के प्रयोजन के लिए कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, आवश्यक समझें तो किसी ऐसे स्थान में जहां पर सामान्यतः परिचालक माल वाहन या अपने व्यवसाय से सम्बद्ध लेखा पुस्तिकाओं अथवा अन्य अभिलेख रखता हो, प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है या उसकी तलाशी ले सकता है और किसी लेख्य पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकता है या किन्हीं लेखों या लेख्यों की प्रतिलिपि या उद्धरण ले सकता है या लिवा सकता है।

(४) उपधारा (३) के अधीन सभी तलाशियां कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के उपबन्धों के अनुसार ली जायेंगी। ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(५) उपर्युक्त किन्हीं उपधाराओं के अधीन कार्य करने वाला कोई अधिकारी या प्राधिकारी किसी लेख्य का अभिग्रहण भी कर सकता है और जब किसी लेख्य का इस प्रकार अभिग्रहण किया जाय तो उसकी रसीद उस व्यक्ति को दी जायगी जिसके कब्जे से लेख्य अभिगृहीत किया जाय।

(६) उपधारा (१) के अधीन कार्य करने वाला नियत प्राधिकारी ऐसी वर्दी या ऐसे अन्य विशिष्ट चिह्न धारण करेगा जो नियत किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"और २० किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थान पर ले जाने का खर्चा सरकार द्वारा दिया जायगा।"

श्रीमन्, २४ (२) में यह दिया हुआ है :—

"जब राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत उसके किसी राजपत्रित अधिकारी को यह सन्देह करने का समुचित कारण हो कि माल वाहन में उससे अधिक माल ले जाया जा रहा है जो गाड़ी में रखे अभिलेखों में निर्दिष्ट है तो वह ड्राइवर या वाहन के किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तौलने के प्रयोजनों के लिए निकटतम उपलभ्य तौल-कांटे पर ले जाय और ड्राइवर तथा ऐसा अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, उस आदेश का पालन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वाहन को उसके मार्ग से बीस किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थान पर ले जाने का आदेश न दिया जायगा और इस उपधारा के अधीन दी गयी कार्यवाही का अभिलेख ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखा जायगा जो नियत किये जायें।"

इस तरीके पर कोई भी प्राधिकारी अगर किसी को परेशान करना चाहता है तो वह कह सकता है कि चलो, हम तुम्हारी गाड़ी का माल तौलेंगे और २० किलोमीटर की दूरी तक उसे ले जा सकता है। लेकिन यह २० किलोमीटर जाने और २० किलोमीटर आने का पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? अगर वह दोषी हो तब तो ठीक है, उस पर फाइन लगना चाहिये, लेकिन अगर वह निर्दोष है और तौलने के बाद मालूम हो कि उतना ही माल है जितना प्रपत्र में दर्ज है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को या उस प्राधिकारी की तनख्वाह से काट कर ४० किलोमीटर का पेट्रोल का खर्चा देना चाहिये।

[श्री कमलासिंह यादव]

दूसरे इसके अन्दर भी सरकार की शरारत भरी हुई है क्योंकि सरकार के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बराबर ट्रांसपोर्ट के जरिये इस्तेमाल होता है कि कोई भी माल वाहन जब जा रहा हो तो उसके पहिये के नीचे वह इंस्ट्रूमेंट रख कर उसे तौला जा सकता है। तो जब आपके पास ऐसा यंत्र मौजूद है फिर अगर आप ऐसा कानून बनायें तो यह अच्छी चीज नहीं है और इस सरकार के लिये शर्म की चीज होगी।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह प्राविजन बहुत सोच समझ कर रखा गया है और कमलासिंह जी का अमेंडमेंट मान लेने से इसका परपज ही खत्म हो जाता है। लिहाजा मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"और २० किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थान पर ले जाने का खर्चा सरकार द्वारा दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५

साक्ष्य लेने का अधिकार, आदि ऐक्ट संख्या ५, १९०८

२५—इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले कर-अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को, कर निर्धारण करने या अपील का निस्तारण करने, जैसी भी दशा हो, के प्रयोजन के लिए वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना,

(ख) किसी व्यक्ति का शपथ या प्रतिज्ञान पर बयान लेना;

(ग) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और

(घ) किसी साक्षी का बयान लेने या लेखे की जांच करने के लिए कमीशन जारी करना;

ऐक्ट संख्या ६, १८६० और ऐसे कर निर्धारण या अपील के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में और उक्त ऐक्ट की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिए "न्यायिक कार्यवाही" होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप केवल पढ़ दीजिये माननीय कमलासिंह जी।

श्री कमलासिंह यादव—

खंड २५ में मैं पेश नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६, २७, २८ तथा २९

अपराध और दण्ड

२६—(१) यदि कोई व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान से कपटपूर्वक बचे या बचने दे, या

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित किसी विवरण-पत्र, विवरणी, या सूचना को निश्चित समय के भीतर जान-बूझकर कर प्रस्तुत न करे; या

(ग) धारा २० में उल्लिखित रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र या रसीद प्राप्त किये बिना किसी माल को माल वाहन से ले जाय या ले जाने दे; या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी विवरण-पत्र अथवा अपने द्वारा रखी गयी किसी लेखा-पुस्तिका या रजिस्टर में कपटपूर्वक कोई गलत प्रविष्टि करे या होने दे या उसमें से कोई प्रविष्टि कपटपूर्वक छोड़ दे या छोड़ने दे; या

(ङ) धारा २४ के अधीन किसी अधिकारी को प्रवेश करने, निरीक्षण करने या तलाशी लेने अथवा किसी अन्य कृत्य के निर्वहन करने में बाधा डाले; या

(च) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों या इस अधिनियम अथवा उक्त नियमों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन करे,

तो वह सिद्ध-दोष पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में, प्रथम दोष-सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध जारी रहे पचीस रुपये से अनधिक अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष पाये जाने के बाद, इस अधिनियम के अधीन अपराध करता है तो वह प्रत्येक ऐसे अनुवर्ती अपराध के लिये अर्थ-दंड का भागी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और अपराध जारी रहने की दशा में उपधारा (१) में वर्णित अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा।

अपराधों का संज्ञान

२७—जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में परिवाद प्रस्तुत न किया जाय तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा और कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, किसी ऐसे अपराध की सुनवाई न करेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

२८—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय तो कम्पनी के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति भी, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के व्यवसाय को चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी रहा हो तथा

उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार उसे दंड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में व्यवस्थित दंड का भागी न होगा, जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक (डाइरेक्टर), प्रबंधक (मैनेजर), सचिव (सेक्रेटरी) या अन्य अधिकारी की सहमति या उसकी मौनानुकुलता से हुआ है अथवा अपराध का कारण उसकी ओर से कोई उपेक्षा है, तो वह निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, और तदनुसार उसे दंड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (Association) भी है, और

(ख) "फर्म" के सम्बन्ध में निदेशक का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

अपराधों के संबंध ने समझौता करने का अधिकार

२९—(१) नियत प्राधिकारी किसी भी समय धारा २६ के अधीन दण्डनीय अपराध करने वाले किसी व्यक्ति से, ऐसे अपराध के समझौत के रूप में, एक हजार रुपय से या अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि की दुगुनी धनराशि से, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो, अनधिक धनराशि, स्वीकार कर सकता है ।

(२) ऐसी धनराशि का भुगतान किये जाने पर, जो उपधारा (१) के अधीन स्वीकार की जाय, नियत प्राधिकारी, जहां आवश्यक हो, न्यायालय को इस बात की सूचना देगा कि अपराध के संबंध में समझौता हो गया है और तत्पश्चात् उक्त अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरुद्ध धारा २६ के अधीन कोई और कार्यवाही न की जायगी और उक्त न्यायालय अभियुक्त को उन्मुक्त कर देगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २६ के उपखंड (१) के (च) के बाद "तो वह सिद्ध-दोष पाये जाने पर अर्थ दंड का भागी होगा" के बाद के शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायं :

"जो ५० रु० तक हो सकता है ।"

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह स्वीकृत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (१) के (च) के बाद "तो यह सिद्ध-दोष पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा" के बाद के शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायं ।

"जो ५० रुपये तक हो सकता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २६ के उपखंड (१) के खंड (च) के बाद निम्नलिखित प्रतिबंध जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में व्यवस्थित दंड का भागी न होगा जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी।"

इसमें सिर्फ एक शब्द कहना है कि कम्पनी के मालिक को तो आप छूट दे रहे हैं कि अगर वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ है या उसने उसको रोकने के लिये पूरी कोशिश की, लेकिन वाहन के मालिक को आप रगड़ने जा रहे हैं। उसको कम्पनी के मालिक की तरफ से वही सुविधा मिलनी चाहिये। जब कोई कानून बनता है तो उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाता है। सब के साथ एक-सा व्यवहार होना चाहिये।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, बिना जाने हुये कोई अपराध बन जाये तो इसको तो अथारिटी डिसाइड करेगी कि उन्होंने अपराध जानबूझ कर किया है या कैसे किया है। यह तो हर कानून में होता है। इसलिये इसकी जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (१) के खंड (च) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में व्यवस्थित दंड का भागी न होगा जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २६ के उपखंड (२) के अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन यदि कोई व्यक्ति सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ है अथवा उसको रोकने के लिये यथोचित सावधानी बरती है तो वह इस अधिनियम में व्यवस्थित दंड का भागी न होगा।"

सिर्फ इसमें यह है कि एक तरफ तो ५००, १,००० रुपये जुर्माने कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिलकुल छोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह पक्षपातपूर्ण है। इससे मालूम होता है कि आप बड़े आदमियों के पोषक हैं। और आप उन्हीं की भलाई करना चाहते हैं, इसलिये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। यह कांस्टीट्यूशन के भी खिलाफ है। इक्वेलिटी बिफोर दि ला हर एक के लिये होना चाहिये।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह संशोधन अस्वीकृत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:-

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन यदि कोई व्यक्ति सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ है अथवा उसको रोकने के लिये यथोचित सावधानी बरती है तो वह इस अधिनियम में व्यवस्थित दंड का भागी न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २६ से २९ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३० व ३१

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण

३०—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के लिये राज्य सरकार के किसी सेवक के विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन संस्थित नहीं किया जायगा।

दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक

३१—इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर निर्धारण को रद्द करने या उसमें परिष्कार करने के लिए दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत न किया जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३० के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अधिकारी यह जानते हुए कि किसी परिचालक या माल वाहन के परिचालक ने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई गलत कार्य नहीं किया है और अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर उसको जानबूझ कर परेशान करे तो ऐसे कार्य के लिये वह व्यक्तिगत जिम्मेदार होगा।"

अगर कोई भी अफसर जानबूझ कर परेशान करे तो व्यक्तिगत लाइबिलिटी होनी चाहिये। इसीलिये यह प्रतिबन्ध रखा गया है।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस प्रकार का प्राविजन नहीं रखा जाता। माना यह जाता है कि जुडीशिसली वह काम करेगा। अगर मेलाफाइडी काम करता है तो उस पर मुकदमा चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३० के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अधिकारी यह जानते हुए कि किसी परिचालक या माल वाहन के परिचालक ने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई गलत कार्य नहीं किया है और अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर उसको जानबूझ कर परेशान करे तो ऐसे कार्य के लिये वह व्यक्तिगत जिम्मेदार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३० और ३१ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३२

नियम बनाने का अधिकार

३२—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी एक विषय की व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात्

(क) वह रीति जिससे सार्वजनिक माल वाहन के परिचालक द्वारा कर वसूल किया जायगा ;

(ख) वह रीति जिससे इस अधिनियम के अधीन कर और शास्ति का भुगतान किया जायगा ;

(ग) कर की धनराशि के बदले में स्वीकृत की जाने वाली एकमुश्त धनराशि अवधारित करने के सिद्धान्त और उसका भुगतान करने की रीति;

(घ) धारा १० के अधीन विवरणी का प्रपत्र और वह रीति जिससे और वे कालान्तर जिनमें वह दी जायगी ;

(ङ) वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसे कर का भुगतान किया जायगा और वह दिनांक जिसके पूर्व और वह प्राधिकारी जिसे धारा ११ के अधीन इस प्रकार भुगतान जिसे किये जाने की रसीद भेजी जायगी ;

(च) मांग के नोटिस का प्रपत्र और वह प्राधिकारी जो उसे जारी करेगा ;

(छ) धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन माल वाहन के अभिग्रहण और उसे रोक रखने से सम्बद्ध प्रक्रिया ;

(ज) वह रीति जिससे धारा १७ के अधीन वापस की जाने वाली धन-राशि की मांग की जायगी और वह वापस की जायेगी।

(झ) वह रीति जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है ;

(ञ) धारा १९ के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र देने की रीति;

(ट) धारा २१ के अधीन लेखे का प्रपत्र और रजिस्टर;

(ठ) धारा २३ के अधीन रसीदों का प्रपत्र ;

(ड) वे शर्तें जिन पर धारा २३ द्वारा अपेक्षित रसीद के बिना माल सार्वजनिक माल वाहन द्वारा ले जाया जा सकता है ;

(ढ) माल वाहन में ले जाये जाने वाले माल के सम्बन्ध में अभिलेख रखना ;

(ण) धारा २४ की उपधारा (६) के अधीन अपेक्षित वर्दी और चिन्ह ;

(त) तौलने के प्रयोजनों के लिए माल वाहन को ले जाने की प्रक्रिया और वह प्रपत्र जिसमें तथा वह रीति जिससे उसके सम्बन्ध में अभिलेख रखा जायगा ;

(थ) इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य के निर्वहन में किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(द) इस अधिनियम के अधीन नोटिसें और आदेश तामील करने की रीति; और

(ध) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके लिए नियम बनाये जाने हैं या बनाये जा सकते हैं ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३२ के उपखंड (२) की तृतीय पंक्ति में शब्द "कुल" के स्थान पर 'कम से कम' रख दिया जाय ।

डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी में इस पर काफी विवाद हो चुका है । डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी द्वारा यह आदेश भी दिया जा चुका है कि जो नियम इस सदन के अन्दर आयें वह कम से कम १४ दिन रखे जायं ।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

मैं क्या समझूं कि माननीय कमलासिंह जो प्रेस नहीं कर रहे हैं ?

श्री कमलासिंह यादव---

अगर आप संशोधन कर लें तो उसमें क्या बात है ? सब नियम १४ दिन तक रखे जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३२ के उपखंड (२) की तृतीय पंक्ति में शब्द "कुल" के स्थान पर शब्द 'कम से कम' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४

उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय वर्गों की मोटर गाड़ियों द्वारा ले जाये जाने वाले माल-कर लगाने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह धारा और धारा २ तथा ३२ तुरन्त प्रचलित होगी और शेष उपबन्ध उस दिनांक या उन दिनांकों से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सदन का टाइम पांच मिनट बढ़ाया जाता है।

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से अब भी प्रार्थना करूंगा कि यह जनता को परेशान करने वाला विधेयक है इसको अब भी वापस ले लें और पास न होने दें ।

श्री कमलासिंह यादव—

जब सदन का कार्यक्रम रखा गया था तो मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि नियम १३८ के अन्तर्गत वह चीजें सप्लाई की जायं लेकिन पांच बज गये वह नहीं मिला इसलिए संशोधन नहीं दे सके। सरकार को आप आदेश दें । कल इस पर दिक्कत उठानी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी प्रार्थना है कि जितने भी विधेयक आगे आने वाले हैं उनसे संबंधित कागजात सरकार जरूर माननीय सदस्यों को दे दें। यदि यहां पर न दे सके तो सब लोगों के पास घर पर भेज द ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
५ मई, १९६४ ।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५३ पर)

सूची

परीक्षा	परीक्षार्थी जो परीक्षा में बैठे	जो मौखिक साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे	नियुक्तियां जो १९६३ में हुईं
(१) १४ अप्रैल, १९६३ जूनियर क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, आफिस असिस्टेंट ग्रेड २ ..	१,०७५	५१७	३८
(२) २१ अप्रैल, १९६३ आफिस असिस्टेंट ग्रेड १	८१	३३	२

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

Statement no. 1

Statement showing enhanced prices of coal

Grade of coal	Price per tone before April, 1963	Enhanced from April 1, 1963	Again enhanced from June 1, 1963	Again enhanced from March 3, 1964
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs
Selected Grade "A" ..	48.64	49.13	49.19	50.40
Selected Grade "B" ..	47.16	47.65	47.71	48.96

Statement no. 2

Consumer's price Index-number for Working Class at Kanpur

April, 1963	498
May, 1963	502
June, 1963	501
July, 1963	509
August, 1963	530
September, 1963	537
October, 1963	540
November, 1963	547
December, 1963	556
January, 1964	566
February, 1964	565
March, 1964	584

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

मधुवन थानान्तर्गत जिन-जिन ग्रामों के जितने-जितने व्यक्तियों पर जिन-जिन तिथियों से १०७ द० वि० स० के मुकदमात परगनाधीश घोसी के न्यायालय में विचाराधीन हैं उनकी सूची निम्नलिखित है :—

नाम मुकदमा	संख्या व्यक्ति	ग्राम	तिथि जब से विचाराधीन है
स्टेट बनाम विशुन देव आदि ..	५ व्यक्ति	बस्ती ..	१३–८–६३
	१ ,,	गोपालपुर ..	१३–८–६३
	१ ,,	कमल सागर ..	१३–८–६३
स्टेट बनाम बलकरन ..	२ ,,	चक हबीबुल्लाह उर्फ मिसहा ।	१४–१०–६३
स्टेट बनाम श्रीकिशन ..	३ ,,	उपरोक्त ..	२२–१०–६३
स्टेट बनाम रूप चन्द ..	१ ,,	जमीन मनौली	१५–१०–६३
स्टेट बनाम कालीचरन आदि ..	५ ,,	जमीन मनौली	२०–१–६४
	२ ,,	जजौली	२०–१–६४
स्टेट बनाम इन्द्र देव ..	७ ,,	मारूफपुर	२४–२–६४
स्टेट बनाम निरंजन आदि ..	३ ,,	ककराडीह	२९–१–६४
स्टेट बनाम सुदीन आदि ..	२ ,,	,,	७–२–६४
	१ ,,	गदायन पट्टी ..	२९–१–६४
स्टेट बनाम जगधारी आदि ..	८ ,,	धर्मपुर हाल देवारा दुबारी	१–२–६४
	९ ,,	धर्मपुर देवारा	१–२–६४
स्टेट बनाम राम परसाद	१ ,,	,,	१–२–६४
	१ ,,	खैरादेवारा ..	१–२–६४
स्टेट बनाम रामबली ..	५ ,,	अघवारा	१–२–६४
	१ ,,	परसूपुर	१–२–६४
स्टेट बनाम रामसुमेर आदि ..	६ ,,	,, ..	१–२–६४
	२ ,,	मिसहा ..	१–२–६४
	१ ,,	सिंहासन	१–२–६४
स्टेट बनाम निर्मल आदि	५ ,,	लठिया	२४–१–६४
स्टेट बनाम किशोर आदि	५ ,,	लठिया	२४–१–६४
स्टेट बनाम सूबेदार ..	१ ,,	दुबारी ..	६–३–६४
स्टेट बनाम रामानन्द आदि ..	४ ,,	,,	१६–३–६४

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ २७१ पर।)

संलग्न सूची

फैजाबाद जिले के उन स्थानों के नाम जिनका विद्युतीकरण वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में किया जा चुका है।

१—जलालपुर
२—बरुन
३—देवहरा
४—इलफतगंज
५—मिल्कीपुर
६—मुबारकपुर
७—जगनपुर
८—हैदरगंज
९—नाका मुज्फरा
१०—सराय रासी
११—राजापुर
१२—बावन
१३—जमूरतगंज
१४—पुराबाजार
१५—रामनगर
१६—दाराबगंज
१७—जानी बाजार
१८—हरीगंटनगंज
१९—गोलाबाजार
२०—घोराहरा
२१—मोहम्मदपुर
२२—अमानीगंज
२३—तुलरामपुर
२४—कैंचाबाजार
२५—रामपुर भगवान
२६—शाहगंज उर्फ माकीमपुर
२७—मुमताज नगर
२८—कटेहरी
२९—आबूसराय
३०—बड़ा गांव
३१—बरौन
३२—जेसमऊ
३३—खेमीपुर मिगयानोना
३४—टिकारी
३५—आधागंज
३६—चाचिकपुर
३७—ताकपुरा

फैजाबाद जिले के उन स्थानों के नाम जो कि १९६४–६५ में विद्युतीकरण के लिए अभी तक चुन लिये गये हैं।

१—पुन्थेर
२—पिलखावन
३—सनेथू
४—भूलेपुर
५—हंसवार
६—मुडेरवा]
७—मोहम्मदपुर चिरैं
८—जलालाबाद

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पष्ठ २७३ पर)

Copy of Government letter no. 60 *PL (B)/63/XXIII-IB-7M/63, dated January* 31, 1963, *from Sri D. C. Dube, Deputy Secretary, Irrigation (B) Department, to the Chief Engineer, Irrigation Department, U. P., Lucknow and copy to Planning (A) Department for information.*

Subject : **Disposal of complaints regarding supply of irrigation water from Tube-wells and canals**

I am directed to enclose an extract copy of the proceedings of the meeting (December 26, 1962) of the Agriculture Production Sub-Committee of the Council of Ministers, and to request that instructions may please be issued immediately to the lower formations, to the effect that the complaints of the nature mentioned above, may please be disposed off within a reasonable time. Failure to do so will render the official concerned liable to be more severe punishment instead of mere warning.

2. Three copies of the instructions issued by you in this behalf may please be sent to Government immediately.

CHIEF ENGINEER'S OFFICE

IRRIGATION DEPARTMENT, U. P.

No. 232-IWI/VI/63/85B-Misc. *Dated Lucknow, February* 21, 1963

Subject; **Prompt disposal of complaints**

All Superintending Engineers in Irrigation Department

I am to invite a reference to the marginally noted letters in which instructions were issued that the complaints received from the Public cultivators should be invariably acknowledged and disposed off promptly. It, however, appears that in some cases complaints have not been attended to promptly which has caused dissatisfaction. In this connection, I enclose herewith a copy of Government letter no. 60PL (B)/63/XXIII-IB-7M/63, dated January 31, 1963 and am to say that in case complaints in regard to the supply of irrigation water from Tube-wells and canal are not attended to promptly in future and disposed off within a reasonable time, severe action will be taken against the persons found at fault.

1. 5030—IWI, dated 25-9-1962
2. 3215—IWI/85-B—Misc., dated 17-11-1952
3. 24-G--IWI/VI/8513-Misc., dated 21-2-1957
4. 85—IWI/85-B—Misc. dated 15-1-1959

Sd. B. D. RATHI,
Personal Assistant (P)
for *Chief Engineer. I. D.*

Encls :—Spare copies for Executive Engineers.

Copy to all Personal Assistants/Camp Assistants to Chief Engineers/ Chief Project Engineers/Engineer-in-Chief and all Works Sections.

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पष्ठ २७५ पर)

मार्ग का नाम	बसों के परमिट पाने वालों का नाम
(१) मथुरा-सदाबाद ..	(१) श्री बाबूलाल, मथुरा ।
	(२) श्रीमती इलाइची देवी, मथुरा
	(३) आगरा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, आगरा
	(४) श्री नारायण दास, आगरा
	(५) श्री प्रताप नारायण, आगरा
	(६) श्री नेकराम, मथुरा
	(७) श्रीमती सुशीला देवी, आगरा
	(८) सर्वश्री मुनशी व मेवाराम, आगरा
	(९) श्री बाबूलाल शर्मा, अलीगढ़
	(१०) श्री शर्फुद्दीन, मथुरा
	(११) श्री शिव लाल, मथुरा
(२) मथुरा-मानिकपुर वाया-गोकुल ..	(१) श्री बी०डी० सिंह, मथुरा
	(२) श्री राम चरन, आगरा
(३) मथुरा-एटा ..	(१) श्री मोहम्मद इब्राहीम, आगरा
	(२) श्री एवज सिंह, मथुरा
	(३) श्री रामस्वरूप, मथुरा
	(४) श्री कुंवर पाल शर्मा, मथुरा
(४) मथुरा-आवागढ़ ..	(१) श्री केदार नाथ, एटा
	(२) श्री दीवान चन्द गुप्ता, मथुरा
	(३) श्री डूमर सिंह, आगरा
	(४) श्री नसरू, मथुरा
	(५) श्री रंजीत कुमार कपूर, मुरादाबाद
	(६) श्री मुस्तिमन्द अली खां, मथुरा
	(७) श्री बजीर खां, मथुरा
(५) मथुरा-सोंख-गोवर्धन-छाता वाया पोडल, नीम गांव-सहार रानवारी मार्ग ।	(१) श्री छेदा लाल, मथुरा
	(२) श्री हीरा लाल, मथुरा
	(३) श्री प्रभू दयाल, मथुरा
	(४) श्री गिरराज सिंह, मथुरा
(६) मथुरा-कामा-कोसी ..	(१) श्री बेनी प्रसाद, आगरा
	(२) श्रीमती पुष्पलता जौहरी, एटा
(७) मथुरा-ओल-अछनेरा ..	(१) सर्वश्री देवी राम हरचन्डी, मथुरा
	(२) श्री पुरुषोत्तम दास, आगरा
(८) मथुरा-भरतपुर	(१) श्री आनन्द स्वरूप अग्रवाल, मथुरा
	(२) श्री तारा चन्द, आगरा
	(३) श्री देवी चरण गर्ग, मथुरा

मार्ग का नाम	बसों के परमिट पानेवालों का नाम
(९) मथुरा-अलवर ..	(१) श्री औसाफ अली, एटा
(१०) मथुरा-टुन्डला वाया गोकुल महाबन-रसा बल्देव-दाऊजी मार्ग	(१) श्री लाल दिग्विजय सिंह, इटावा (२) श्री रजी अहमद खां, अलीगढ़ (३) श्री गिरराज प्रसाद अग्रवाल, आगरा
(११) गोवर्धन-भरतपुर मार्ग ..	(१) श्री छेदालाल, मथुरा (२) श्री थम्मन सिंह, अलीगढ़
(१२) राया-सदाबाद ..	(१) श्री जालिम सिंह, मथुरा (२) श्री भजन लाल, मथुरा (३) श्रीमती रामा देवी, मथुरा (४) श्रीमती गिरजा देवी, आगरा (५) श्री मोहम्मद शाहमीर, मथुरा (६) श्री शिव चरण लाल, आगरा (७) श्री लाला राम, मथुरा (८) श्री अल्लाह दीन, मथुरा
(१३) कोसी-चेतवाया शेरगढ़ ..	(१) सर्वश्री अमर सिंह खड्ग सिंह, मथुरा।

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २९८ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६४) के तीसरे मंगलवार के लिये

सर्वश्री होरीलाल यादव तथा मैनेजर सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ३७–३८ के उत्तर

प्रश्न	उत्तर
३७—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज रीजन कानपुर में कौन-कौन कंडक्टर ए० टी० आई० के पद पर सन् १९६३ में पदोन्नत किये गये, उनमें से किन-किन को सीनियारिटी के आधार पर न होने के कारण रिवर्ट किया गया और रिवर्ट किये गये कंडक्टरों की जगह पर पुनः कौन-कौन कंडक्टर को पदोन्नत ए० टी० आई० पर किया गया ?	वांछित सूचना संलग्न है ।
३८—क्या यह सत्य है कि रिवर्ट किये गये कंडक्टर अब भी ए०टी०आई० के पद पर काम कर रहे हैं और पदोन्नत किये गये कंडक्टरों को स्थान नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?	प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर में बताई स्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता ।

मुजफ्फर हसन,
परिवहन मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—५१ एल० ए०—१९६४—८६० ।